दिनांक 28-7-2010 को
विधानसभा में प्रस्तुत की गई।

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य वित्त

पर

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
पहला अध्याय		
राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था		
चालू वर्ष के लेनदेनों का सारांश	**1.1**	**1**
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
राज्य के संसाधन	**1.2**	**6**
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	6
राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अन्तरण	1.2.2	7
राजस्व प्राप्तियां	**1.3**	**9**
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	11
करापवंचन, अपलेखन/अधित्याग के कारण राजस्व की हानि	1.3.2	14
राजस्व बकाया	1.3.3	15
संसाधनों का उपयोग	**1.4**	**15**
व्यय की वृद्धि तथा रचना	1.4.1	15
प्रतिबद्ध व्यय	1.4.2	19
राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1.4.3	22
व्यय की गुणवत्ता	**1.5**	**23**
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.5.1	23
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.5.2	25
शासकीय व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण	**1.6**	**28**
निवेश तथा प्रतिलाभ	1.6.1	28
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1.6.2	29
नकद शेष तथा नकद शेषों का निवेश	1.6.3	31

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
परिसम्पत्तियां तथा देयताएं	**1.7**	**32**
परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा रचना	1.7.1	32
राजकोषीय देयताएं	1.7.2	33
गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएं	1.7.3	34
ऋण धारणीयता	**1.8**	**35**
ऋण स्थिरीकरण	1.8.1	37
ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता	1.8.2	37
निधियों की निवल उपलब्धता	1.8.3	37
राजकोषीय असन्तुलन	**1.9**	**38**
घाटे की प्रवृत्ति	1.9.1	39
राजकोषीय घाटे के घटक तथा उसकी वित्त व्यवस्था पद्यति	1.9.2	40
घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता	1.9.3	41
राज्य का स्वयं का राजस्व तथा घाटे में सुधार	1.9.4	43
निष्कर्ष	**1.10**	**43**
अनुशंसाएँ	**1.11**	**45**
दूसरा अध्याय		
वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियन्त्रण		
प्रस्तावना	**2.1**	**47**
विनियोग लेखे का सारांश	**2.2**	**47**
वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन	**2.3**	**48**
आबंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग	2.3.1	48
सतत् बचतें	2.3.2	54
अधिक व्यय	2.3.3	56
बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों का आहरण	2.3.4	56
पिछले वर्ष से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.5	56
2008–09 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.6	57
अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.7	58
निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.3.8	58

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां	2.3.9	58
सारभूत समर्पण	2.3.10	58
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.3.11	59
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचत	2.3.12	59
व्यय की अत्यधिकता	2.3.13	59
विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	**2.4**	**60**
संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध ब्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलम्ब	2.4.1	60
मिलान न किया गया व्यय	2.4.2	61
अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना	2.4.3	62
व्यक्तिगत जमा लेखे	**2.5**	**63**
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	**2.6**	**63**
व्यय नियन्त्रण पंजियों का संधारित न करना	2.6.1	64
बजट अनुमानों की दोषपूर्ण तैयारी	2.6.2	64
सिविल निक्षेप तथा बैंक खातों में निधियों का अवरोध	2.6.3	65
चयनित अनुदानों के अधीन व्यय का मिलान न करना	2.6.4	65
निष्कर्ष	**2.7**	**65**
अनुशंसाएँ	**2.8**	**66**
तीसरा अध्याय		
वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलम्ब	3.1	67
स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलम्ब	3.2	68
दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि	3.3	68
निष्कर्ष	3.4	69
अनुशंसाएँ	3.5	70

परिशिष्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1 भाग क	शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप	71
1.1 भाग ख	वित्त लेखे की रूपरेखा	72
1.1 भाग ग	पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य की 31 मार्च 2009 को परिसम्पत्तियों एवं देयताओ का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	74
1.2 भाग क	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली	75
1.2 भाग ख	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथ बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005	78
1.2 भाग ग	चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति	80
1.3	राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े	81
1.4 भाग क	वर्ष 2008–09 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश	84
1.4 भाग ख	31 मार्च 2009 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	88
1.5	कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के अन्तर्गत संग्रहण और उनके संग्रहण पर किये गये व्यय का विवरण	90
1.6	अद्यतन वर्ष जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था हेतु 31.3.2009 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति	91
2.1	विभिन्न अनुदान/विनियोग का विवरण जिनमें बचत 10 करोड़ रुपये से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र	93
2.2	अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाऐं जिनमें व्यय प्रावधान से 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र	95
2.3	पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है	97
2.4	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रूपये अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये	99
2.5	वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ	101
2.6	विभिन्न अनुदान/विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र	103
2.7	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	104
2.8	पुनर्विनियोजनों/समर्पणों की दोष पूर्ण संस्वीकृतियाँ	106

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.9	वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम	107
2.10	वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (50 लाख रूपये अथवा इससे अधिक)	111
2.11	उन विभिन्न अनुदान/विनियोगो का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया।	112
2.12	एक करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण (परिशिष्ट 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)	114
2.13	30 एवं 31 मार्च 2009 को रुपये 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	116
2.14	व्यय की अधिकता	118
2.15	वर्ष 2008–09 तक के वर्षों के लम्बित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक	120
2.16	चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत बचतें	121
2.17	चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य	123
2.18	वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ।	124
3.1	31 मार्च 2009 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	126
3.2	स्वायतशासी निकायों का निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र	127
3.3	दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभाग अनुसार/अवधि अनुसार विश्लेषण	130
3.4	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण सरकार को हानि के प्रकरणों के सम्बन्ध में विभाग/संवर्ग के अनुसार विवरण	132
3.5	2008–09 के लिये अपलेखन के प्रकरणों के विभागों के अनुसार विवरण	134

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे के परीक्षण से उद्भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर तीसरा अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति और विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

<<<<<<<<< >>>>>>>>>

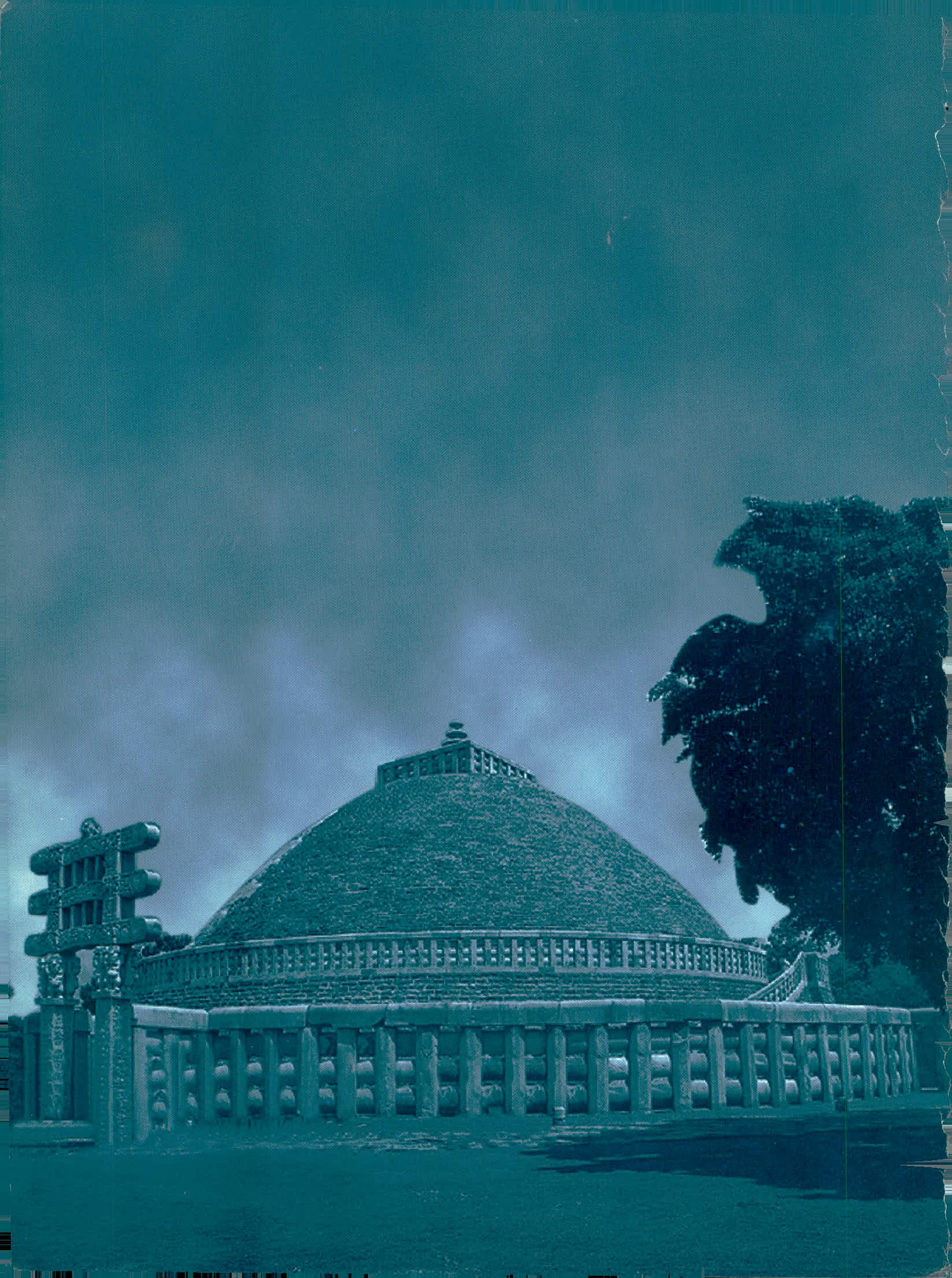

कार्यपालन सारांश

पृष्ठ भूमि

जनवरी 2006 में मध्यप्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम बनाया। इसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था के लिए सुदृढ़ वृद्धि स्थिरता के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ मध्यकालिक लक्ष्य में राजकोषीय संशुद्धि पथ के माध्यम से सुधारात्मक कार्य सूची निर्दिष्ट की गई है। इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये सरकार की वचनबद्धता उसके अनुवर्ती बजटों में घोषित नीतिगत पहल में प्रतिबिम्बित होती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधान का लाभ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत परिसीमन सीमा के भीतर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात बनाए रखने की दृष्टि से स्पष्ट अनुभव में आते हैं तथापि संस्थागत तथा क्षेत्रगत सुधार उपायों की बड़ी संख्या सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार तथा राजकोषीय स्थिरता के प्रवर्तन के लिए अधिक आवश्यक" राजकोषीय अन्तराल" बनाने में लम्बा समय लगेगा।

नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन विधान के बाद से तीन वर्षो से अधिक समय के लिये सरकार की अर्थ व्यवस्था पर टिप्पणी की जाती रही है । चूंकि ये टिप्पणियां सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग होती है इसलिये यह अनुभव किया गया कि राज्य की वित्त व्यवस्था पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष छुपे रहे क्योंकि अधिकांश लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुपालन तथा निष्पादन लेखा परीक्षा पर थे। इस समस्त समावेशित सूचना का स्पष्ट परिणाम यह था कि वित्तीय प्रबन्धन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य की वित्त व्यवस्था को एक बार पुनः केन्द्रस्थ अवस्था में लाने की आवश्यकता की मान्यता के लिये राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था पर एक पृथक प्रतिवेदन (स्टेंड एलोन रिपोर्ट) इस चुनौती के लिये उचित लेखापरीक्षा प्रतिक्रिया समझा गया। तदनुसार नियन्त्रक महालेखापरीक्षक ने 2009 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन से आगे के लिये "राज्य वित्त पर प्रतिवेदन" शीर्षक से एक पृथक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

प्रतिवेदन

मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु मध्यप्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं पर एक विश्लेषणात्मक समीक्षा दी गई है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

पहला अध्याय वित्त लेखे पर आधारित है और 31 मार्च 2009 को मध्यप्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह बजटेत्तर मार्ग के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे देने के अतिरिक्त प्रतिबद्ध व्यय तथा उधारी पद्धति की प्रवृत्ति की पूरी जानकारी देता है।

दूसरा अध्याय विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों के अनुदान अनुसार विवरण तथा सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबन्धन का ढंग प्रस्तुत करता है।

तीसरा अध्याय में विभिन्न सूचना आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के साथ म.प्र.सरकार के अनुपालन की एक सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षो के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से संग्रहित आंकड़ों का संकलन भी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबन्धन तथा संसाधनों की गतिशीलता : राज्य की राजकोषीय स्थिति का प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/ अधिशेष के रूप में अवलोकन किया जा कर पाया गया कि, 2008-09 में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई क्योंकि राजस्व अधिशेष में कमी हुई और प्राथमिक अधिशेष प्राथमिक घाटा हो गया। उससे भी अधिक राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष कि तुलना में सारभूत वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधनों में कोई सुधार नहीं हुआ।

सरकार के निवेश तथा ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज प्राप्ति - सरकार द्वारा किये गये निवेशों पर औसत प्रतिलाभ अन्तिम तीन वर्षो के दौरान 0.52 प्रतिशत हुआ जबकि सरकार ने 2006-09 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.61 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां, राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं पर, ब्याज भुगतान के प्रतिशत के विरूद्ध अत्यधिक कम थी परिणामस्वरूप ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य 6.29 प्रतिशत का अन्तर रहा। सरकार को उच्च लागत वाली उधारियों में अच्छा प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिये अधिक विवेकपर्ण ढंग से निवेश करना चाहिए।

सरकार के निवेशों पर प्रतिलाभ की नगण्य दरों के साथ बढ़ती हुई राजकोषीय देयताएं तथा ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज की अपर्याप्त वसूली राज्य के राजकोष पर मध्यम तथा लम्बे समय के लिए राजकोषीय दबाब डाल सकती है जब तक कि वाणिज्यक रूप से व्यवहार्य ऋण तथा अग्रिमों सहित निवेश करने के लिए उपर्युक्त उपाय नहीं किये जाते। आने वाले वर्षो में आयोजनेतर राजस्व व्यय को कम करना और कर तथा कर भिन्न स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त स्रोत संघटित करने पर दबाब पड़ेगा।

व्यय प्रबन्धन- राज्य की व्यय पद्धति से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय ने 2008-09 के दौरान कुल व्यय के 77 प्रतिशत के प्रमुख भाग में भागीदारी जारी रखी जिससे सेवाओं के विस्तार तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये संसाधन कम रह गये। वर्ष के दौरान आयोजनेतर राजस्व व्यय बारहवे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकीय स्तर से सारभूत रूप से उच्च था। यह भी कि तीन घटकों (वेतन एवं मजदूरी व्यय, ब्याज भुगतान तथा पेंशन भुगतान) में वर्ष के दौरान आयोजनेतर व्यय का लगभग 69 प्रतिशत समाविष्ट था। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय की तुलना में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में तथा विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के परिचालन तथा रखरखाव पर राजस्व व्यय के अनुपात में कमी हुई जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में कमी दृष्टिगत हुई।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में व्यय पद्यति में बारहवे वित्त आयोग के मानकों के अनुसार आने वाले समय में सुधार की आवश्यकता है तदनुसार जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के अधीन आयोजनेतर वेतन व्यय में केवल पांच से छः प्रतिशत तक वृद्धि होनी चाहिए जबकि आयोजनेतर शीर्षों के अधीन गैर वेतन व्यय में निर्णय अवधि के दौरान 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि होनी चाहिए।

राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भारत सरकार से सीधे अन्तरित निधियों की अनदेखी :- बजटेतर मार्ग के माध्यम से सीधे राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों को भेजी जाने वाली निधियों से राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत पारदर्शिता की आवश्यकता में अवरोध पैदा होता है और इसलिये इसमें उत्तरदायित्व से बचा जा सकता है। इन निधियों का सम्यक लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए और सरकार तथा महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) द्वारा अद्यतन जानकारी की अभिपुष्टि की जानी चाहिए ।

वित्त प्रबंधन तथा बजटीय नियन्त्रण - राज्य में विभिन्न सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की धीमी प्रगति से 8352.16 करोड़ रुपये की एक सम्पूर्ण बचत हुई। 1993-94, 1994-95 तथा 1997-98 से 2007-08 से सम्बन्धित 4686 करोड़ रुपये के अधिक्य व्यय के नियमन की भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन आवश्यकता है। छः अनुदानों के प्रकरण में अन्तिम पाँच वर्षो में बचत देखी गई। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान तथा अनावश्यक या आधिक्यपूर्ण पुनिर्विनयोग के प्रकरण थे। वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता राज्य में देखी गयी दूसरी पुरानी विशेषता है। अनेक प्रकरणों में प्रत्याशित बचत या तो समर्पित नहीं की गई अथवा वर्ष के अन्तिम दो दिनों में समर्पित की गई जिसके कारण अन्य विकासीय कार्यो के लिये इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश नही बची। संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर अग्रिम की वृहद राशियों के लिये ब्यौरेवार देयक प्रस्तुत नहीं किये गये। मिलान न किया गया 286.68 करोड़ रुपये का व्यय था और 289.59 करोड रुपये 8443 सिविल निक्षेप तथा 800 अन्य निक्षेप में अन्तरित किये गये । इससे भी अधिक 31 मार्च 2009 को 729 व्यक्तिगत जमा लेखाओं में 1488 करोड़ रुपये पड़े हुये थे। वित्तीय प्रबन्धन में ऐसे कमियों के परिहार के लिये बजट नियन्त्रण प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। पुनविर्नियोगो/ समर्पणों को अन्तिम समय में जारी करने से बचना चाहिए।

वित्तीय प्रतिवेदनः- राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों के अनुपालन का विभिन्न सरकारी विभागों में अभाव था। विभिन्न अनुदान ग्रहीता संस्थाओं द्वारा ऋणों तथा अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलम्ब से यह स्पष्ट है। स्वायत्तशासी निकायों तथा विभागीय उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब पाया गया । हानियों तथा दुर्विनियोगों के उदाहरण थे जिसके लिये लम्बे समय से विभागीय कार्यवाही लम्बित थी। ऐसे प्रकरणों में विभागीय जांचों में चूककर्त्ताओं से स्पष्टीकरण मांगने के लिये शीघ्रता बरती जानी चाहिए। समस्त संगठनों में भविष्य में ऐसे प्रकरण रोकने के लिये आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ़ करना चाहिए।

पहला अध्याय
राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

अध्याय 1

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

1. प्रस्तावना

इस अध्याय में चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की वित्त व्यवस्था का एक व्यापक परिदृश्य दिया गया है और इसमें विगत पांच वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये गत वर्ष के तुलनात्मक मुख्य राजकोषीय संचयनों में संकटकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण किया गया है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.1 भाग क एवं ख** में प्रदर्शित किया गया है। राजकोष सम्बन्धी स्थिति के मूल्यांकन के लिये अंगीकृत पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित मानदण्ड /परिसीमन **परिशिष्ट 1.2 भाग क, ख एवं ग** में प्रदर्शित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश पुनगर्ठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अनुसार भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य के 16[1] जिलो से एक नवम्बर 2000 को नवीन छत्तीसगढ़ राज्य बना था। पुनगर्ठन के दिनांक से पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विभाजन और अन्य वित्तीय समायोजन अधिनियम[2] के प्रावधानों के अनुसार किये जाते हैं। इस दिशा में प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.1 भाग ग** में प्रदर्शित की गई है।

1.1 चालू वर्ष के लेनदेनों का सारांश

तालिका 1.1 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2008-09) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि **परिशिष्ट 1.4 भाग क** चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों तथा संवितरणों के विवरण तथा राजकोष की सम्पूर्ण स्थिति दर्शाता है।

1. बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जाँजगीर-चाँपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव तथा सरगुजा।
2. उपरोक्तानुसार

तालिका 1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

(रुपये करोड़ में)

2007-08	प्राप्तियां	2008-09	2007-08	संवितरण	2008-09		
अनुभाग- क राजस्व							
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
30,688.74	राजस्व प्राप्तिया	33,577.21	25,601.11	राजस्व व्यय	21,892.29	7,621.59	29,513.88
12,018.18	कर राजस्व	13,614.05	9,354.35	सामान्य सेवाएं	10,126.15	36.19	10,162.34
2,738.19	कर भिन्न राजस्व	3,342.86	8,145.46	सामाजिक सेवाएं	6,005.84	4,140.10	10,145.94
10,202.96	संघकरों/शुल्कों का अंश	10,766.59	6,537.46	आर्थिक सेवाएं	4,211.83	3,219.33	7,431.16
5,729.41	भारत सरकार से अनुदान	5,853.71	1,563.84	सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,548.47	225.97	1,774.44
अनुभाग- ख पूंजीगत							
11.07	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24.00	6,832.70	पूंजीगत परिव्यय	209.70	6,503.45	6,713.15
105.24	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	53.62	1,154.88	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	1184.28	677.18	1,861.46
1.79	अन्तर्राज्यीय निराकरण	0.79	2.06	अन्तर्राज्यीय निराकरण	—	—	0.73
3,370.95	लोक ऋण प्राप्तियां*	6,552.97	1,677.00	लोक ऋण पुनर्भुगतान*	—	—	1,961.01
—	आकस्मिक व्यय निधि	—	—	आकस्मिक व्यय निधि	—	—	—
39,895.93	लोक लेखा प्राप्तियां	46,460.26	39,423.29	लोक लेखा संवितरण	—	—	45,988.97
2,409.77	आरम्भिक नकद शेष	1,792.45	1,792.45	अन्तिम नकद शेष			2,422.10
76,483.49	योग	88,461.30	76,483.49	योग	23,286.27	14,802.22	88,461.30

*** अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्णो के अधीन निवल लेनदेनों को छोड़कर**
(स्रोतः- सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखे)

गत वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित हैः-

- राजस्व प्राप्तियों में मुख्य रूप से राज्य के स्वयं के राजस्व में 1596 करोड़ रुपये (13 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व में 605 करोड़ रुपये (22 प्रतिशत), संघ करों तथा शुल्क में 563 करोड़ रुपये (पांच प्रतिशत) तथा भारत सरकार से अनुदान में 124 करोड़ रुपये (दो प्रतिशत) तक वृद्धि के कारण 2888 करोड़ रुपये (नौ प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। राज्य ने भारत सरकार से ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अधीन ऋण राहत के 363.06 करोड़ रुपये भी प्राप्त किये।

- राजस्व व्यय में 3913 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत) {आयोजनेत्तर 3097 करोड रुपये (17 प्रतिशत) तथा आयोजना 816 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत)} तक वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 120 करोड़ रुपये (दो प्रतिशत) {(आयोजनेत्तर 112 करोड़ रुपये (-34.78 प्रतिशत) तथा आयोजना आठ करोड़ रुपये (-0.12 प्रतिशत)} तक कमी आई।

- ऋण तथा अग्रिमों की वसूली मुख्य रूप से विविध सामान्य सेवाओं (23 करोड़ रुपये) तथा उद्योग एवं खनिज (45 करोड़ रुपये) में कमी के कारण गत वर्ष में 105 करोड़ रुपये से चालू वर्ष के दौरान 54 करोड़ रुपये (49 प्रतिशत) तक घट गई जिसे जल आपूर्ति, सफाई तथा शहरी विकास (15 करोड़ रुपये) एवं सरकारी कर्मचारियों को ऋण (तीन करोड़ रुपये) में वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिमों के वितरण में मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं (1055 करोड़ रुपये) तथा परिवहन (19 करोड़ रुपये) के अधीन ऋण में वृद्धि के कारण 706 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई जिसे जल आपूर्ति, सफाई, गृह निर्माण एवं शहरी विकास (103 करोड़ रुपये), विविध सामान्य सेवाएं (231 करोड़ रुपये) तथा कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों (33 करोड़ रुपये) के अधीन कमी से आशिंक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

- लोक ऋण प्राप्तियों तथा पुनर्भुगतानों में गत वर्ष की तुलना में 2008-09 में क्रमशः 3182 करोड़ रुपये (94 प्रतिशत) एवं 284 करोड़ रुपये (17 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। लोक ऋण में वृद्धि मुख्य रूप से 2567 करोड़ रुपये तक आन्तरिक ऋण में तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों (615 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई।

- लोक ऋण प्राप्तियों तथा संवितरण में गत वर्ष की तुलना में 2008-09 में क्रमशः 6564 करोड़ रुपये तथा 6566 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई परिणामस्वरूप दो करोड़ रुपये की निवल कमी आई।

- ऊपर उल्लिखित निधियों के अन्तर्गमन/वहिर्गमन के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के नकद शेष में 2008-09 के अन्त में गत वर्ष की तुलना में 630 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवे वित्त आयोग की अनुशंसा के उत्तर में मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्व घाटे के क्रमिक विलोपन राजकोषीय घाटे के अनुरूप पोषणीय ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्याधिक पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक अवधि के लिये राजकोषीय संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थायित्व में सावधानी की दृष्टि से राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम बनाया था।

2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 9.41 प्रतिशत (2888 करोड़ रुपये) की वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 15.28 प्रतिशत (3913 करोड़ रुपये) की वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष में 2007-08 में 5088 करोड़ रुपये से 2008-09 में 4063 करोड रुपये तक कमी हुई। पूंजीगत व्यय में 120 करोड़ रुपये की कमी तथा अन्तर्राज्यीय निपटान सहित ऋण तथा अग्रिमों के संवितरण में 705 करोड रुपये की वृद्धि साथ -साथ चलने पर

वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष में 1025 करोड़ रुपये तथा ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों में 39 करोड़ रुपये की कमी मान लेने पर गत वर्ष की तुलना में 2008-09 में राजकोषीय घाटे में 1649 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटे (1649 करोड़ रुपये) तथा ब्याज भुगतान (एक करोड़ रुपये) में वृद्धि मान लेने पर 2007-08 में 1407 करोड रुपये का प्राथमिक अधिशेष 2008-09 में 241 करोड रुपये का प्राथमिक घाटा हो गया। 2008-09 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्यों तथा मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण में निरूपित लक्ष्यों की तुलना मे राज्य का राजकोषीय निष्पादन निम्नांकित **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन के लक्ष्य	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+) (करोड़ रुपये में)	2008-09 में समाप्त हो जाने वाला	(+) 2,840	(+) 4,063
राजकोषीय घाटा(-) अधिशेष (+)(करोड़ रुपये में)	2008-09 तक सकल राज्य घरेलु उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो तक कम करना (4876)	(-) 4,741 सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत तक होने वाला राजकोषीय घाटा	(-)4,433 सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 2.72 प्रतिशत
कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित)	31मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 40 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 43.65 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 38.37 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होना	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 73.19 प्रतिशत	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 6.29* प्रतिशत

***उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध थी।**

(स्रोतः- 2008-09 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत विवरण पत्र तथा सम्बन्धित वर्ष के राज्य व्यय वित्त लेखे)

तालिका से प्रकट होता है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित अवधि से चार वर्ष आगे तक राजस्व अधिशेष प्राप्त किया और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्यों तथा मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र के लक्ष्यों में निर्धारित सकल राज्य घरेलु उत्पाद के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखा। 38.37 प्रतिशत पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद की तुलना में कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित) 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने वाले राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्यों के भीतर थी परन्तु मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में 44 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में अत्यधिक कम थीं। वर्ष के लिए 73 प्रतिशत के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र के लक्ष्य तथा 80 प्रतिशत के राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्य के विरूद्ध बकाया गांरटिया पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की मात्र 6.29 प्रतिशत थी।

2008-09 में वास्तविक कर राजस्व तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वारहवें वित्त आयोग के सामान्य रूप से निर्धारित स्तर की अपेक्षा अधिक था परन्तु राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में तय लक्ष्य की अपेक्षा कम था जबकि कर

भिन्न राजस्व बारहवें वित्त आयोग तथा मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र दोनों के निर्धारित स्तर की अपेक्षा अधिक था।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.1 : चयनित राजकोषीय पैरामीटरों हेतु वास्तविक आकड़ों की तुलना में बजट अनुमान

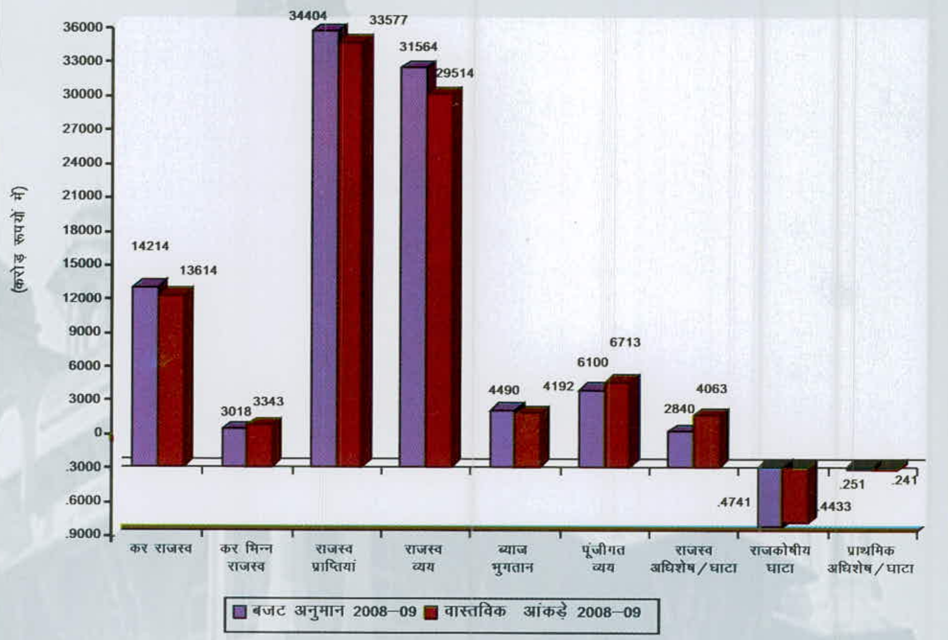

(स्रोतः 2008-09 के राज्य वित्त लेखे और बजट अनुमान)

प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटे से बजट अनुमान के सन्दर्भ में सुधार प्रकट हुआ। राजस्व व्यय तथा ब्याज भुगतान अच्छे प्रकार से बजट अनुमान की सीमा में थे जबकि पूंजीगत व्यय तथा कर भिन्न राजस्व बजट अनुमान से अधिक थे। कर राजस्व मुख्य रूप से विद्युत पर कर एवं शुल्क (807 करोड़ रुपये), स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस (361 करोड़ रुपये) तथा वाहनों पर कर (227 करोड रुपये) के अधीन कम प्राप्तियों के कारण बजट अनुमान की तुलना में अपेक्षाकृत कम था जिसे भू राजस्व (212 करोड़ रुपये), राज्य आबकारी (227 करोड़ रुपये), बिक्रय, व्यापार आदि पर कर (243 करोड़ रुपये) तथा माल तथा यात्रियों पर कर (133 करोड़ रुपये) के अधीन अधिक प्राप्ति द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। पूंजीगत व्यय प्रमुख सिंचाई (398 करोड़ रुपये) तथा विद्युत परियोजनाओं (298 करोड रुपये) के अधीन अधिक व्यय के कारण बजट अनुमान की तुलना में अधिक हुआ जिसे चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (113 करोड़ रुपये) के अधीन कम व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजी प्राप्तियों की दो धाराएं है जिसमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संध करों तथा शुल्कों मे राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से बाजार ऋण तथा उधारियां) और भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों सहित लोक लेखे से उपार्जन समाविट हैं। **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य के अपने वार्षिक वित्त लेखें में यथा अभिलेखित प्राप्तियां तथा संवितरण प्रस्तुत करती है जबकि **चार्ट 1.2** 2004-09 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की रचना प्रदर्शित करता है।

चार्ट 1.2 : कुल प्राप्तियों की प्रवृत्ति

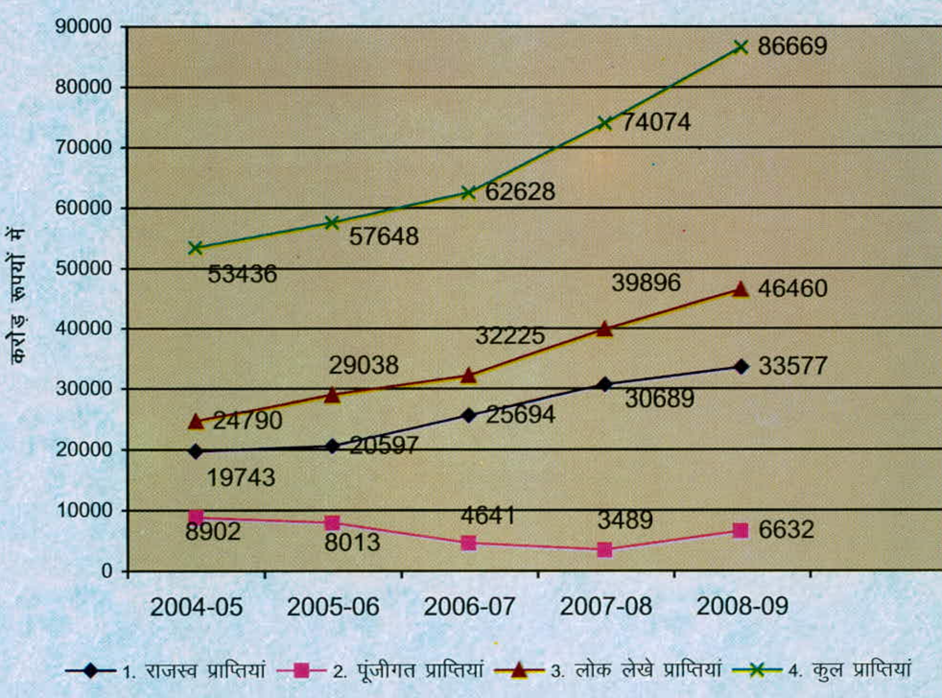

(स्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखें)

चार्ट 1.3 : 2008–09 के दौरान कुल प्राप्तियों की रचना

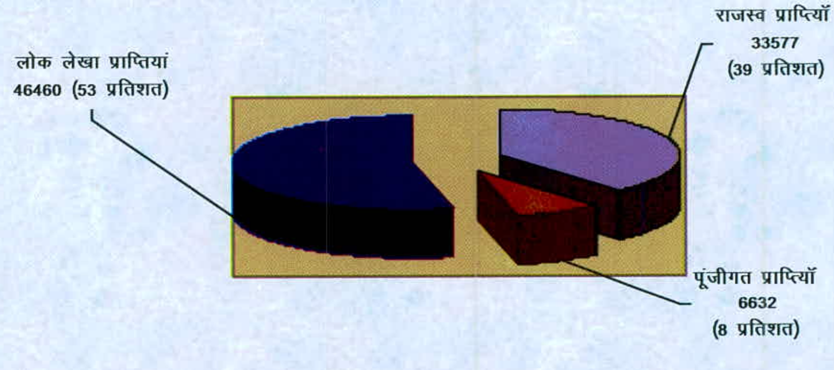

(स्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखें)

राजस्व, पूंजीगत तथा लोक लेखा प्राप्तियों में 2008-09 के दौरान कुल प्राप्तियों के क्रमशः 39, आठ एवं 53 प्रतिशत समाविष्ट है। 2004-09 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें राजस्व प्राप्तियों में 70 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 25 प्रतिशत तक कम हो गई। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष अंश में 2004-05 में 36.94 प्रतिशत से 2008-09 में 38.74 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंश में 2004-05 में 16.65 प्रतिशत से 2008-09 में 7.65 प्रतिशत तक कमी आई जिसका मुख्य कारण ऋण प्राप्तियों में कमी होना था। लोक ऋण प्राप्तियों में 2007-08 में 3371 करोड़ रुपये (4.55 प्रतिशत) से 2008-09 में 6553 करोड़ रूपये (7.56 प्रतिशत) तक वृद्धि बाजार ऋण तथा भारत सरकार से ऋण में वृद्धि के कारण हुई। यद्यपि लोक लेखे के अधीन प्राप्तियों में 2004-09 अवधि के दौरान 17.48 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर में वृद्धि हुई तथापि राज्य की कुल प्राप्तियों में उनका अंश 2004-05 में 46 प्रतिशत तथा 2008-09 के दौरान 53 प्रतिशत के मध्य रहा। राजस्व उत्प्लावकता में 2007-08 में 2.13 से 2008-09 में 0.67 तक कमी का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों तथा सकल राज्य घरेलु उत्पाद की वृद्धि दरों के मध्य मेल न खाना था।

1.2.2 राज्य बजट के बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का अन्तरण

केन्द्र सरकार सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों[3] को सीधे निधियों का

3 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में वे संगठन/संस्थाऐं/ गैर शासकीय संस्थाऐं शामिल हैं जो निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।

अन्तरण कर रही है। चूकि इन निधियों को राज्य बजट /राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से प्रेषित नही किया जा रहा है। इसीलिए वार्षिक वित्त लेखे इन निधियों के प्रवाह का अभिग्रहण नहीं कर पाये और राज्य की प्राप्तियां तथा व्यय साथ ही उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय मात्रा/ पैरामीटरों में उक्त सीमा तक कम अनुमान लगाया गया। कुल संसाधनों की उपलब्धता का एक सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने के लिए 2008-09 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियां **तालिका 1.3** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.3: राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियां

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरण (विभाग)	कार्यक्रम /योजना का नाम	1 अप्रैल 2008 को को प्रारम्भिक शेष	2008-09					31 मार्च 2009 को अन्त शेष
				केन्द्र का अंश	राज्य का अंश	विविध	वर्ष के दौरान कुल प्राप्तिया	वर्ष के दौरान व्यय	
1.	स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	राजीव गांधी शिक्षा मिशन	583.90	811.74	462.17	5.00	1,278.91	1,351.43	511.38
2.	स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	प्रारम्भिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम	35.75	19.47	17.29	0.75	37.51	127.06	-53.80
3.	स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	कस्तूरवा गांधी बालिका विद्यालय	27.45	24.48	3.68	0.50	28.66	52.44	3.67
4.	नवीन तथा पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा मंत्रालय	म.प्र.ऊर्जा विकास निगम मर्यादित	3.60	6.60	--	--	6.60	8.79	1.41
5.	ग्रामीण विकास विभाग	म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	699.36	1,843.70	37.32	51.15	1,932.17	2,199.21	432.32
6.	वाणिज्य विभाग	म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित	--	0.46	--	--	0.46	--	0.46
7.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	आर सी एच/एन आर एच एम इम्यूनाइजेशन	0.40	4.79	0.90	--	5.69	4.79	1.30
8.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	0.55	2.73	--	0.18	2.91	1.71	1.75
9.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	एकीकृत रोग परियोजना	3.80	--	0.60	0.08	0.68	2.08	2.40
10.	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	2.18	8.10	--	0.10	8.20	8.04	2.34
		योग	1,356.99	2,722.07	521.96	57.76	3,301.79	3,755.55	903.23

(स्त्रोत : महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिये राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त निधियों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 2008 को 1357 करोड़ रुपये का आरम्भिक शेष था। 2008-09 के दौरान इन अभिकरणों ने 3302 करोड़ रुपये (केन्द्रीय अंशदान 2722 करोड़ रुपये, राज्य का अंशदान 522 करोड़ रुपये तथा अन्य 58 करोड़ रुपये) प्राप्त किये और 31 मार्च 2009 को 903 करोड़ रुपये का अन्त

शेष छोड़ते हुये 3756 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया। 2008-09 के दौरान राज्य की प्राप्तियां तथा व्यय के साथ ही उनसे उत्पन्न अन्य राजकोषीय मात्रा/ पैरामीटर का उक्त सीमा तक अनुमान कम लगाया गया। इन अभिकरणों की 2008-09 के दौरान प्राप्तियां तथा व्यय के प्रभाव पर विचार करने पर राजस्व अधिशेष कम होगा और राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे में 454 करोड़ रुपये की सीमा तक वृद्धि होगी। 2008-09 के दौरान मुख्य प्राप्तियां तथा व्यय राजीव गांधी शिक्षा मिशन तथा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधीन पाए गए।

चूंकि ये निधियां राज्य सरकार के लेखाओं के माध्यम से प्रेषित नही की गई इसलिए संघ सरकार से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का सीधा अन्तरण लेखाओं के संधारण में तथा इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग में चूक की जोखिम बढ़ाता है। इन समस्त अभिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली एक समान लेखाकरण पद्यति के अभाव में उक्त कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय की स्थिति के विषय में उचित प्रलेखन तथा समय पर सूचना देने की प्रक्रिया सम्यक नहीं थी।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण पत्र-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के विवरण दिये गये है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर तथा कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण एंव भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित है। 2004-09 अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा रचना **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत किये गये है और **चार्ट 1.4** एवं **1.5** में भी प्रदर्शित किये गये है।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

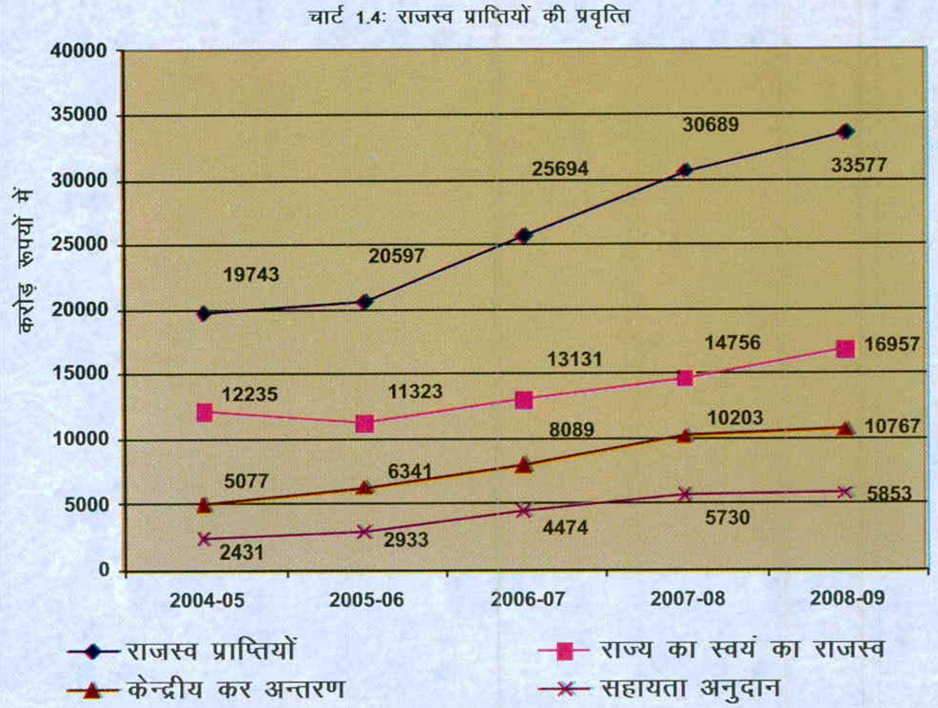

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखे)

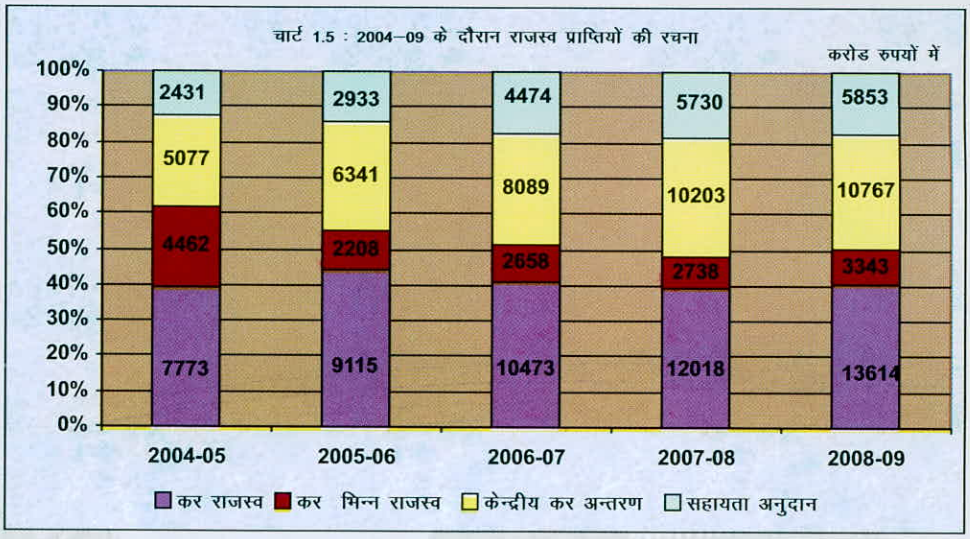

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2004-05 में 19743 करोड़ रुपये से 2008-09 में 33577 करोड़ रुपये तक 14.01 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से निरन्तर वृद्धि हुई जबकि 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 50.5 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों यथा कर एवं कर भिन्न राजस्व से प्राप्त हुआ था, शेष 49.5 प्रतिशत केन्द्रीय कर अन्तरण तथा सहायतानुदान दोनों को अंशदान से प्राप्त हुआ। राज्य के स्वयं के कर तथा कर भिन्न राजस्व सापेक्ष अशंदान 2004-09 की अवधि के दौरान सापेक्ष स्थिरता (कर भिन्न राजस्व के सम्बन्ध में 2004-05 को छोडकर) प्रदर्शित करता है जबकि केन्द्रीय कर अन्तरण तथा सहायता अनुदान 2008-09 को छोड़कर वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। 2008-09 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2888 करोड़ रुपये की कुल वृद्धि में 687 करोड़ (24 प्रतिशत) केन्द्रीय अन्तरण द्वारा और शेष 2201 करोड़ रुपये (76 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त हुए थे। सकल राज्य घरेलु उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्नांकित **तालिका 1.4** में दी गयी है।

तालिका 1.4: सकल राज्य घरेलु उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(रुपये करोड़ में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व प्राप्तियां	**19,743**	**20,597**	**25,694**	**30,689**	**33,577**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	38.17	4.33	24.75	19.44	9.41
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलु उत्पाद (प्रतिशत)	18.48	17.61	19.68	21.54	20.66
उत्प्लावकता अनुपात[4]					
सकल राज्य घरेलु उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	9.89	0.46	2.12	2.13	0.67
सकल राज्य घरेलु उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	3.75	1.82	1.28	1.61	0.95
राज्य के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	2.63	0.25	1.66	1.32	0.71

(स्रोत- सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखो और आर्थिक तथा सांख्यकीय संचालनालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी।)

सकल राज्य घरेलु उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियां संसाधनों की पर्याप्तता और राज्य की उन तक पहुंच की ओर इंगित करती हैं जिनमें 2004-05 में 18.48 प्रतिशत से 2007-08 में 21.54 प्रतिशत तक वृद्धि हुई परन्तु 2008-09 में 20.66 प्रतिशत तक कमी हुई।

राजस्व प्राप्तियों तथा राज्य के स्वयं करों की उत्प्लावकता में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियों तथा सरकार के स्वयं के करों दोनों में वृद्धि की दर गिरने और चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उच्चतर वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में 2008-09 में कमी आई। गत वर्ष की तुलना में 2008-09 में राज्य के स्वयं के करो की वृद्धि में लगभग 1.5 प्रतिशत की कमी सहित राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर से लगभग 10 प्रतिशत पॉइन्ट की तीव्र कमी के कारण चालू वर्ष में राज्य के स्वयं के करों के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता में गिरावट आई।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदानों में राज्य का भाग वित्त आयोग की अनुशंसाओं, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण, आयोजना योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आदि के आधार पर निश्चित किया जाता है इसीलिए अतिरिक्त संसाधनों के संघटन में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के करों तथा कर भिन्न संसाधन से प्राप्त राजस्व समाविष्ट करते हुए उसके स्वयं के संसाधनों के अनुसार किया जाना चाहिए। 2004-05 से 2008-09 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में मुख्य करों एवं शुल्कों तथा कर भिन्न प्राप्तियों के घटकों के सम्बन्ध में सकल संकलन उनके संकलन पर किया गया व्यय और सकल संकलन के लिए ऐसे व्यय का प्रतिशत साथ ही सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत **परिशिष्ट 1.5** में दिये गये हैं।

---

4 उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिए 0.6 पर राजस्व परिवर्तनशीलता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

2008-09 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता 2007-08 के लिये अखिल भारतीय औसत से विचारणीय रूप से उच्च थी (इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है) जबकि विक्रय, व्यापार पर कर के लिये संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2007-08 के लिए अखिल भारतीय औसत के साथ तुलनीय थे। राज्य आबकारी के प्रकरण में संग्रहण की लागत पर अधिक व्यय का कारण यह है कि विभाग बजट प्रावधान से निर्माता को शराब के मूल्य की लागत का भुगतान करता है, 2008-09 के दौरान जिसका व्यय 398.56 करोड़ रुपये था। 2008-09 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर कर की, राज्य आबकारी, अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योगों एवं वानिकी और वन्य जीवन पर कर के सम्बन्ध में सकल संग्रहण बजट अनुमान की अपेक्षा अधिक था और वाहनों पर कर के सम्बन्ध में सकल सग्रहण मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अधीन प्राप्तियों के कारण तथा गैर न्यायालयीन मुद्रांक एवं पंजीयन फीस के अधीन मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन शुल्क के कारण बजट अनुमान की अपेक्षा कम था। कार्यचालन तथा संधारण व्यय(कार्यचालन तथा संधारण व्यय की तुलना में करभिन्न राजस्व प्राप्तियों का अनुपात) की वसूली लागत का चालू कर स्तर, शिक्षा के लिये 46.84, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 4.10, जल आपूर्ति, सफाई आवास तथा शहरी विकास के लिये 0.24, कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 109.16, विद्युत के लिये नगण्य, सिचांई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिये 1.14 तथा परिवहन के लिए 0.01 था। यह इंगित करता है कि जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास, विद्युत तथा परिवहन क्षेत्रों पर परिचालन तथा संधारण व्यय इन क्षेत्रों में कर भिन्न राजस्व की अपेक्षा अधिक था।

कर राजस्व

2008-09 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे विक्रय, व्यापार आदि पर कर का प्रमुख योगदान (50 प्रतिशत) था जिसका अनुसरण राज्य आबकारी (17 प्रतिशत), मुद्रांक तथा पंजीयन फीस (11 प्रतिशत), माल तथा यात्रियों पर कर (10 प्रतिशत), तथा वाहनों पर कर (6 प्रतिशत) ने किया। गत वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर कर में 13 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 24 प्रतिशत, माल तथा यात्रियों पर कर में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विद्युत पर कर तथा शुल्क में 45 प्रतिशत एवं मुद्रांक तथा पंजीयन फीस में 3.5 प्रतिशत की कमी हुई । विक्रय, व्यापार आदि पर करों के अधीन प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से 2006-07 मे वैट के आरम्भ होने के कारण हुई। राज्य आबकारी प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्प्रिंट (533 करोड़ रुपये) तथा विदेशी शराब तथा स्प्रिट (396 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई जिसे देशी किण्वित (फरमेन्टेड) शराब (210 करोड़ रुपये) तथा अवशिष्ट शीर्ष अन्य प्राप्तियों (268 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी ने आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया। माल तथा यात्रियों पर कर के अधीन 417 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः शीर्ष "स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर" के अन्तर्गत हुई। मुद्रांक तथा पंजीयन फीस में कमी शीर्ष "गैर न्यायालयीन मुद्रांक (50 करोड़ रुपये)" तथा "पंजीयन फीस (286 करोड रुपये)" में कम प्राप्तियों के कारण हुई जिसे शीर्ष न्यायालयीन मुद्राँक(283 करोड़ रुपये) के अधीन प्राप्तियों में वृद्धि के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। विद्युत पर कर एवं शुल्क में कमी मुख्य रूप से शीर्ष" विद्युत की खपत तथा विक्रय पर कर" (207 करोड़ रुपये) तथा अन्य प्राप्तियों (50

करोड रुपये) के अधीन हुई। निम्नांकित **तालिका 1.5**, 2004-09 के दौरान राज्य के कर राजस्व की रचना की प्रवृत्ति दर्शाता है।

तालिका संख्या 1.5 कर राजस्व

(करोड़ रुपये में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,913	4,508	5,261	6,045	6,843
राज्य आबकारी	1,193	1,370	1,547	1,854	2,302
मुद्रांक तथा पंजीयन फीस	789	1,009	1,251	1,532	1,479
वाहनों पर कर	489	556	634	703	773
भू-राजस्व	47	77	132	129	339
माल तथा यात्रियों पर कर	468	579	745	916	1,333
अन्य कर	874	1,016	903	839	545*
योग	7,773	9,115	10,473	12,018	13,614

***अन्य करों में विद्युत पर कर तथा शुल्क (343 करोड़ रुपये)आय तथा व्यय पर अन्य कर (172 करोड रुपये), वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (20 करोड़ रुपये) तथा होटल प्राप्तियों पर कर (10 करोड रूपये) सम्मिलित है।**
(स्त्रोत : सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखे)

कर भिन्न राजस्व

कर भिन्न राजस्व 2007-08 में 2738 करोड रुपये से बढ़कर 2008-09 में 3343 करोड़ रुपये हो गया । इस प्रकार इसमें 605 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (305.22 करोड़ रुपये), अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग (235.69 करोड़ रुपये) तथा वानिकी एवं वन्य जीवन (76.71 करोड़ रुपये) के अधीन प्राप्ति के कारण हुई जिसे ब्याज प्राप्तियों में 43.78 करोड़ रुपये की कमी ने आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया। 2008-09 के दौरान 3343 करोड़ रुपये के कर भिन्न राजस्व में ऋण राहत के 363.06 करोड़ रुपये सम्मिलित है और इस प्रकार वस्तुतः नकद आधारित कर भिन्न राजस्व 2980 करोड़ रुपये था। कर भिन्न राजस्व स्त्रोतों में से अलौह खनन तथा धातुकर्मीय उद्योग (41 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्य जीवन (21 प्रतिशत), विविध सामान्य सेवाएं जिसमें चालू वर्ष के लिये प्राप्त 363.06 करोड़ रुपये के ऋण अपलेखन की प्रविष्टि सम्मिलित है (11 प्रतिशत), क्रीडा, कला एवं संस्कृति (10 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ (सात प्रतिशत) 2008-09 के दौरान प्रमुख अंशदाता थे।

2008-09 के दौरान बारहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में राज्य सरकार के कर राजस्व तथा करभिन्न राजस्व के अधीन वास्तविक प्राप्तियां निम्नांकित **तालिका 1.6** में दी गई है।

तालिका 1.6: करभिन्न राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

	बाहरवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में राज्य सरकार का लक्ष्य	वास्तविक
कर राजस्व	13,526	14,214	13,614
कर भिन्न राजस्व	2,957	3,018	3,343

(स्त्रोत- सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन 2008-09 के दौरान विधानसभा के सामने रखा गया विवरण पत्र और बाहरवे वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2005-10)

कर राजस्व के अधीन वास्तविक बसूली बाहरवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक थी (0.65 प्रतिशत) परन्तु मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र के लक्ष्य से कम (4.22 प्रतिशत) थी। यद्यपि वास्तविक कर भिन्न राजस्व बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तथा मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में दिये लक्ष्यों की तुलना में अधिक था तथापि अधिक संग्रहण मुख्य रूप से शीर्ष "विविध सामान्य सेवाएं" के अधीन प्राप्तियों के रूप में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अन्तर्गत प्राप्त 363.06 करोड़ रुपये के ऋण अपलेखन की विपरीत प्रविष्टि के कारण था।

1.3.2 करापवंचन, अपलेखन /अधित्याग के कारण राजस्व की हानि

31 मार्च 2009 को करापवंचन के लगभग 8379 प्रकरण (विक्रय करः 467, राज्य आबकारीः 38 तथा मुद्रांक तथा पंजीयन फीसः 7874) लम्बित थे जबकि 26.67 करोड़

रूपये के 1671 वापसी प्रकरण विक्रय कर, राज्य आबकारी तथा मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस विभागों द्वारा यथा सूचित 2008-09 के अन्त में बकाया थे। बकाया वापसी प्रकरणों के विवरण निम्नांकित **तालिका 1.7** में दिये गये हैं।

तालिका 1.7: करापवंचन, अपखेलन / अधित्याग तथा वापसी के कारण राजस्व की हानि

शीर्ष	प्रकरणों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
राज्य आबकारी	47	9.22
विक्रय कर	653	15.70
मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस	971	1.75
योग	**1671**	**26.67**

(स्रोत - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्व प्राप्ति 2008-09)

गत वर्ष की तुलना में वर्ष के अन्त में करापवंचन तथा वापसी प्रकरणों के सम्बन्ध में समस्त तीन शीर्षों के अधीन लम्बित प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई। यदि इन प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया होता तो राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि हुई होती।

2008-09 के दौरान विक्रय कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियों वन प्राप्तियों तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की की गई नमूना जांच से 296745 प्रकरणों में 2342.15 करोड रुपये के राजस्व का कम निर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभाग ने 77791 प्रकरणों में 804.20 करोड़ रुपये के कम निर्धारण तथा अन्य हानि स्वीकार की। विभिन्न वर्षो से सम्बन्धित 1426 प्रकरणों में 18.95 करोड़ रुपये की एक राशि वसूल की गई थी।

1.3.3 राजस्व बकाया

2008-09 के दौरान न्यायालय में मुकदमों के कारण लम्बित बकाया प्रकरणों सहित राजस्व के बकाया प्रकरणों की विभाग वार स्थिति **तालिका 1.8** में दी गई है।

तालिका 1.8: 2008-09 के दौरान राजस्व के बकाया प्रकरणों की विभागवार स्थिति

(करोड़ रुपयों में)

क्र. स.	विभाग	राजस्व का बकाया	पांच वर्षो से अधिक समय हेतु राजस्व का बकाया	न्यायालय में लम्बित राजस्व के बकाया प्रकरण	अन्य मदों के राजस्व के बकाया प्रकरण
1.	परिवहन (वाहनो पर कर)	31.17	जानकारी प्रेषित नहीं की गई	--	--
2.	राज्य आबकारी	59.60	55.49	--	--
3.	विद्युत	19.72	13.86	3.09	16.63
4.	विक्रय कर	546.04	424.29	44.43	501.61
5.	खनन	12.19	12.19	--	--
6.	सहकारिता	9.23	5.51	--	--
7.	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन	87.50	21.69	--	--
	योग	**765.45**	**533.03**	**47.52**	**518.24**

(स्रोत - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्व प्राप्ति 2008-09)

31 मार्च 2009 को राजस्व की बकाया राशि (**तालिका 1.8** में दी गई है) 765.45 करोड़ रुपये थी जिसमें 533.03 करोड रुपये (परिवहन विभाग से सम्बन्धित राशि छोड़कर) पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया थे। 2008-09 के अन्त में अन्य विभागों से सम्बन्धित राजस्व के बकाया की स्थिति सरकार ने प्रेषित नहीं की (अक्टूबर 2009)। संग्रहण के लिये लम्बित बकाया की स्थिति भी विभागों ने प्रेषित नहीं की (अक्टूबर 2009)।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन की स्थिति के विश्लेषण का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख व्यय उत्तरदायित्व उसे सौंपे गये है। राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून की संरचना के भीतर घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय करने में बजटीय रुकावटे है इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चलने वाली राजकोषीय पुनरीक्षण तथा समेकन प्रक्रिया व्यय के लागत पर नहीं है विशेष रूप में विकास तथा सामाजिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष व्यय।

1.4.1 व्यय की वृद्धि तथा रचना

चार्ट 1.6 पांच वर्षो की अवधि (2004-09) ने कुल व्यय की प्रवृत्ति दर्शाती है। उनकी रचना "आर्थिक वर्गीकरण" तथा "गतिविधियों" द्वारा व्यय दोनों क्रमशः **चार्ट 1.7** एवं **1.8** में प्रदर्शित किये गये है।

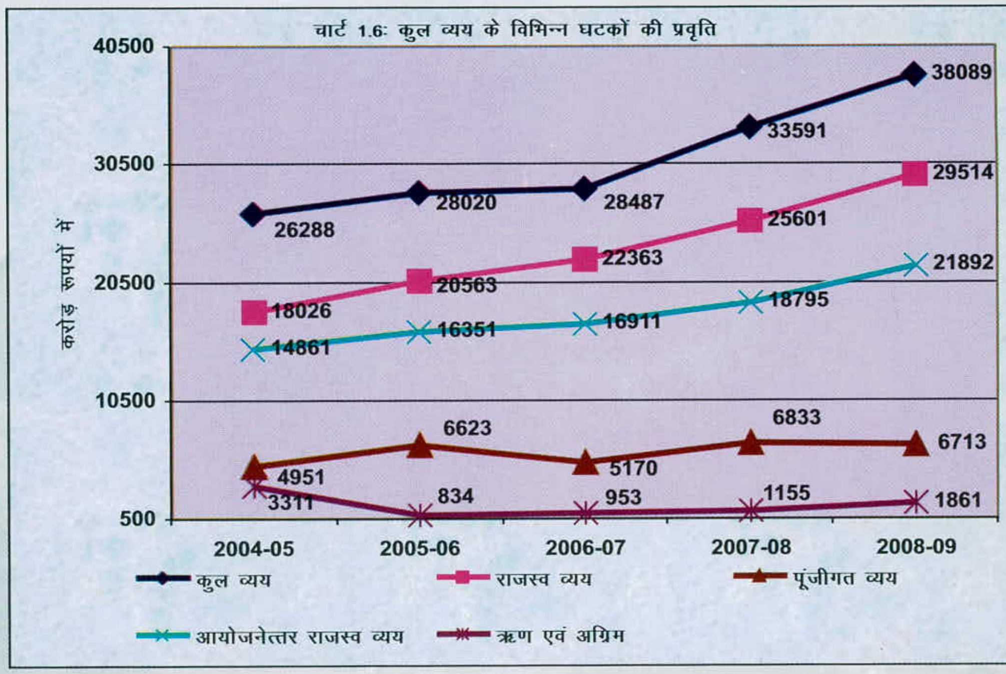

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखे)

2004-09 के दौरान राज्य के कुल व्यय में नौ प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि से 26288 करोड़ रुपये से 38089 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई। 2004-09 अवधि के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में क्रमशः 1762 करोड़ रुपये (36 प्रतिशत) तथा 11488 करोड़ रुपये (64 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई। ये रूझान प्रकट करते है कि पांच वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में वृद्धि 1:6.5 के अनुपात में हुई।

कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में अन्तर्वर्षीय भिन्नता के साथ 2004-05 में 69 प्रतिशत से 2008-09 में 77 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और इन घटकों ने राज्य सरकार के कुल व्यय के प्रमुख भाग में योगदान जारी रखा। कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय में अन्तर्वर्षीय भिन्नता के साथ 2004-05 में 19 प्रतिशत से 2008-09 में 18 प्रतिशत तक तदनुरूपी कमी आई । आयोजना तथा अयोजनेत्तर व्यय के अनुसार गत वर्ष की तुलना में आयोजना व्यय में 1039 करोड रुपये तक वृद्धि हुई और आयोजनेत्तर व्यय में 3459 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल व्यय में 4498 करोड़ रुपये (13.39 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में 3913 करोड़ रुपये की वृद्धि, अन्तर्राज्यीय निराकरणों सहित ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 705 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 120 करोड़ रुपये की कमी के कारण हुई। 2008-09 में 120 करोड़ रुपये तक पूंजीगत व्यय में कमी, मुख्य रूप से सड़क एवं पुल (228 करोड़ रुपये), मध्यम सिंचाई (95 करोड़ रुपये), लघु सिंचाई (68 करोड़ रुपये), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (43 करोड़ रुपये), तथा उद्योग तथा खनिज पर अन्य पूंजीगत परिव्यय (128 करोड़ रुपये), में कमी के कारण हुई जिसे शिक्षा, क्रीडा , कला एवं संस्कृति (100 करोड रुपये), वृहद सिंचाई (285 करोड रुपये), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (37 करोड़

रुपये), तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ावर्ग का कल्याण (34 करोड़ रुपये) के अधीन वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

2004-05 में 133 प्रतिशत से 2008-09 में 113 प्रतिशत तक कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियों के घटते हुए अनुपात से कुल व्यय के वित्त पोषण के लिये राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ता हुआ विश्वास और उधार ली गई निधियों पर घटती हुई निर्भरता प्रकट हुई। यह 2004-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात में कमी की प्रवृत्ति द्वारा भी प्रतिबिम्बित होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कुल व्यय का उत्प्लावकता अनुपात, कुल व्यय की कम वृद्धि तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च्व वृद्धि के कारण 2007-08 में 1.96 से 2008-09 में 0.95 तक कम हुआ और राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों की कम वृद्धि के कारण 2007-08 में 0.92 से 2008-09 में 1.42 तक वृद्धि हुई।

चार्ट 1.7: कुल व्ययः उसके घटकों के अंश की प्रवृत्ति

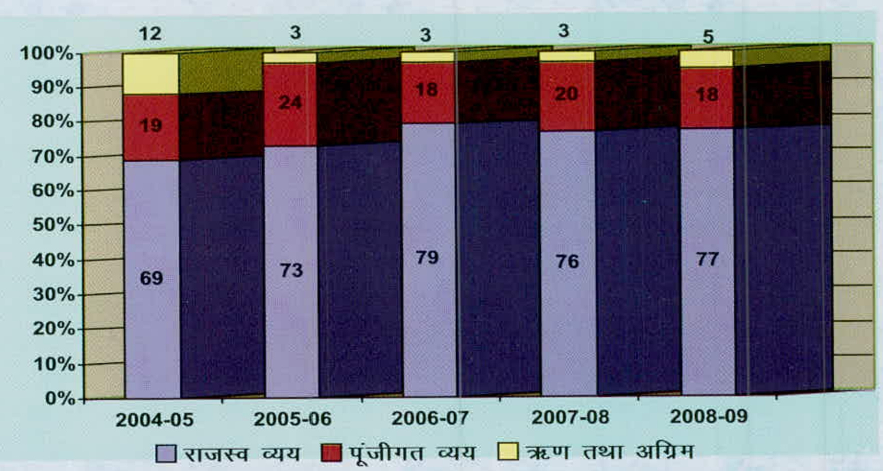

(स्रोतः- सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखे)

चार्टः 1.8 : कुल व्ययः गतिविधियों द्वारा रूझान

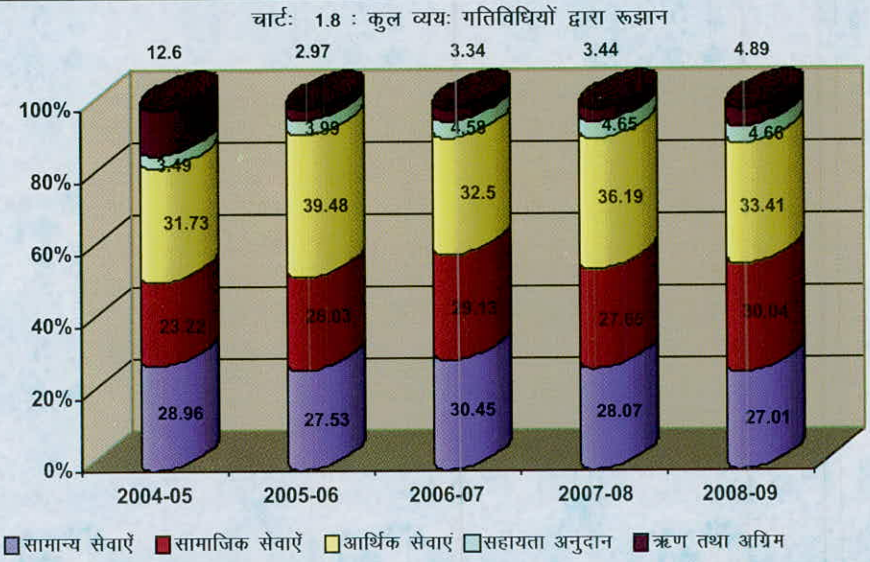

(स्रोतः- सम्बन्धित वर्षो के राज्य वित्त लेखे)

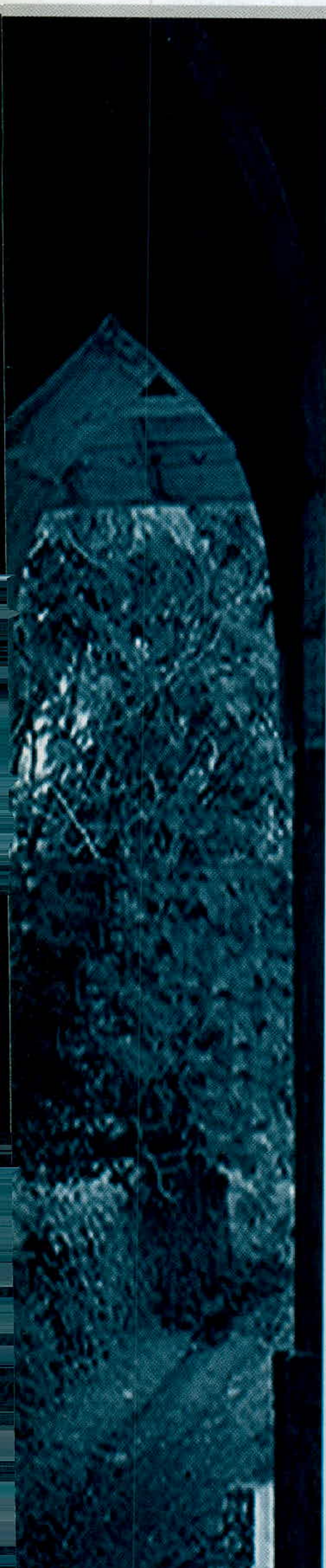

कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अंश में 2004-07 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जो 2007-08 में कमी तथा 2008-09 में सीमान्त वृद्धि के साथ दृष्टिगत हुई। कुल व्यय की तुलना में ऋण तथा अग्रिमों के अंश में 2005-09 के दौरान वृद्वि की प्रवत्ति प्रकट हुई जबकि पूंजीगत व्यय में 2004-09 के दौरान अन्तर्वर्षीय भिन्नता के साथ कमी की प्रवृत्ति दृटिगत हुई। यह पाया गया कि कुल पूंजीगत व्यय का एक बड़ा अंश अवधि के दौरान आयोजना पूंजीगत व्यय था । 2008-09 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय का 96.87 प्रतिशत आयोजना पूंजी व्यय (6,503 करोड़ रुपये) था जो 2007-08 में 6,511 करोड़ रुपये के स्तर से आठ करोड रुपये तक घट गया।

अविकासीय व्यय के रूप में समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित) के अंश में 2004-09 अवधि में 28.96 से 27.01 प्रतिशत तक सीमान्त कमी आई जबकि सामाजिक सेवाओं के अंश मे 2004-09 अवधि में 6.82 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंश में वृहद अन्तरवर्षीय भिन्नताओं के साथ 2004-05 में 31.73 प्रतिशत से 2008-09 में 33.41 प्रतिशत तक सीमान्त वृद्धि दृष्टिगत हुई। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं दोनों को समाविष्ट करते हुये विकास व्यय में 2007-08 में 63.84 प्रतिशत से 2008-09 में 63.45 प्रतिशत मात्र तक सीमान्त कमी आई। सहायता अनुदान तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंश में 2004-09 अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

राज्य के सम्पूर्ण राजस्व व्यय में 2004-05 में 18026 करोड़ रुपये से 2008-09 में 29514 करोड़ की वृद्धि हुई जो इस अवधि में 64 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करती है। 2008-09 के दौरान 3913 करोड रुपये (15.28 प्रतिशत) के राजस्व व्यय की कुल वृद्धि में से आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की राशि 3097 करोड़ रुपये (79 प्रतिशत) थी जबकि 816 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत) का व्यय आयोजना राजस्व शीर्षो के अधीन किया गया था। चालू वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा (805 करोड़ रुपये), पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ (469 करोड़ रुपये), खाद्य भण्डार तथा भण्डारण कार्य (441 करोड़ रुपये), विद्युत (322 करोड़ रुपये), पुलिस (249 करोड़ रुपये), स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा अभ्यर्पण (227 करोड़ रुपये), तथा राज्य आबकारी (109 करोड रुपये), पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई जिसे वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (100 करोड़ रुपये), पर व्यय में कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। बारहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की तुलना में वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय **तालिका 1.9** में दिये गये है।

तालिका सख्या 1.9: राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बारहवे वित्त आयोग द्वारा किया गया निर्धारण	मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2006-07	14,173	17,347	16,911
2007-08	16,478	19,113	18,795
2008-09	17,819	23,245	21,892

(स्रोतः- सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे और बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अनिधियम के अधीन निर्दिष्ट विवरण पत्र)

2008-09 में 21892 करोड़ रुपये का वास्तविक आयोजनेत्तर राजस्व व्यय बारहवे वित्त आयोग के प्रारम्भिक रूप से निर्धारित स्तर से अधिक (22.9 प्रतिशत) था परन्तु राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य से (5.8 प्रतिशत) कम था । बारहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में मुख्य रूप से ब्याज भुगतान (148 करोड रुपये), ब्याज भुगतान छोड़कर सामान्य सेवाओं (1242 करोड़ रुपये), सामाजिक सेवाओं (842 करोड रुपये), तथा आर्थिक सेवाओं (2400 करोड़ रुपये), के अधीन वृद्धि हुई।

आयोजना राजस्व व्यय जिसमें 2004-09 के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, में चालू वर्ष के दौरान 11.99 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। 2008-09 में आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा (317 करोड रुपये), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (252 करोड रुपये), ग्रामीण रोजगार (169 करोड़ रुपये), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (124 करोड़ रूपये), ग्रामीण विकास (109 करोड़ रूपये) तथा फसल अर्थव्यवस्था (103 करोड रुपये) के अधीन हुई जिसे ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (160 करोड रुपये) तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (197 करोड रूपये) के अधीन व्यय में कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजूदरी, पेंशन तथा आर्थिक सहायता पर व्यय समाविष्ट है **तालिका 1.10** तथा **चार्ट 1.9**, 2004-2009 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते है।

तालिका 1.10: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(करोड़ रुपयों में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 बजट अनुमान	2008-09 वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी जिससे से	6,545 (33.15)	6,024 (29.25)	6,337 (24.66)	6,984 (22.76)	9,550 (27.76)	8,547 (25.45)
आयोजनेत्तर शीर्ष **	अनुपलब्ध	5,258	5,639	6,221	9,550	7,660
आयोजना शीर्ष	अनुपलब्ध	766	698	763	--	887
ब्याज भुगतान	3,661 (18.54)	3,422 (16.61)	4,029 (15.68)	4,191 (13.66)	4,490 (13.05)	4,192 (12.48)
पेंशनरों में व्यय	1,330 (7)	1,557 (8)	1,752 (7)	1,964 (6)	2,299 (7)	2,433 (7)
आर्थिक सहायताएं	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	141@ (0.46)	अनुपलब्ध	132@ (0.39)
योग	**11,536 (58)**	**11,003 (53)**	**12,118 (47)**	**13,280 (43)**	**16,339 (47)**	**15,304 (46)**

कोष्ठकों में आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं

** आयोजना शीर्ष में भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी सम्मिलित है

@ उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

(स्त्रोतः- सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

चार्ट 1.9: 2004–09 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश (प्रतिशत)

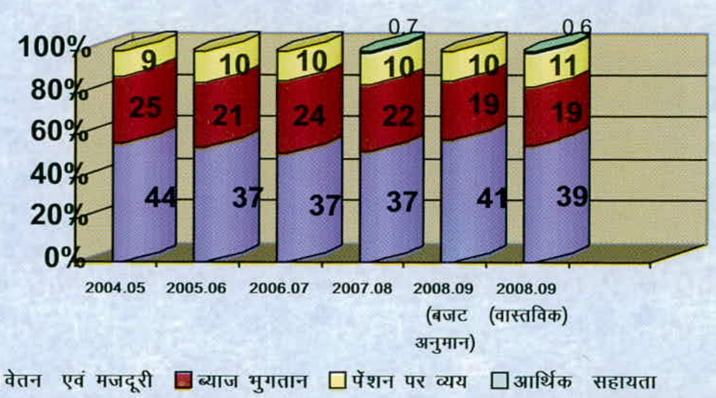

(स्त्रोतः- सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

सम्पूर्ण प्रतिबद्ध व्यय में 2004-09 के दौरान 33 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उसमें 2008-09 को छोड़कर 2004-09 के दौरान कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। 2008-09 के दौरान इसमे राजस्व प्राप्तियों का 46 प्रतिशत समाविष्ट था और पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक था। परन्तु चालू वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा कम था। घटकों के अनुसार विश्लेषण निम्नानुसार है।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2004-05 में 6545 करोड़ रुपये से 2008-09 में 8547 करोड़ रुपये अर्थात 31 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 2004-09 के दौरान केवल 2008-09 को छोड़कर कमी की

प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अधीन वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में 23 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मध्य मंहगाई भत्ते की असमानता दूर करने के कारण हुई। 2008-09 में वेतन एवं मजदूरी पर 8547 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में निर्धारित लक्ष्य (9550 करोड रुपये) की अपेक्षा कम था। ब्याज भुगतान और पेंशन को छोड़कर निवल राजस्व व्यय की तुलना में वेतन बिल, 37 प्रतिशत था जो कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 35 प्रतिशत के मानदण्ड की तुलना में अधिक था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान में 2007-08 में 1964 करोड़ रुपये से 2008-09 में 2433 करोड़ रुपये यथा 24 प्रतिशत तक वृद्धि मुख्य रूप से पेंशन भोगियों को दी गई महंगाई राहत में वृद्धि के कारण हुई। वृद्धि मुख्य रूप से अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (306 करोड रुपये), परिवार पेंशन (68 करोड रुपये) अवकाश नकदीकरण (23 करोड रुपये) तथा उपदान (23 करोड़ रुपये) के अधीन पाई गई। 2008-09 में 2433 करोड रुपये के वास्तविक पेंशन भुगतान मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में निर्धारित लक्ष्य 2299 करोड़ रुपये (5.8 प्रतिशत) तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2129 करोड़ रुपये (14.3 प्रतिशत) से अधिक थे।

ब्याज भुगतान

2008-09 के दौरान 4192 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 12.48 प्रतिशत और 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय के 14.20 प्रतिशत थे। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधियों हेतु जारी विशेष प्रतिभूति (1395 करोड रुपये), बाजार ऋण (1009 करोड़ रुपये), केन्द्र सरकार से उधार लिये गये ऋण (693 करोड़ रुपये), राज्य भविष्य निधियों (538 करोड़ रुपये), अन्य आन्तरिक ऋण (555 करोड रुपये) तथा ऋण प्रबन्धन (दो करोड़ रुपये) पर किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान ब्याज भुगतान में एक करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (44 करोड़ रुपये) तथा अन्य आन्तरिक ऋण (85 करोड़ रुपये) के अधीन वृद्धि का परिणाम था जिसे अन्य दायित्व (103 करोड़ रुपये), केन्द्र सरकार की राट्रीय लघु बचत निधियों हेतु जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (24 करोड़ रुपये) तथा केन्द्र सरकार से ऋण (एक करोड़ रुपये) के अन्तर्गत कमी करके आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। यह पाया गया कि 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान 12.48 प्रतिशत था जो बारहवे वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2009-10 तक प्राप्त किये जाने वाले मानदण्ड 15 प्रतिशत के भीतर था। वर्ष के दौरान प्रदत्त 4192 करोड रुपये के ब्याज भुगतान 4490 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से कम थे परन्तु 2008-09 के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 4044 करोड रुपये से अधिक थे।

आर्थिक सहायताएं: राज्य के बजट की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता के लिये एक पृथक उद्देश्य शीर्ष परिचालित / खोला नहीं था। आर्थिक सहायता की राशि उद्देश्य शीर्ष" सहायता अनुदान के अधीन सम्मिलित की जाती है जिसमें

आधार संरचना पर व्यय, संधारण अनुदान, विवेकाधीन अनुदान, सहायता प्राप्त अनुदान, जनसंपर्क यात्राओं के लिये अनुदान, आर्थिक सहायता तथा अन्य (आर्थिक सहायता जिसमे सम्मिलित है) समाविष्ट है। चूंकि राज्य के बजट में आर्थिक सहायता के लिये कोई पृथक उद्देश्य शीर्ष उपलब्ध नहीं था इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता की वास्तविकता राशि का पृथककरण संभव नहीं था। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2009-10 से आर्थिक सहायता के पृथक उदेदश्य शीर्ष खोलने हेतु सहमत थी तथापि 2008-09 के वित्त लेखे से 2008-09 के दौरान 132 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान होना प्रकट हुआ (कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां 54 करोड़ रुपये और विद्युत 78 करोड़ रुपये)।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्यों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 1.11** में दी गई हैं ।

तालिका 1.11: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

संस्थाओं की वित्तीय सहायता	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	बजट अनुमान	वास्तविक
शैक्षणिक संस्थाए (सहायता प्राप्त स्कूल महाविद्यालय तथा विद्यालय)	158.74	133.37	235.09	166.76	191.49	161.99
नगर निगम तथा नगर पालिकाएं	320.61	1027.34	1499.61	1872.65	1903.55	1880.40
जिला परिषदें तथा अन्य पंचायती राज संस्थाएं	437.82	685.98	736.45	885.87	951.97	756.21
विकास अभिकरण	7.33	2.00	5.91	6.81	14.64	13.00
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	8.67	7.14	6.49	7.29	8.12	7.29
अन्य संस्थाएं	170.90	311.43	470.46	603.38	1049.24	965.00[5]
योग	1,104.07	2,167.26	2,954.01	3,542.76	4,119.01	3,783.89
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार वित्तीय सहायता	6.12	10.54	13.20	13.84	13.05	12.82

(स्त्रोतः विभिन्न विभागों से एकत्रित जानकारी)

स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के वित्तीय सहायता में 2007-08 में 3542.76 करोड़ रुपये से 2008-09 में 3783.89 करोड़ रुपये तक 241.13 करोड रुपये की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से नगर निगमों (7.75 करोड रुपये), विकास अभिकरणों (6.19 करोड रुपये) तथा अन्य संस्थाओं(361.62 करोंड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई जिसे शैक्षणिक संस्थाओं के अन्तर्गत 4.77 करोड रुपये तथा जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत 129.66 करोड रुपये की कमी करके आशिंक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

5. मुख्य रूप से खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण (540.91 करोड़ रुपये), टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (154.42 करोड़ रुपये), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (75.67 करोड़ रुपये), कृषक कल्याण तथा कृषि विकास (54.60 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति विकास (41.66 करोड़ रुपये), सहकारिता तथा सहकारी समितियां (38.70 करोड़ रुपये), संस्कृति (16.06 करोड रुपये), हथकरघा (10.01 करोड रुपये), पर्यावरण नियोजन तथा समन्वयन संगठन (9.32 करोड़ रुपये), क्रीडा युवा कल्याण (8.65 करोड रुपये) तथा अन्य (15 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

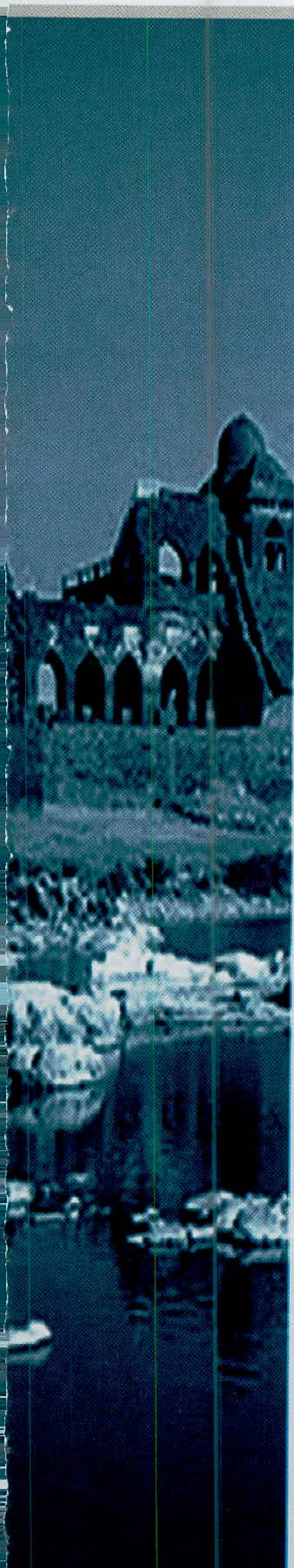

अन्य संस्थाओं के अन्तर्गत 361.62 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग (455.40 करोड़ रुपये) से सम्बन्धित योजना 5623- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये नवीन योजनाएँ (233.59 करोड़ रुपये) तथा योजना 5624- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न की अधिप्राप्ति के लिये योजनाएँ (233.35 करोड़ रुपये) के आरंभ करने के कारण हुई जिसे गत वर्ष की तुलना में 2425- सहकारिता तथा 6425- सहकारिता के लिये ऋण के अधीन कम प्रावधान के कारण सहकारी समितियों के अन्तर्गत 97.96 करोड़ रुपये की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन 129.66 करोड़ रुपये की कमी जल आपूर्ति तथा सफाई के लिये संसाधनों के रखरखाब (82.52 करोड़ रुपये) तथा ग्राम पंचायतों को न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं (83.61 करोड रुपये) आदि योजनाओं के अधीन कम व्यय के कारण हुई जिसे मुख्य रूप से " योजना" पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित प्रभार " के अधीन 42.24 करोड़ रुपए की वृद्धि द्वारा आशिंक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

4119.01 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के विरूद्ध वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 3783.89 करोड़ रुपये की एक राशि प्रदान की गई थी। 2008-09 मे बजट अनुमान की तुलना में व्यय में कमी मुख्य रूप से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (56.10 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों की कम मांग के कारण तथा पंचायती राज संस्थाओं (192.76 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत भारत सरकार/वित्त विभाग द्वारा द्वितीय किश्त उन्मोचित न किये जाने, वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत आर्थिक कटौती और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजनेत्तर बजट के पूर्व वितरण के कारण होना पाया गया।

राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता में 2007-08 में 13.84 से 2008-09 में 12.82 तक कमी हुई जो 13.05 के बजट अनुमान से कम थी।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अपेक्षाकृत अच्छी सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उसके व्यय की गुणवत्ता प्रतिविम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूलभूत रूप से तीन पक्ष यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात लोक सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा प्रभावशीलता (परिव्यय का निर्धारण - चयनित सेवाओं के लिये परिणामगत सम्बन्ध) समाविष्ट होते हैं।

1.5.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अधोसंरचना से सम्बन्धित व्यय उत्तरदायित्व विस्तृत रूप से राज्य सरकार को सौपें गये है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय में वृद्धि की आवश्यकता होती है । किसी विशेष राज्य द्वारा किसी क्षेत्र पर व्यय का अल्प स्तर या तो राज्य सरकार द्वारा आरोपित अल्प राजकोषीय प्राथमिकता अथवा राज्य सरकार की अल्प राजकोषीय क्षमता के कारण अथवा दोनों के साथ-साथ कार्य करने के कारण हो सकता है। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय

की तुलना में व्यय संवर्ग का अनुपात) विशेष क्षेत्र से संबंधित होती है यदि वह सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे होती है जबकि अल्प राजकोषीय क्षमता उस समय प्रतिविम्बित होगी जब राजकोषीय प्राथमिकता जो राष्ट्रीय औसत से अधिक या बरावर है, दोनों के उपरान्त भी राज्य का प्रतिव्यक्ति व्यय राष्ट्रीय औसत से कम हो **तालिका 1.12** में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.12: 2005-06 तथा 2008-09 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय /सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय
समस्त राज्य/ राष्ट्रीय औसत* (अनुपात) 2005-06	19.51	61.45	30.42	14.13
मध्यप्रदेश का औसत अनुपात 2005-06	24.36	40.92	23.22	18.83
समस्त राज्य /राष्ट्रीय औसत* (अनुपात) 2008-09	19.86	65.38	33.49	17.62
मध्यप्रदेश का औसत* (अनुपात)2008-09	23.44	63.44	30.04	17.62
राज्य की राजकोषीय क्षमता	विकास व्यय#	सामाजिक क्षेत्र व्यय	पूंजीगत व्यय	
समस्त राज्यों का औसतप्रति व्यक्ति व्यय 2005-06	3,010	1,490	692	
2005-06 में मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रुपयो में)	1,635	928	752	
2005-06 में समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय** (राशि रूपयों में)	2,455	1,215	आवश्यक नहीं	
समस्त राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय 2008-09	5,377	2,755	1,449	
2008-09 में मध्यप्रदेश का प्रति व्यक्ति व्यय (राशि रूपयों में)	3,487	1,651	969	
2008-09 में समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय**(राशि रूपयों में)	3,594	1,841	आवश्यक नहीं	

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

** **परिशिट 1.2 भाग -क** में स्पष्ट की गई प्रणाली के अनुसार परिगणित

मध्यप्रदेश की जनसंख्या 2005-06 में 6.58 करोड और 2008-09 में 6.93 करोड़

विकास व्यय में विकास सम्बन्धी राजस्व व्यय, विकास सम्बन्धी पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित हैं।

स्रोतः- (1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये जानकारी राज्य के आर्थिक एवं साख्यकीय संचालनालय से एकत्रित की गई थी

(2) जन संख्या के आंकड़े महा पंजीयक तथा जनगणना आयुक्त, भारत के 2001-2026 के अनुमान से लिये गये है।

(website: http://www.censusindia.gov.in)

(3) आवश्यक नहीः समायोजन आवश्यक नहीं है क्योंकि राज्य द्वारा पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दी जा रही है ।

तालिका 1.12 में हम 2005-06 में (बारहवें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का प्रथम वर्ष) और चालू वर्ष 2008-09 में मध्यप्रदेश को व्यय के विभिन्न संवर्गों हेतु दी गई राजकोषीय प्राथमिकता और राजकोषीय क्षमता की तुलना कर रहे है ।

राजकोषीय प्राथमिकता

2005-06 एवं 2008-09 में राज्य सरकार ने कुल व्यय तथा पूंजीगत व्यय को पर्याप्त राजकोषीय प्राथमिकता दी क्योंकि कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा पूंजीगत व्यय/कुल व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से उच्च था तथापि विकास व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र के व्यय हेतु दी गई प्राथमिकता 2005-06 एवं 2008-09 दोनों वर्षो में पर्याप्त नही थी क्योंकि मध्य प्रदेश के लिये विकास व्यय/कुल व्यय अनुपात (40.92 तथा 63.44 प्रतिशत) और सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय अनुपात (23.22 प्रतिशत एवं 30.04 प्रतिशत) समस्त राज्यों की औसत विकास व्यय (61.45 तथा 65.38 प्रतिशत) एवं सामाजिक क्षेत्र के व्यय (30.42 तथा 33.49 प्रतिशत) से कम था ।

राजकोषीय क्षमता

2005-06 में पूंजीगत व्यय का प्रति व्यक्ति व्यय, 692 रूपये के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति व्यय की तुलना में 752 रूपये था जो कि राष्ट्रीय औसत से उच्च था परन्तु विकास व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र के व्यय, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम थे। 2008-09 में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय, तथा पूंजीगत व्यय (क्रमशः 3487 रूपये, 1651 रूपये, तथा 969 रूपये) का प्रति व्यक्ति व्यय, राष्ट्रीय औसत आंकड़ो की अपेक्षा कम था जिससे राज्य की राजकोषीय क्षमता का कम होना प्रकट हुआ। यह दर्शाता है कि इन कुछ वर्षो में मध्य प्रदेश द्वारा प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय (देश के अन्य राज्यों की तुलना में) के रूप में उपयुक्त तुलनात्मक लाभ का चालू वर्ष में क्षय हो गया।

चूंकि 2008-09 में मध्य प्रदेश के लिये विकास व्यय/कुल व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम था इसलिये कम से कम राष्ट्रीय औसत तक विकास व्यय/कुल व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय अनुपात में वृद्धि के लिये समायोजन घटक प्रयुक्त किया गया। इस का परिगणन **परिशिष्ट 1.2** में दी गई प्रणाली के अनुसार किया गया। यह पाया गया कि समस्त संवर्गों यथा विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा पूंजीगत व्यय में प्रति व्यक्ति व्यय 2008-09 में राष्ट्रीय औसत से कम था जिससे राज्य में अपर्याप्त राजकोषीय क्षमता दृष्टिगत हुई।

1.5.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास सम्बन्धी शीर्षो पर लोक व्यय के महत्व के प्ररिपेक्ष्य में राज्य सरकार के लिये सम्यक व्यय यौक्तिकीकरण कार्यवाही करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक, स्वीकार्य आचरण[6] तथा उपयोगी पदार्थों के प्रावधान पर जोर डालना महत्वपूर्ण होता है। विकास व्यय[7] के लिये आबंटन में सुधार के अलावा, विशेष रूप से हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण सृजित हो रहे राजकोषीय फासले की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (तथा/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत व्यय के अनुपात और राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के कार्यचालन तथा संधारण पर व्यय द्वारा भी

---

6. *सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वीकार्य आचरण वह होता है जिनका सभी नागरिक इस अर्थ में मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग से किसी के अधिकार का उल्लधन नही होता उदाहणार्थ कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु तथा अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा पथ अधोसंरचना आदि। उपयोगी पदार्थ में वे वस्तुएं आती है जो सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क या घटी हुई दर पर प्रदाय करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज द्वारा उसे सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा की अपेक्षा आवश्यकता की कतिपय अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये इस लिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की कामना की जाती है। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण सहायता के लिये निर्धनों हेतु निःशुल्क अथवा घटी हुई दर पर खाद्यान्न का प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं से जीवन स्तर में सुधार तथा अस्वस्थता दर में कमी, सभी को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी तथा सफाई आदि सम्मिलित है।*

7. *व्यय के आंकड़ो का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय में पृथक कर किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित समस्त व्ययों की वर्गीकरण सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, तथा सामान्य सेवाओं में किया गया है। मौटे तौर पर सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय सम्मिलित है जब कि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय समझा जाता है।*

प्रतिविम्बित होती है । कुल व्यय तथा / अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में इन घटकों का अनुपात जितना उच्च होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी । **तालिका 1.13** बजटीकृत तथा पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है जब कि **तालिका 1.14** में चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण दिया गया है। **चार्ट 1.10** में 2004-09 के दौरान घटकों के अनुसार विकास व्यय दिया गया है ।

चार्ट 1.10: विकास व्यय के घटक

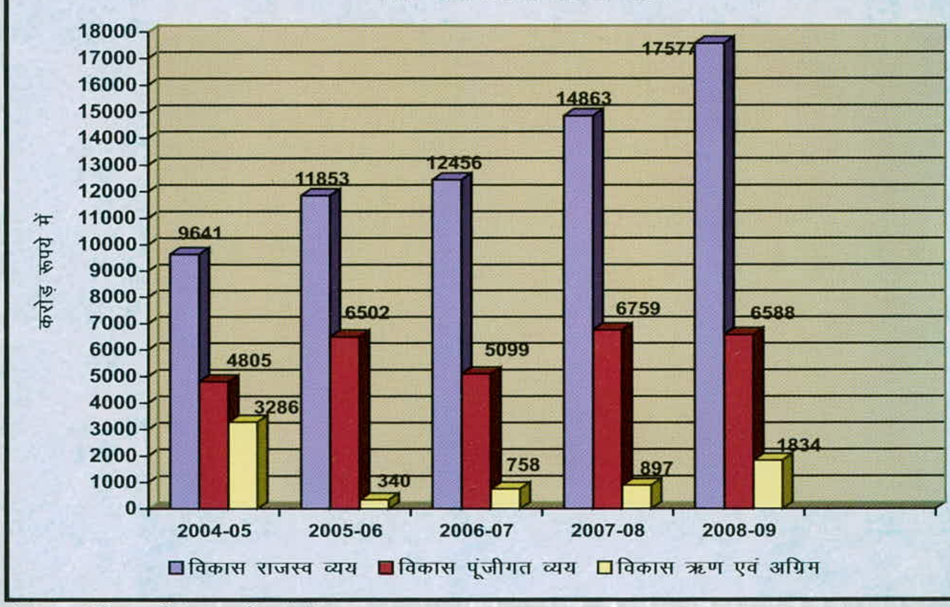

(स्रोत संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.13: विकास व्यय

(करोड़ रूपयों में)

विकास व्यय के घटक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग)	**17,732 (68)**	**18,695 (66)**	**18,314 (64)**	**22,339 (66)**	**26,107 (66)**	**25,999 (68)**
क. विकास राजस्व व्यय (क से ग)	9,641 (37)	11,853 (42)	12,457 (44)	14,683 (44)	18,666 (47)	17,577 (46)
ख. विकास राजस्व पूँजीगत व्यय	4,805 (18)	6,502 (23)	5,099 (18)	6,759 (20)	6,000 (15)	6,588 (17)
ग. विकास ऋण तथा अग्रिम	3,286 (13)	340 (1)	758 (3)	897 (3)	1,441 (4)	1,834 (5)

कोष्टक में दिये गये आंकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते है ।
(स्रोत - संबंधित वर्षों के राज्य वित लेखे)

तालिका 1.13, 2004-09 के दौरान राज्य के कुल व्यय की तुलना में विकास व्यय सम्बन्धी प्रवृति प्रस्तुत करती है जो 64 एवं 68 प्रतिशत के मध्य था । विकास राजस्व व्यय तथा ऋण तथा अग्रिम के अंश बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाते है जब कि विकास पूंजीगत व्यय 2004-09 की अवधि में उतार चढ़ाव प्रकट करते है । गत वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान विकास राजस्व व्यय के अंश में वृद्धि मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अधीन हुई जब कि ऋण तथा अग्रिम में वृद्वि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत थी । गत वर्ष की तुलना में

2008-09 के दौरान विकास पूंजीगत व्यय के अंश में कमी आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत हुई वह भी मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र में । 2008-09 के दौरान विकास राजस्व व्यय का अंश बजट अनुमान की तुलना में सीमान्त रूप से कम था जब कि पूंजी पर विकास व्यय बजट अनुमान से सीमान्त रूप से अधिक हुआ परन्तु पिछले वर्ष से कम रहा ।

तालिका 1.14: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2007-08			2008-09		
	कुल व्ययकी तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में निम्न का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में निम्न का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
सामाजिक सेवाएं शिक्षा, खेल,कला एवं संस्कृति	3.73	65.09	0.17	4.79	61.46	0.14
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	8.89	61.43	0.46	4.96	66.13	0.40
जल आपूर्ति, सफाई, गृह निर्माण तथा शहरी विकास	33.34	21.13	10.27	32.70	21.50	9.13
अन्य सामाजिक सेवाएं	10.29	11.87	0.24	10.58	12.07	0.11
योग (सामाजिक सेवाएं)	**11.85**	**44.43**	**1.34**	**11.09**	**43.88**	**1.13**
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बद्ध गति विधियां	3.13	47.51	0.43	1.65	42.25	0.26
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	83.68	73.70	15.55	83.34	81.78	9.23
विधुत तथा उर्जा	36.03	0.00	0.98	23.11	0.00	0.79
परिबहन	75.43	21.90	60.11	72.43	27.39	65.38
अन्य (आर्थिक सेवाएं)	23.28	8.21	0.35	18.83	10.60	0.50
योग (आर्थिक सेवाएं)	**44.19**	**23.76**	**6.96**	**36.95**	**24.97**	**6.29**
योग (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं)	**30.26**	**35.23**	**3.84**	**25.34**	**35.89**	**3.31**

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका 1.14 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंश में 2007-08 में क्रमशः 11.85 प्रतिशत तथा 44.19 प्रतिशत से 2008-09 में 11.09 प्रतिशत तथा 36.95 प्रतिशत तक कमी आई । सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र, तथा जल आपूर्ति सफाई, गृह निर्माण तथा शहरी विकास के अधीन आई जब कि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से विधुत तथा परिवहन क्षेत्रों में कमी आई। राजस्व व्यय में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अधीन वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2007-08 में 35.23 प्रतिशत से 2008-09 में 35.89 प्रतिशत तक सीमान्त वृद्धि हुई । कार्यचालन तथा रख रखाव के प्रकरण में मुख्य रूप से सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के कारण 2007-08 में 3.84 प्रतिशत से 2008-09 में 3.31 प्रतिशत तक व्यय में कमी आई । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय की तुलना में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अनुपात में कमी आई और कार्यचालन तथा रख रखाव पर राजस्व व्यय में भी गिरावट आई जिससे सेवा की गुणवत्ता में कमी दृष्टिगत हुई ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता का सम्मान करते हुए बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के अधीन आयोजनेत्तर वेतन व्यय में केवल पांच प्रतिशत से छः प्रतिशत तक वृद्धि करना चाहिये जबकि आयोजनेत्तर शीर्षों के आधीन गैर वैतनिक व्यय में अधिनिर्णय अवधि के दौरान 30 प्रतिशत तक वृद्धि करना चाहिये तथापि व्यय की प्रवृत्ति से प्रकट हुआ कि शिक्षा

के क्षेत्र में आयोजनेत्तर वेतन घटक में 2007-08 की तुलना में 22 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जब कि आयोजनेत्तर गैर वैतनिक घटकों में 49 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजनेत्तर वेतन घटक में 23 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जब कि आयोजनेत्तर गैर वैतनिक घटक में पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में 26 प्रतिशत तक कमी आई। शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र दोनों में बारहवें वित्त आयोग के मानदण्ड के अनुसार आगामी वर्षों में सुधार की आवश्यकता है।

1.6 शासकीय व्यय तथा निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन बुनियादी संरचना के बाद में राज्य द्वारा यह आशा की गई कि वह अपने राजकोषीय घाटे (तथा उधारियां) न केवल निम्न स्तर पर बनाए रखेगा अपितु अपने पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋण तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के लिये संक्रमण में राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने हेतु उपाय करने चाहिये और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों का मूल्य वसूल करना चाहिये साथ ही वित्तीय कार्यचालनों में पारदर्शिता पैदा करने के लिये आवश्यक पग उठाना चाहिये। यह अनुभाग पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निवेश और निर्णय लेकर आरम्भ किये गये अन्य पूंजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.6.1 निवेश तथा प्रतिलाभ

राज्य ने 31 मार्च 2009 **(तालिका 1.15)** तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी बैंकों एवं समितियों आदि में 9643.35 करोड़ रूपये का निवेश किया है। अन्तिम तीन वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.52 प्रतिशत था जब कि राज्य ने 2006-09 के दौरान उधारियों पर ब्याज की औसत दर (7.61 प्रतिशत) का भुगतान किया।

तालिका 1.15: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रति लाभ/	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उधारियों का मूल्य वर्ष के अन्त में निवेश (करोड़ रूपयों में)	4,151.65	6,965.99	8,161.71	8,844.99	9,643.35
प्रतिलाभ (करोड़ रूपयों में)	2.50	5.72	14.40	59.23	69.05
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.06	0.08	0.18	0.67	0.72
सरकार की उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.96	7.33	7.86	7.72	7.24
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	8.90	7.25	7.68	7.05	6.52

(टिप्पणी: 2008-09 के लिये बजट अनुमान के आंकड़े उपलब्ध नही है।)
(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

मार्च 2009 के अन्त में 9643.35 करोड़ रूपये के कुल निवेश में से 1082.58 करोड़ रूपये संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से सम्बन्ध रखते है परन्तु मध्य प्रदेश राज्य तथा छत्तीसगढ़ के मध्य बटवारा लम्बित होने के कारण मध्य प्रदेश ने उन्हें अपने पास रखा है {(सांविधिक निगम (411 करोड़ रूपये), सरकारी कम्पनियाँ (187.04 करोड़ रूपये)

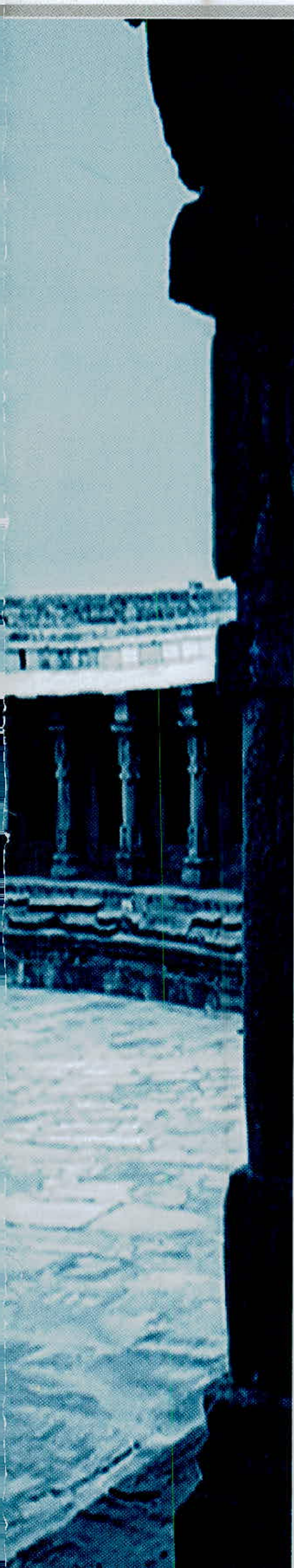

सहकारी बैंक तथा समितियां (483.00 करोड़ रूपये) तथा संयुक्त स्टॉक कम्पनियां (1.54 करोड़ रूपये)} । 2008-09 में इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.72 प्रतिशत था जब कि सरकार ने 2008-09 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.24 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया । पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 2008-09 में निवेश में वृद्धि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश विधुत मण्डल जबलपुर (318 करोड़ रूपये), गांरटीकृत ऋणों के निराकरण के लिये प्रावधान (160 करोड़ रूपये), मध्य प्रदेश विधुत मण्डल की उत्तराधिकारी कम्पनियों की पारेषण प्रणाली के निर्माण कार्य (137 करोड़ रूपये), कृषि सम्बन्धी उपयोग के लिये स्वतन्त्र फीडरों का प्रबन्ध (100 करोड़ रूपये) एवं मालवा ताप विधुत परियोजना (65 करोड़ रूपये) तथा मध्य प्रदेश वित्त निगम इन्दौर के 16.91 करोड़ रूपये के ऋण के निवेश में परिवर्तन के कारण हुई । मध्य प्रदेश विधुत मण्डल की उत्तराधिकारी कम्पनियों (3656 करोड़ रूपये), मध्य प्रदेश विधुत मण्डल जबलपुर (2486 करोड़ रूपये), सतपुड़ा/मालवा/अमरकंटक/बीर सिंह पुर ताप विधुत परियोजनाएं (616 करोड़ रूपये), नर्मदा नल विधुत विकास निगम (822 करोड़ रूपये) तथा मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर (319 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत प्रमुख निवेश किये गये थे जिसमें मार्च 2009 तक किये गये कुल निवेश का 82 प्रतिशत समाविष्ट था ।

इनमें से चार सांविधिक निगमों तथा 15 सरकारी कम्पनियों में कुल अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को 2008-09 तक अन्तिम रूप दिया गया था, हेतु कुल निवेश 3343 करोड़ रूपये था और वे हानि में चल रही थी । 2008-09 तक इन कम्पनियों द्वारा प्रेषित लेखाओं के अनुसार संचित हानि 4806 करोड़ रूपये थी **(परिशिष्ट 1.6)** । हानि उठाने वाली प्रमुख इकाइयों में मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (640 करोड़ रूपये), मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर (680 करोड, रूपये), मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (494 करोड़ रूपये), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जबलपुर (614 करोड रूपये) आप्टेल कम्युनिकेशन लिमिटेड, भोपाल (115 करोड़ रूपये), मध्य प्रदेश राज्य विधुत मण्डल, जबलपुर[8] (797 करोड़ रूपये), मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1025 करोड़ रूपये), मध्य प्रदेश वित्त निगम (241 करोड़ रूपये), तथा मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड (95 करोड़ रूपये) सम्मिलित थे ।

सरकार को अच्छा प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये अधिक विवेकशील ढंग से उच्च लागत वाली उधारियों के निवेश की न केवल आवश्यकता है अपितु इन इकाइयों के कारण हानियों से या तो ऐसी इकाइयों का उनके पुर्नगठन एवं पुनर्वास द्वारा और/अथवा विनिवेश पर विचार द्वारा समस्या के हल करने की आवश्यकता भी है ।

1.6.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में अनेक को ऋण तथा अग्रिम भी प्रदान करती है । **तालिका 1.16** में 31 मार्च 2009 को बकाया ऋण तथा अग्रिम, अन्तिम तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियां दी गई है ।

---

8. मध्य प्रदेश विधुत मण्डल अभी भी विद्यमान है और 2005-06 तक उसके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है 797 करोड़ रूपये की संचित हानि मई 2005 तक की अवधि से सम्बन्ध रखती है ।

तालिका 1.16: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(करोड़ रूपयों में)

ऋण की मात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों का मूल्य	2006-07	2007-08	2008-09	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारंभिक शेष	3,848	4,773	--	5,823
वर्ष के दौरान दी गई राशि	953	1,155	1,778	1,861
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	28	105	298	54
अन्त शेष	4,773	5,823	--	7,630
उनके बकाया शेष जिनकी निबन्धन एवं शर्तें सुलझा ली गई है			-	
निबल संयोजन	925	1,050	--	1,807
ब्याज प्राप्तियां	14	29	495	64
बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	0.32	0.55	--	0.95
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.86	7.72	--	7.24
ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	7.54	7.17	--	6.29

(स्रोतः सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे और 2008-09 के बजट अनुमान)

31 मार्च 2009 को कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम 7630 करोड़ रूपये थे। दिये गये इन ऋणों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज बहुत कम था और इसमें 2006-07 में 0.32 प्रतिशत से 2008-09 के दौरान 0.95 प्रतिशत तक सीमान्त वृद्धि हुई। राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं को दिये गये ऋणों में ऋण तथा अग्रिमों की वसूली की गति से उच्च दर पर वृद्धि हुई परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान बकाया ऋण तथा अग्रिमों में वृद्धि हुई।

यह पाया गया कि 31 मार्च 2009 को बकाया ऋण तथा अग्रिमों (7630 करोड़ रूपये) का 56 प्रतिशत (4,305 करोड़ रूपये) म.प्र. राज्य विधुत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से सम्बन्धित है तथा दूसरा 22 प्रतिशत जल आपूर्ति, सफाई, गृह निर्माण तथा शहरी विकास (1678 करोड़ रूपये) में कार्यरत इकाइयों, 13 प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं (971 करोड़ रूपये) से तथा पाँच प्रतिशत कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां (363 करोड़ रूपये) से वसूल किया जाना था। 7.24 प्रतिशत की दर से उधारियों पर प्रदत्त औसत ब्याज 2008-09 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों पर 0.95 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज से अधिक था। ऋण तथा अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से विधुत पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को दिये गये ऋण में हुई। वर्ष के दौरान 54 करोड़ रूपये के ऋण तथा अग्रिमों की वसूली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य विधुत मण्डल तथा उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से वसूली न होने के कारण 298 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की अपेक्षा कम हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में 51 करोड़ रूपये की कमी मुख्य रूप से विविध सामान्य सेवाओं (23 करोड़ रूपये) तथा उद्योग एवं खनिज (45 करोड़ रूपये) के लिये ऋण के अधीन हुई जिसे जल आपूर्ति, सफाई तथा शहरी विकास (15 करोड़ रूपये) तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण (तीन करोड़ रूपये) के अधीन वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। ब्याज प्राप्तियां (64 करोड़ रूपये) मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य विधुत मण्डल से ब्याज प्राप्त न होने के कारण बजट अनुमान (495 करोड़ रूपये) से कम हुई। 31 मार्च 2009 को बकाया ऋण तथा अग्रिम 31 मार्च 2008 को 11 प्रतिशत के विरूद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के 12 प्रतिशत थे।

1.6.3 नकद शेष तथा नकद शेषों का निवेश

तालिका 1.17 वर्ष के दौरान नकद शेष तथा नकद शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश प्रदर्शित करती है :

तालिका 1.17: नकद शेष तथा नगद शेषों का निवेश

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1 अप्रैल 2008 को	31 मार्च 2009 को	वृद्धि (+)/ कमी (--)
नकद शेष	1,792.45	2,422.10	(+)629.65
नकद शेषों से निवेश (क से ध)	2,759.00	2,929.47	(+)170.47
(क) भारत सरकार के कोषालय बिल	2,755.68	2,926.15	(+)170.47
(ख) भारत सरकार की सुरक्षा निधियां	3.32	3.32	--
(ग) अन्य सुरक्षा निधियां	--	--	--
(घ) अन्य निवेश	--	--	--
चिन्हित शेषों से निवेश का निधि के अनुसार विवरण (क से ग)	317.95	316.75	(-) 1.20
क. अकाल राहत कोष	1.89	0.35	(-)1.54
ख. राजस्व आरक्षित निधियां	10.56	10.56	--
ग. राज्य कृषि साख राहत तथा गारन्टी निधि	0.18	0.18	--
घ. गारन्टी परिशोधन निधि	305.32	305.66	(+)0.34
वसूल ब्याज	175.77	95.95	(-)79.82

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के अन्त में राज्य सरकार के नकद शेष में पिछले वर्ष में 1792 करोड़ रूपये के स्तर से 630 करोड़ रूपये (35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । दूसरी ओर राज्य सरकार के नकद शेष से निवेश में मुख्य रूप से भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों के अधीन 2007-08 में 2759 करोड़ रूपये से चालू वर्ष के अन्त में 2929 करोड़ रूपये तक की वृद्धि हुई । राज्य सरकार ने 31 मार्च 2009 को भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में 2926 करोड़ रूपये तथा भारत सरकार की सुरक्षा निधि में तीन करोड़ रूपये का निवेश किया और ब्याज के 96 करोड़ रूपये अर्जित किये ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के साथ एक अनुबन्ध के अधीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास प्रतिदिन 1.96 करोड़ रूपये का न्यूनतम शेष बनाए रखना है । यदि यह शेष साप्ताहिक भुगतान दिवसों पर सहमत्य न्यूनतम शेष से कम हो जाता है तो इस कमी को भारत सरकार के ट्रेजरी बिल बेचकर अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से अर्थोपाय पेशगियां लेकर पूरा करना होगा। यही कारण है कि सरल तरलता वाले भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेश दिया जाता है । 2008-09 के दौरान 29 अक्टूबर 2008 को समस्त ट्रेजरी बिलों की बट्टा कटने के बाबजूद राज्य सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास अपना न्यूनतम शेष रखने के लिये केवल दो दिनों के लिये 19 करोड़ रूपये की आर्थोपाय पेशगियों का लाभ उठाना पड़ा और ब्याज के 0.01 करोड़ रूपये का भुगतान करना पड़ा । 31 मार्च 2009 को इन लेखाओं पर कुछ भी बकाया नही था । 2008-09 के दौरान चिन्हित शेषों से निवेश में 1.20 करोड़ रूपये की कमी मुख्य रूप से अकाल राहत कोष के अधीन आई जिसे गारंटी परिशोधन निधि के अधीन वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया ।

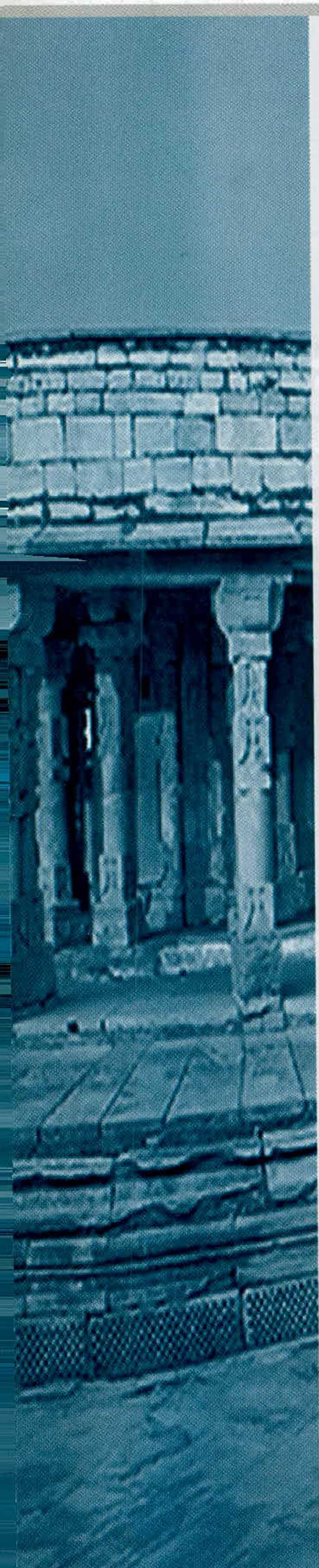

राज्य द्वारा नकद शेषों के नियन्त्रित करने की दक्षता, राज्य के पास अपने सामान्य बैंक लेनदेनों की पूर्ति के लिये रखे गये नकद शेषों के मासिक दैनिक औसत की प्रवृत्ति के परिवीक्षण द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है । **तालिका 1.18** में अन्तिम तीन वर्षों (2006-09) में दैनिक नकद शेषों के मासिक औसत की तथा ऑक्शन ट्रेजरी बिल में निवेश की प्रवृत्ति प्रस्तुत की गई है ।

तालिका 1.18: दैनिक नकद शेषों के मासिक औसत तथा ऑक्शन ट्रेजरी बिलों में निवेश की प्रवृत्ति

(करोड़ रूपये में)

माह	दैनिक नकद शेषों का मासिक औसत			14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
अप्रैल	2.34	2.04	1.97	1,112.15	2,503.70	2,339.64
मई	1.97	1.96	3.22	1,739.48	2,628.74	2,214.96
जून	1.97	1.96	1.97	1,856.34	3,207.10	1,629.34
जुलाई	1.97	1.96	1.97	1,982.58	2,847.18	1,140.92
अगस्त	1.97	2.98	6.60	2,211.08	3,808.23	1,548.28
सितम्बर	1.96	2.46	5.40	2,408.13	3,747.12	689.06
अक्टूबर	3.80	1.96	2.89	1,880.93	2,869.41	129.15
नवम्बर	1.97	1.96	1.97	2,327.17	3,122.82	870.35
दिसम्बर	1.97	1.96	1.97	2,330.34	3,892.59	1,656.15
जनवरी	1.97	1.97	1.97	1,921.54	3,552.01	2,513.47
फरवरी	1.96	1.97	7.61	2,311.72	4,064.91	2,286.72
मार्च	3.51	3.38	14.26	2,502.32	2,755.68	2,926.15

(स्रोतः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2006-07 एवं 2007-08 के दौरान 14 दिवसीय ट्रेजरी बिलों में निवेश से वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट हुई जब कि 2008-09 में अप्रैल से अक्टूबर 2009 तक घटने की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई और तत्पश्चात मार्च 2009 तक वृद्धि की प्रवृत्ति रही । 2006-09 के दौरान केवल तीन माहों को छोड़ कर (सितम्बर से नवम्बर 2009) प्रत्येक माह में 1,112 करोड़ रूपये से अधिक के शेष थे ।

1.7 परिसम्पतियां तथा देयताएं

1.7.1 परिसम्पतियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा रचना

विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्यति में सावधिक परिसंम्पत्तियों जैसे सरकार की स्वामित्व वाली भूमि तथा भवन का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है तथापि सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताएं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियां पकड़ सकते है । **परिशिष्ट 1.4 भाग-ख** में 31 मार्च 2008 को अनुरूप स्थिति के साथ तुलना में 31 मार्च 2009 को ऐसी देयताओं तथा परिसम्पत्तियां का सार दिया गया है जब कि इस परिशिष्ट में दी गई देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा

अग्रिम, लोक लेखे तथा आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समाविष्ट है और परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिम और नकद शेष समाविष्ट हैं ।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 "कुल देयताओं" का राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे के अन्तर्गत देयताओं के रूप में वर्णन करता है और राज्य सरकार के वे जोखिम भारित गांरटी दयित्व सम्मिलित है जिनके मूलधन तथा / अथवा ब्याज की पूर्ति राज्य के बजट से की जाती है ।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई है । **चार्ट 1.11** एवं **1.12** में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं की रचना दी गई है ।

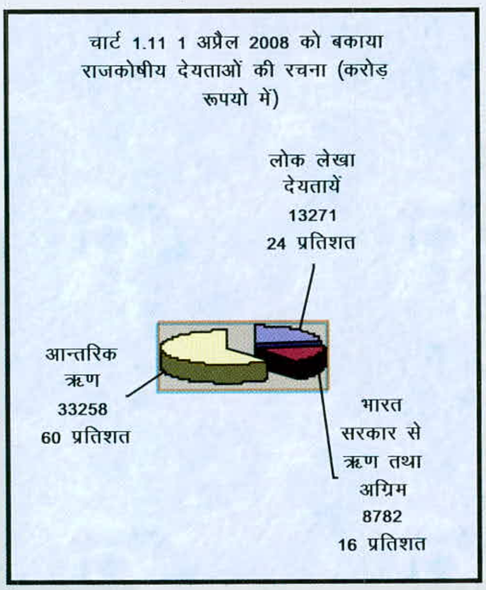

चार्ट 1.11 1 अप्रैल 2008 को बकाया राजकोषीय देयताओं की रचना (करोड़ रूपयो में)

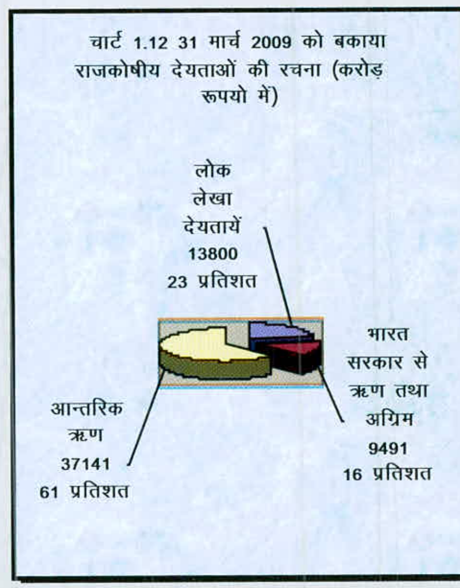

चार्ट 1.12 31 मार्च 2009 को बकाया राजकोषीय देयताओं की रचना (करोड़ रूपयो में)

(स्रोतः सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताओं में 2004-05 में 44,235 करोड रूपये से 2008-09 में 60,432 करोड़ रूपये तक वृद्धि हुई । वृद्धि दर में 2007-08 में 3.81 प्रतिशत के विरूद्ध 2008-09 के दौरान 9.26 प्रतिशत तक वृद्धि हुई । पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (3957 करोड़ रूपये), राट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण (525 करोड़ रूपये), तथा भारत सरकार से ऋण (709 करोड़ रूपये) के अन्तर्गत हुई जिसे मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति तथा बन्ध पत्रों (408 करोड़ रूपये) कम करके आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया ।

राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं तथा लोक लेखा देयताएं समाविष्ट है । 31 मार्च 2009 को समेकित निधि देयताओं में (46632 करोड़ रूपये) में बाजार ऋण (16604 करोड़ रूपये), राष्ट्रीय लघु बचत ऋण निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (14174 करोड़ रूपये) क्षतिपूर्ति तथा अन्य बन्ध पत्रों का निर्गमन (2856

करोड़ रूपये), नाबार्ड से ऋण (2563 करोड़ रूपये), भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम (9491 करोड़ रूपये) तथा अन्य ऋण (944 करोड़ रूपये) सम्मिलित है । लोक लेखा देयताओं (13800 करोड़ रूपये) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि (8040 करोड़ रूपये) ब्याज सहित दायित्व (402 करोड् रूपये) और ब्याज रहित दायित्व जैसे जमा तथा अन्य चिन्हित निधियों (5358 करोड़ रूपये) समाविष्ट है । ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 37.18 प्रतिशत है जो 2008-09 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों की 1.8 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की 3.56 गुना है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में इन देयताओं की उत्प्लावकता में 2007-08 में 0.42 से वर्ष के दौरान 0.66 तक की वृद्धि मुख्यतः 2007-08 में 3.81 प्रतिशत से 2008-09 में 9.26 प्रतिशत तक उनकी वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि के कारण हुई ।

बैंको से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतों आदि के कारण देयताओं सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिये राज्य सरकार द्वारा एक डूबत निधि नहीं बनाई गई थी । राज्य सरकार का दृष्टिकोण यह था कि केवल उसे छोड़ कर जिसमें ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त ऋणों के परिशोधन के लिये केवल तभी राजस्व से प्रावधान किया जाय जब ऐसे परिशोधन प्रबन्ध के वित्त पोषण के लिये पर्याप्त राजस्व संसाधन उपलब्ध हों। राज्य सरकार ने राजस्व अधिशेष होने पर भी ऐसे किसी ऋण के परिशोधन के लिये प्रबन्ध करना आवश्यक नही समझा ।

1.7.3 गांरटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताएं गांरटियां उस उधारग्रहीता के द्वारा जिसके लिये गारंटी दी गई है , चूक होने की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर प्रभारित आकस्मिक देयताएं है ।

वित्त लेखे के विवरण पत्र 6 में दर्शाए अनुसार वह अधिकतम राशि जिस के लिये राज्य सरकार द्वारा गांरटियां दी गई थी और अन्तिम तीन वर्षों के लिये बकाया गारंटियां **तालिका 1.19** में दी गई है ।

तालिका 1.19: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रूपये में)

गारंटियां	2006-07	2007-08	2008-09	
			बजट अनुमान	वास्तविक
गारंटी की अधिकतम राशि	12,424.26	12,086.00	10,300.58	11,991.33
गारंटियों की बकाया राशि*	865.82	855.73	6,890.07	1,930.09
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत निम्नांकित के अनुसार राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार मानदण्ड के विरूद्ध वास्तविक आंकड़े	48.35	39.38	29.94	35.71
(वार्षिक सवृद्धि गारंटियों की मात्रा निश्चित की जाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गारंटियां चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो पाये)	4.20*	3.33*	73.19	6.29*

* उस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है ।

(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा विधान सभा के सामने रखे गये विवरण और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अनिधियम अधीन बनाई गई भविष्योन्मुखी कार्य योजना)

गारंटियों की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं की प्रकृति की है जो राजस्व प्राप्तियों की 5.75 प्रतिशत थी । राज्य सरकार द्वारा कतिपय देयताओं यथा सांवधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों तथा फर्मों आदि द्वारा उठाए गए ऋणों के निर्वहन के लिये गारंटियां दी गई थी । राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि में 2006-07 में 12424 करोड़ रूपये से 2008-09 में 11991 करोड़ रूपये (मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य अभी भी आबंटन हेतु लम्बित 9416 करोड़ सहित) तक कमी हुई जिसमें से 1930 करोड़ रूपये वर्ष के अन्त में बकाया थे ।

ऐसी गारंटियों के प्रमुख प्राप्तकर्त्ता सांविधिक निगम, मण्डल एवं सहकारी बैंक तथा समितियां है । 1930 करोड़ रूपये की बकाया गारंटियों में से ब्याज के 20 करोड़ बकाया है । राज्य सरकार ने गारंटी परिशोधन निधि का निर्माण किया और इसमें 2008-09 के अन्त तक 305.66 करोड़ रूपये का अन्त शेष था । राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 वार्षिक संवृद्धिता गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिये राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां चालू वर्ष के पूर्ववर्त्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो सकें । वार्षिक संवृद्धि गारंटी राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर थी ।

राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि 10 वर्षों, यथा 31 मार्च 2015 को, की अवधि के भीतर उक्त वर्ष की कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हों । यह पाया गया कि 38.37 प्रतिशत का यह अनुपात (गारंटियों की देयताओं सहित) 2015 के लिये अधिनियम में निर्दिष्ठ परिसीमन सीमा के भीतर था। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं को अनुपात क्रमशः 38.37 प्रतिशत तथा 185.73 प्रतिशत था जो क्रमशः 43.65 तथा 200.39 प्रतिशत के तदनुरूपी बजट अनुमान से भी कम था ।

1.8 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण के आकार के अतिरिक्त उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता[9] निश्चित करते है । यह अनुभाग

9. ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है । अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच सन्तुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है । इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के अनुरूप होना चाहिये ।

ऋण स्थिरीकरण[10], ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता[11], उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता[12], ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा मापा गया) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। **तालिका 1.20** में 2004-05 से आरंभ पांच वर्षों की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है ।

तालिका 1.20: ऋण धारणीयता संकेतक तथा प्रवृत्ति

(करोड़ रूपयों में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार+प्राथमिक घाटा)	(-) 4,745	(-) 198	3,143	2,164	3,526
ऋणेत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	811	1,921	1,816	(-) 30	(-) 1,649
उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता (कोष्ठक में प्रतिशत)	3,070 (21)	1,529 (14)	101 (1)	(-) 2,160 (-20)	791 (5)
ब्याज भुगतान का भार ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात	0.19	0.17	0.16	0.14	0.12

2007-08 एवं 2008-09 वर्षों के लिये राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(करोड़ रूपयों में)

वर्षों में	वित्तीय वर्ष 2007-08				वित्तीय वर्ष 2008-09			
	6003 आन्तरिक ऋण की राशि	6004 ऋण तथा अग्रिम की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों के कारण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003 आन्तरिक ऋण की राशि	6004 ऋण तथा अग्रिम की राशि	कुल राशि	कुल ऋण के कारण पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	735.82	444.86	1,180.68	2.81	1,123.12	456.70	1,579.82	3.39
1-3	2,220.91	944.64	3,165.55	7.53	2,540.99	1,030.95	3,571.94	7.66
3-5	3,293.24	1,037.46	4,330.70	10.30	4,005.97	1,152.16	5,158.13	11.06
5-7	5,010.18	1,085.38	6,095.56	14.50	5,298.33	1,206.40	6,504.73	13.95
7 और अधिक	15,686.68	5,265.34	20,952.02	49.84	17,809.82	5,640.29	23,450.11	50.29
विविध*	6,311.66	4.17	6,315.83	15.02	6,363.40	4.17	6,367.57	13.65
योग	33,258.49	8,781.85	42,040.34		37,141.63	9,490.67	46,632.30	

*** इन मदों के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रतिक्षित है ।**
(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य के लेखे तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी

10. *ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर होने की सम्भावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष शून्य हो अथवा धनात्मक अथवा सन्तुलित रूप से ऋणात्मक हो । दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर से ब्याज दर को घटाकर) एवं प्रमात्रा प्रसार (ऋण* दर प्रसार) प्रदत्त है तो ऋण धारणीयता की शर्त है कि यदि प्राथमिकता घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा प्रसार शून्य है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा अन्ततः ऋण, स्थिर होगा । और दूसरे ओर यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा प्रसार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी और यदि यह वृद्धि धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अन्ततः कमी आयेगी ।*
11. *संवृद्धीय ब्याज देयताओं तथा संवृद्धीय प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की संवृद्धीय ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता । ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि संवृद्धीय ऋणोत्तर प्राप्तियां संवृद्धीय ब्याज भार तथा संवृद्धीय प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें ।*
12. *कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण प्राप्तियां ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती है ।*

तालिका 1.20 में दिये अनुसार राज्य के ऋणों की परिवक्वता रूप रेखा से दृष्टिगत होता है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का आठ प्रतिशत एक से तीन वर्षों के मध्य, 11 प्रतिशत तीन से पांच वर्षों के मध्य, 14 प्रतिशत पांच से सात वर्षो के मध्य और 50 प्रतिशत का सात वर्षों के उपरान्त भुगतान करना होगा। राज्य के ऋणों के 14 प्रतिशत के लगभग ऋण के पुनर्भुगतान की परिवक्वता रूपरेखा उपलब्ध नही है क्यों कि राज्य सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से जानकारी प्राप्त नही हुई है। ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची पर अस्पष्टता की आलोचना की जा सकती है। राज्य ऋणों के कारण देयताओं में निरन्तर वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिमों में मार्च 2009 को समाप्त वर्ष में क्रमशः 11.68 प्रतिशत तथा 8.07 प्रतिशत की वृद्धि दर से हुई परन्तु ब्याज भुगतानों के भार में 2004-09 के दौरान कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई।

1.8.1 ऋण स्थिरीकरण

प्रमात्रा प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2004-06 के दौरान इनका योग नकारात्मक हो गया जिससे उक्त अवधि के दौरान ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि दृष्टिगत हुई। बाद के वर्षो में यह संकेतक धनात्मक हो गये इससे प्रकट हुआ कि ऋण स्थिर हो रहे थे।

1.8.2 ऋणेतर प्राप्तियों की पर्याप्तता

तीन वर्षो (2004-07) के दौरान ऋणेतर प्राप्तियों से न केवल प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता की पूर्ति हुई अपितु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को चुकाने के उपरान्त एक धनात्मक संसाधन अन्तर उत्पन्न हो गया जिससे राज्य की अपने ऋण धारणीयता के लिये बढ़ती क्षमता प्रकट हुई। 2007-08 के दौरान प्राथमिक व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिय संवृद्धिता ऋणेतर प्राप्तियां पर्याप्त थी जिनमें वर्ष के दौरान तीव्र वृद्धि हुई परन्तु वह संवृद्धिता ब्याज देयताओं को चुकाने के लिये पर्याप्त नही थी परिणामस्वरूप सन्तुलित नकारात्मक संसाधन अन्तर पैदा हो गया। 2008-09 के दौरान संवृद्धिता ऋणेतर प्राप्तियां प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त नही थी परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान सारभूत नकारात्मक संसाधन अन्तर पैदा हुआ। जब तक आगामी वर्षो में स्थिति उलटती नहीं है ऋण धारणीयता विवादास्पद हो सकती है और स्थिर रह सकती है।

1.8.3 निधियों की निवल उपलब्धता

ऋण परिशोधन अनुपात में 2004-08 अवधि के दौरान 0.79 से 1.20 तक वृद्धि हुई परन्तु 2008-09 में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों के अधीन सारभूत प्राप्तियों के कारण 0.95 तक कमी हुई। चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण परिशोधन नवीन ऋण प्राप्तियों का 83 प्रतिशत था, भारत सरकार से ऋण का परिशोधन 98 प्रतिशत था जब कि अन्य दायित्वों, के प्रकरणों में पुनर्भुगतान नवीन ऋणों का 102 प्रतिशत था। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि ऋण प्राप्तियों का मुख्यतः ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया गया।

आन्तरिक ऋण के अधीन 5399 करोड़ रूपये की प्राप्तियों में से राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 7.49 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर 4495 करोड़ रूपये के बाजार ऋण यथा नाबार्ड से 752 करोड़ रूपये तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों से 71 करोड़ रूपये सृजित किये थे । राज्य सरकार ने भारत सरकार से 1154 करोड़ रूपये उधार लिये । भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम की प्राप्तियों में मुख्य रूप से राज्य/ संघशासित प्रदेशों के लिये ऋण आयोजना योजना के अधीन ब्लॉक लोन की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण 2007-08 में 539 करोड़ रूपये से 2008-09 में 1154 करोड़ रूपये तक वृद्धि हुई । आन्तरिक ऋणों (4478 करोड़ रूपये) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम (1138 करोड़ रूपये) के पुनर्भुगतान में ब्याज भुगतान के 3654 करोड़ रूपये (65 प्रतिशत) तथा ऋण राहत के 363 करोड़ रूपये (छः प्रतिशत) सम्मिलित रहने से ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिये केवल 1599 करोड़ रूपये (29 प्रतिशत) उपलब्ध थे । इससे प्रकट हुआ कि पुनर्भुगतान की अधिकांश राशि ब्याज के भुगतान के लिये थी । 31 मार्च 2009 को राज्य सरकार के 32 प्रतिशत विद्यमान बाजार ऋण, 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वाले थे।

1.9 राजकोषीय असन्तुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते है । सरकार के लेखाओं में घाटे उनकी प्राप्तियों तथा व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते है । घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन की बुद्धिमत्ता के संकेतक है । यह भी कि वह ढंग जिस ढंग से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, उसके राजकोीय स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण संकेतक है । इस अनुभाग में इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, प्रमात्रा तथा पद्यति और 2008-09 के वित्त वर्ष के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर का मूल्यांकन भी दिया गया है ।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.13 तथा **1.14** 2004-09 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते है।

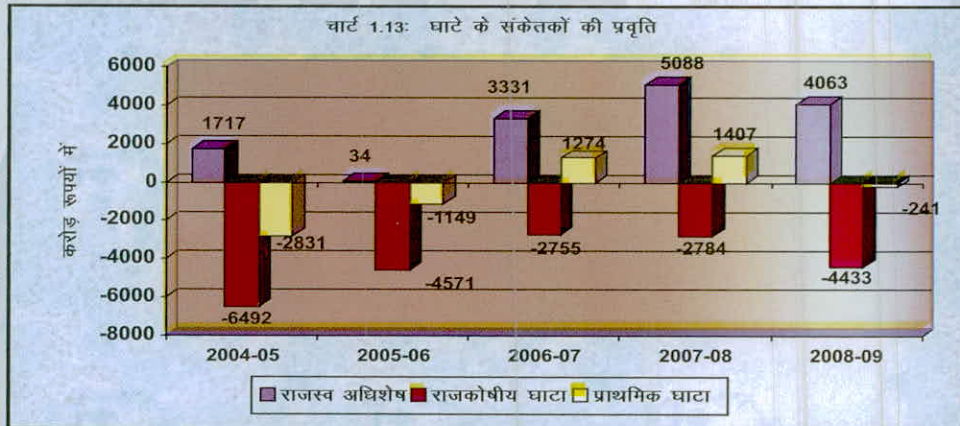

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

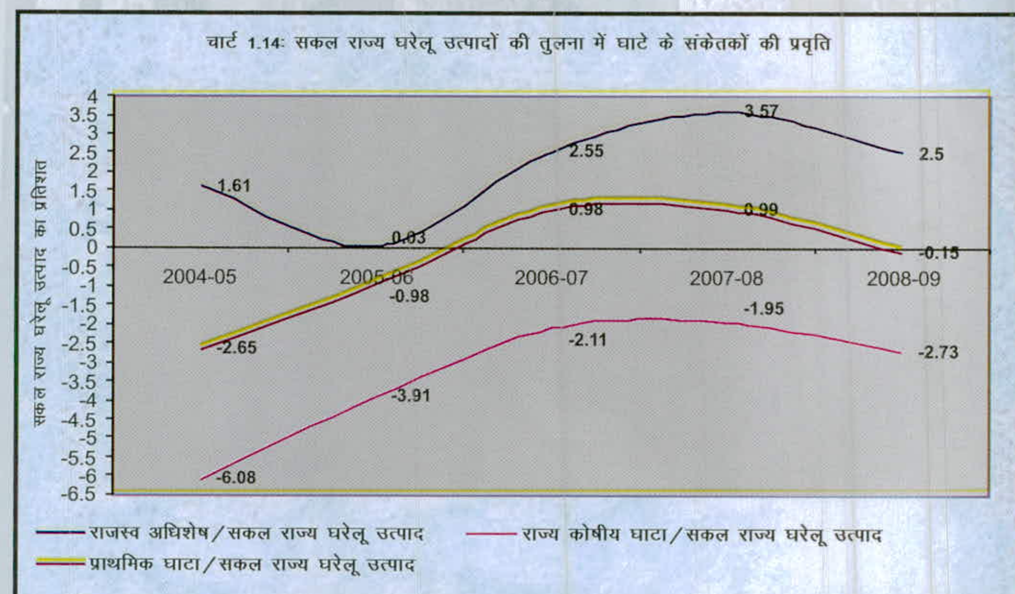

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक एव सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश)

2004-05 से 2008-09 के दौरान राज्य के पास राजस्व अधिशेष था। राजस्व अधिशेष में 2007-08 के दौरान 5088 करोड़ रूपये से 2008-09 के दौरान 4063 करोड़ रूपये तक कमी हुई । 2007-08 पर 2008-09 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में केवल 9.41 प्रतिशत (2888 करोड़ रूपये) की वृद्धि की तुलना में 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय में 15.28 प्रतिशत (3913 करोड़ रूपये) की वृद्धि के कारण 2008-09 में राजस्व अधिशेष में कमी आई तथापि राज्य के राजस्व अधिशेंष में कमी इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है कि 2008-09 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर में पांच प्रतिशत के लगभग वृद्धि

हुई तथा राजस्व के स्वयं के करों की वृद्धि दर में 1.5 प्रतिशत की कमी आई और भारत सरकार से केन्द्रीय करों तथा शुल्कों एवं सहायता अनुदान के राज्य के अंश को समाविष्ट करते हुये केन्द्रीय अन्तरण के अधीन पिछले वर्ष की तुलना में 2007-08 में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के विरूद्ध 2008-09 में 4.3 प्रतिशत (688 करोड़ रूपये) की वृद्धि दर महत्वपूर्ण ढंग से कम रही ।

राजकोषीय घाटा जिसे सरकार के कुल व्यय तथा उसके कुल संसाधनों के मध्य अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है, में 2004-05 में 6492 करोड़ रूपये से 2007-08 में 2784 करोड़ रूपये तक कमी आई परन्तु इसमें 2008-09 में 4433 करोड़ रूपये तक की तीव्र वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान 1025 करोड़ रूपये की संवृद्धिता राजस्व अधिशेष में कमी मानते हुये राजकोषीय घाटे में, मुख्य रूप से ऋणेत्तर प्राप्तियों (39 करोड़ रूपये) तथा पूंजीगत व्यय (120 करोड़ रूपये) में कमी और पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान अन्तर्राज्यीय निपटान सहित ऋण तथा अग्रिमों के संवितरण (705 करोड़ रूपये) में वृद्धि के कारण, 1649 करोड़ रूपये तक बढ़ोत्तरी हुई । राजकोषीय घाटे में वृद्धि (1649 करोड़ रूपये) और ब्याज भुगतान (एक करोड़ रूपये) में मामूली वृद्धि मानते हुये 2007-08 में हुऐ प्राथमिक अधिशेष 1407 करोड़ रूपये में कमी आई और 2008-09 में 241 करोड़ रूपये के प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष में 2007-08 में 3.57 प्रतिशत से 2008-09 में 2.50 प्रतिशत तक कमी आई परन्तु वह 1.80 प्रतिशत के बजट अनुमान से अधिक थी। यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2007-08 में 1.95 प्रतिशत से चालू वर्ष में 2.73 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथापि यह बजट अनुमान तथा राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन अनुशंसित मानदण्ड दोनो में निर्धारित तीन प्रतिशत परिसीमा के भीतर रहा ।

1.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा उसकी वित्त व्यवस्था पद्यति

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था पद्यति को **तालिका 1.21** में यथा प्रतिबिम्बित रचना सम्बन्धी बदलाव झेलना पड़ा है ।

तालिका 1.21: राजकोषीय घाटे के घटक तथा उसकी वित्त व्यवस्था पद्यति

(करोड़ रूपयों में)

	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजकोषीय घाटे का विघटन		**6,492**	**4,571**	**2,755**	**2,784**	**4,433**
1	राजस्व घाटा	-1,717	-34	-3,331	-5,088	-4,063
2	निबल पूंजीगत व्यय	4,951	6,623	5,161	6,822	6,689
3	निबल ऋण तथा अग्रिम	3,258	-2,018	925	1,050	1,807
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था पद्यति						
1	बाजार उधारियां	1,453	944	1,063	1,337	3,957
2	भारत सरकार से ऋण	-97	-121	-311	102	709
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,766	2,998	2,045	128	-126
4	वित्तीय संस्थाओ से ऋण	1,337	385	76	128	51
5	आरक्षित निधियां	336	246	422	-34	12
6	लघु बचते, भविष्य निधि आदि	641	1	158	193	204
7	निवेश तथा अग्रिम	29	595	782	274	237
8	उचन्त तथा विविध	177	60	71	-18	-43
9	प्रेषण	16	39	23	57	62
10	अन्य		-8	8		
11	नकद शेष वृद्धि (+)/कमी (-)	+166	+568	+1582	-617	+630

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2004-05 से 2007-08 के दौरान राजकोषीय घाटे को मुख्य रूप से बाजार उधारियों, वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों से वित्त पोषित किया गया था जबकि इसमें 2008-09 में सारभूत वृद्धि हुई और उसे बाजार उधारियों तथा भारत सरकार से ऋणों में महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा वित्त पोषित किया गया ।

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) में विघटन राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है । राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात वह इंगित करता है किस सीमा तक चालू उपभोग के लिये उधार ली गई निधियां प्रयुक्त की जाती है । राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर संकुचित हो रहा है और उधारियों (राजकोषीय देयताओं) का एक भाग हेतु कोई परिसम्पत्तिगत अतिरिक्त सहायता प्राप्त नही हो सकती । प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.22)** वह सीमा इंगित करेगा जिस सीमा तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ और जो राज्य की अर्थ व्यवस्था का उत्पादन क्षमता सुधारने के लिये वांछित हो सकता है ।

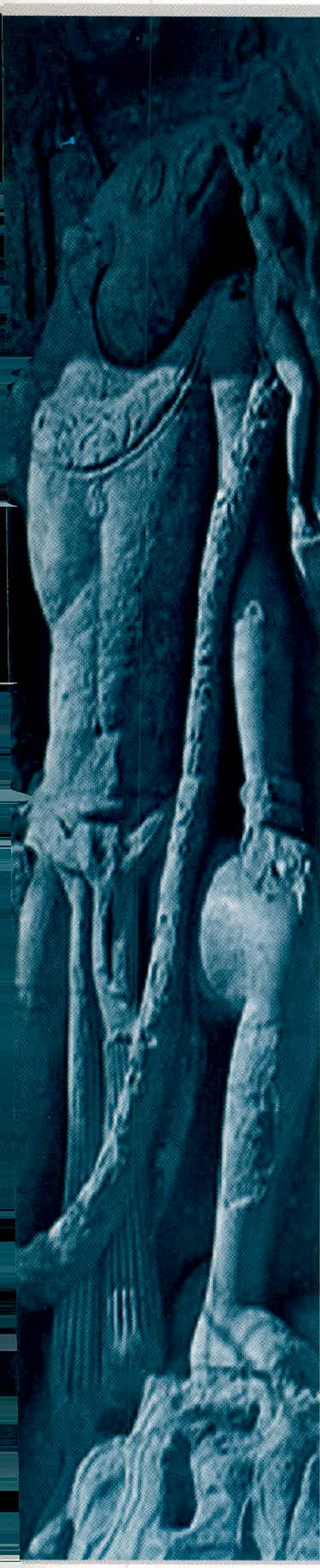

तालिका 1.22: प्राथमिक घाटा/अधिशेष: घटकों का विभाजन

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	ऋणेतर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणेतर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (-) अधिशेष (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2004-05	19,796	14,365	4,951	3,311	22,627	5,431	-2,831	21.88
2005-06	23,449	17,141	6,623	834	24,598	6,308	-1,149	26.92
2006-07	25,732	18,334	5,170	954	24,458	7,398	1,274	21.14
2007-08	30,807	21,410	6,833	1,157	29,400	9,397	1,407	23.24
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80

***अन्तर्राज्यीय निपटान सहित**
(स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप 2004-09 की अवधि के दौरान राज्य के प्राथमिक घाटे अथवा अधिशेष से प्रकट हुआ कि ऋणेतर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय की पूर्ति के लिये पर्याप्त थी। उसके द्वारा अधिशेष सृजित हुआ जिसमें 2004-05 में 5431 करोड़ रूपये से 2007-08 में 9397 करोड़ रूपये की सुसंगत रूप से वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2008-09 में यह 8334 करोड़ रूपये तक घट गई जिसका मुख्य कारण केन्द्रीय अन्तरण की कम प्राप्ति के कारण राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर कम होना और गत वर्ष की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर अधिक होना थी। दूसरे शब्दों में राज्य की ऋणेतर प्राप्तियां राजस्व लेखे में प्राथमिक व्यय[13] आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त थीं और पूंजी लेखे के अधीन व्यय की पूर्ति के लिये कुछ प्राप्तियां शेष बचती थी। प्राथमिक व्यय के प्रतिशत रूप में पूंजीगत व्यय ने 2004-09 के दौरान अन्तरवर्षीय अस्थिर प्रवृति प्रदर्शित की और उसमें 2004-05 में 21.88 प्रतिशत से 2008-09 में 19.80 प्रतिशत तक कमी आई । जिससे राज्य के वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता में गिरावट हुई । 2006-08 के दौरान राज्य ने प्राथमिक अधिशेष प्राप्त किया परन्तु 2004-06 एवं 2008-09 के दौरान प्राथमिक घाटा पूर्व दशा में आ गया जब कुल ऋणेत्तर प्राप्तियां कुल प्राथमिक व्यय से कम हो गई । 2008-09 के दौरान प्राथमिक घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण केन्द्रीय अन्तरण की कम प्राप्ति तथा ऋण तथा अग्रिम के संवितरण में वृद्धि होने से राजस्व अधिशेष में कमी होना था ।

13 राज्य का प्राथमिक व्यय ब्याज भुगतान के निबल कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्ष के दौरान किये गये लेन देनों पर दिया गया व्यय दर्शाता है ।

1.9.4 राज्य का स्वयं का राजस्व तथा घाटे में सुधार

यह अवलोकन करना लाभप्रद है कि राज्य ने अपने स्वयं के संसाधनों में सुधार करके घाटे में किस सीमा तक सुधार किया है । यह घाटे के संकेतकों में सुधार के स्थायित्व का एक लक्षण है । **तालिका 1.23** अन्तिम तीन वर्षो के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन और घाटे में सुधार दिया गया है।

तालिका 1.23: राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन और घाटे में सुधार

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

पैरा मीटर	2006-07	2007-08	2008-09	
			बजट अनुसार	वास्तविक
राजस्व प्राप्तियां (क से घ)	19.68	21.53	21.80	20.66
क. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	8.02	8.43	9.01	8.38
ख. राज्य का स्वयं का कर भिन्न राजस्व	2.04	1.92	1.91	2.06
ग. केन्द्रीय कर तथा शुल्क में राज्य का अंश	6.19	7.16	6.67	6.62
घ. सहायता अनुदान	3.43	4.02	4.21	3.60
राजस्व व्यय	17.13	17.96	20.00	18.16
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष(+)	+2.55	+3.57	+1.80	+2.50
राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष(+)	-2.11	-1.95	-3.00	-2.73

टिप्पणी: 2008-09 के लिये बजट अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पादन के आंकड़े 157777 करोड़ रूपये है ।

(स्त्रोतः सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों के घटक यथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व, केन्द्रीय करों में राज्य के अंश तथा सहायता अनुदानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में पिछले वर्ष तथा 2008-09 के चालू वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा कमी आई । इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में कमी आई जब कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई परन्तु बजट अनुमान की तुलना में कमी आई । फलस्वरूप पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व अधिशेष अनुपात में कमी आई । इन प्रवृत्तियों से राज्य के संसाधनों में कमी प्रकट हुई । इसके अतिरिकत पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के संसाधनों में कोई सुधार नही हुआ । सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यकोषीय घाटे के अनुपात में पिछले वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान वृद्धि हुई जिसका कारण वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में सारभूत वृद्धि थी ।

1.10 निष्कर्ष

प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा/ अधिशेष की दृष्टि से राज्य की राजकोषीय स्थिति से 2008-09 में गिरावट की प्रवृत्ति प्रकट हुई क्योंकि राजस्व अधिशेष कम हो गया और प्राथमिक अधिशेष प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया।

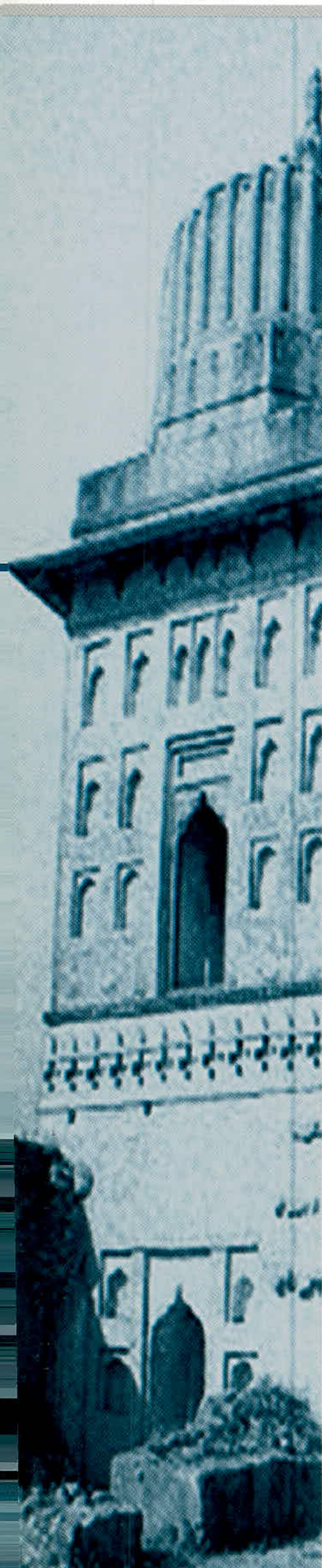

इससे भी अधिक राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में सारभूत वृद्धि हुई । राज्य की राजस्व अधिशेष में कमी का मुख्य कारण राज्य के स्वयं के करों में वृद्धि की सीमान्त कमी और पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 के दौरान भारत सरकार से केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं सहायता अनुदान समाविष्ट करते हुये केन्द्रीय अन्तरणों में सारभूत कमी था । साथ ही साथ आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि होना भी था । सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे में 2007-08 में 1.95 प्रतिशत से चालू वर्ष में 2.73 प्रतिशत तक वृद्धि हुई परन्तु यह बजट अनुमान तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 दोनों द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत के परिसीमन के भीतर ही रहा । इसके बाबजूद भी राज्य ने राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अधीन निर्दिष्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में अपने राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त किये ।

राज्य की व्यय पद्यति से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2008-09 के दौरान 77 प्रतिशत पर कुल व्यय के प्रमुख अनुपात का अंशदान जारी रहा जिसके कारण् सेवाओं के विस्तार तथा परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये कम संसाधन बचे । इससे भी अधिक राजस्व व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में 21892 करोड़ रूपये का आयोजनेत्तर राजस्व व्यय, राज्य द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में निर्धारित लक्ष्य 23245 करोड़ रूपये की अपेक्षा यद्यपि कम था तथापि इस वर्ष हेतु बारहवे वित्त आयोग के सामान्य रूप से निर्धारित स्तर (17819 करोड़ रूपये) की अपेक्षा सारभूत रूप से उच्च रहा । यह भी कि तीन घटकों (वेतन एवं मजदूरी व्यय, पेन्शन भुगतान तथा ब्याज भुगतान) में वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के 69 प्रतिशत के लगभग समाविष्ट थे जिनमें आगे भी वृद्धि होगी यदि सूची मे आर्थिक सहायताएं जोड़ी जाती है जिनके लिये तथापि पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नही है क्योंकि राज्य ने सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं पर व्यय प्रग्रहण के लिये पृथक शीर्ष नही खोले थे। कुल व्यय की तुलना में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अनुपात में कमी और पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के कार्यचालन तथा रखरखाव पर राजस्व व्यय में भी कमी से सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट दृष्टिगत हुई । व्यय में इन प्रवृत्तियों ने आवंटनीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन की आवश्यकता प्रकट की।

ऋणों के परिशोधन के लिये राज्य सरकार ने एक डूबत निधि की स्थापना नहीं की । वार्षिक संवृद्धिता गारंटियाँ राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा में भी और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं के अनुपात यद्यपि राजकोषीय उत्तर दायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की परिसीमन सीमा के भीतर थी तथापि चालू वर्ष तक सतत राजकोषीय घाटे के कारण लगातार बढ़ी।

राज्य के 14 प्रतिशत के लगभग ऋण के पुनर्भुगतान के लिये परिपक्वता की रूपरेखा उपलब्ध नही थी क्योंकि राज्य सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से जानकारी प्राप्त नही हुई थी। ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची में स्पष्टता की आलोचना की जा सकती है। चालू वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण परिशोधन नवीन ऋण प्राप्तियों का 83 प्रतिशत था और भारत सरकार के ऋणों का परिशोधन 98 प्रतिशत था जब कि अन्य दायित्वो के मामलों में पुनर्भुगतान, नवीन प्राप्तियों का 102 प्रतिशत था जिससे प्रकट हुआ कि नवीन ऋण प्राप्तियों का उपयोग मुख्यतः ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु किया गया।

सरकार द्वारा किये गये निवेशों पर औसत प्रतिलाभ अन्तिम तीन वर्षों के दौरान 0.52 प्रतिशत था जब कि सरकार ने 2006-09 के दौरान अपनी उधारियों पर 7.61 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया। बकाया ऋण तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां, राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं के ब्याज भुगतान के विरूद्ध बहुत ही कम थी परिणामस्वरूप ब्याज भुगतानों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य 6.29 प्रतिशत का अन्तर रहा।

1.11 अनुशंसाएँ

- 31 मार्च 2009 को 765 करोड़ रूपये के राजस्व बकायों की वसूली, कर वसूली उपायों का सुदृढ़ीकरण कर की जाय।
- राज्य बजट में आर्थिक सहायताओं के लिये भिन्न शर्षि होना चाहिये जिससे कि सरकार द्वारा स्पष्ट आर्थिक सहायताओं पर किया गया वास्तविक व्यय निरूपित किया जा सके।
- सरकार को अपनी उच्च्व लागत वाली उधारियों पर अच्छा प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिये न केवल विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने की आवश्यकता है अपितु विभिन्न बीमार इकाईयों के कारण हानियों पर अपनी राय भी देना चाहिये और उनके पनुर्गठन एवं पुनर्वास का प्रयास करना चाहिये तथा/अथवा ऐसी इकाईयों के विनिवेश पर विचार करना चाहिये।
- सरकार के निवेशों पर प्रतिलाभ की नगण्य दर के साथ राजकोषीय देयताओं में वृद्धि और ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज की अपर्याप्त वसूली उस समय तक मध्यम तथा लम्बी अवधि में राज्य पर राजकोषीय दबाव बना सकते है जब तक कि ऋण तथा अग्रिम सहित निवेशों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय कम करने और आने वाले वर्षो में कर तथा कर भिन्न स्रोतों दोनो के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन गतिशील बनाने के उपयुक्त उपाय नही किये जावे।

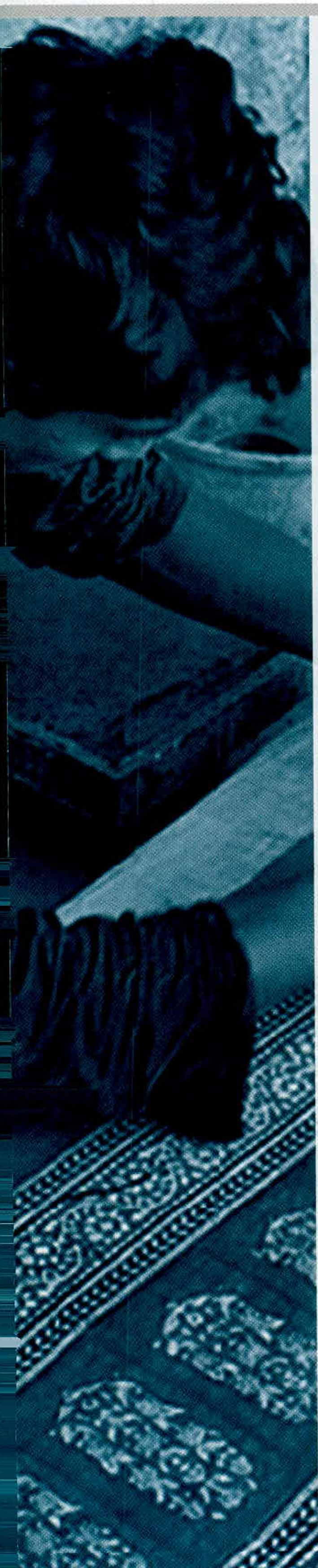

- शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय पद्यति में बारहवें वित्त आयोग के मानदण्डों के अनुसार आने वाले वर्षों में सुधार की आवश्यकता है। जिसके अनुसार इन क्षेत्रों में दी गई अवधि के दौरान आयोजनेत्तर वेतन व्यय में केवल पांच से छः प्रतिशत तक ही वृद्धि होनी चाहिये। आयोजनेत्तर शीर्षों के अधीन गैर वेतन व्यय में 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की जानी चाहिये।

- राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतों आदि के कारण देयताओं सहित ऋणों के परिशोधन के लिये एक डूबत निधि का निर्माण नही किया।

- भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की जाने वाली निधियों का सम्यक लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिये एक तन्त्र की स्थापना करनी चाहिये।

- राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नही हुई। महालेखाकार को ऐसी जानकारी प्रदाय करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक पद्धति सुनिश्चित की जाय। पुनरीक्षित लागत के पूर्ण विवरणों के साथ अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति और विलम्ब के कारणों में पारदर्शिता समय तथा लागत वृद्धि के परिहार में सहायक होगी।

दूसरा अध्याय

वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

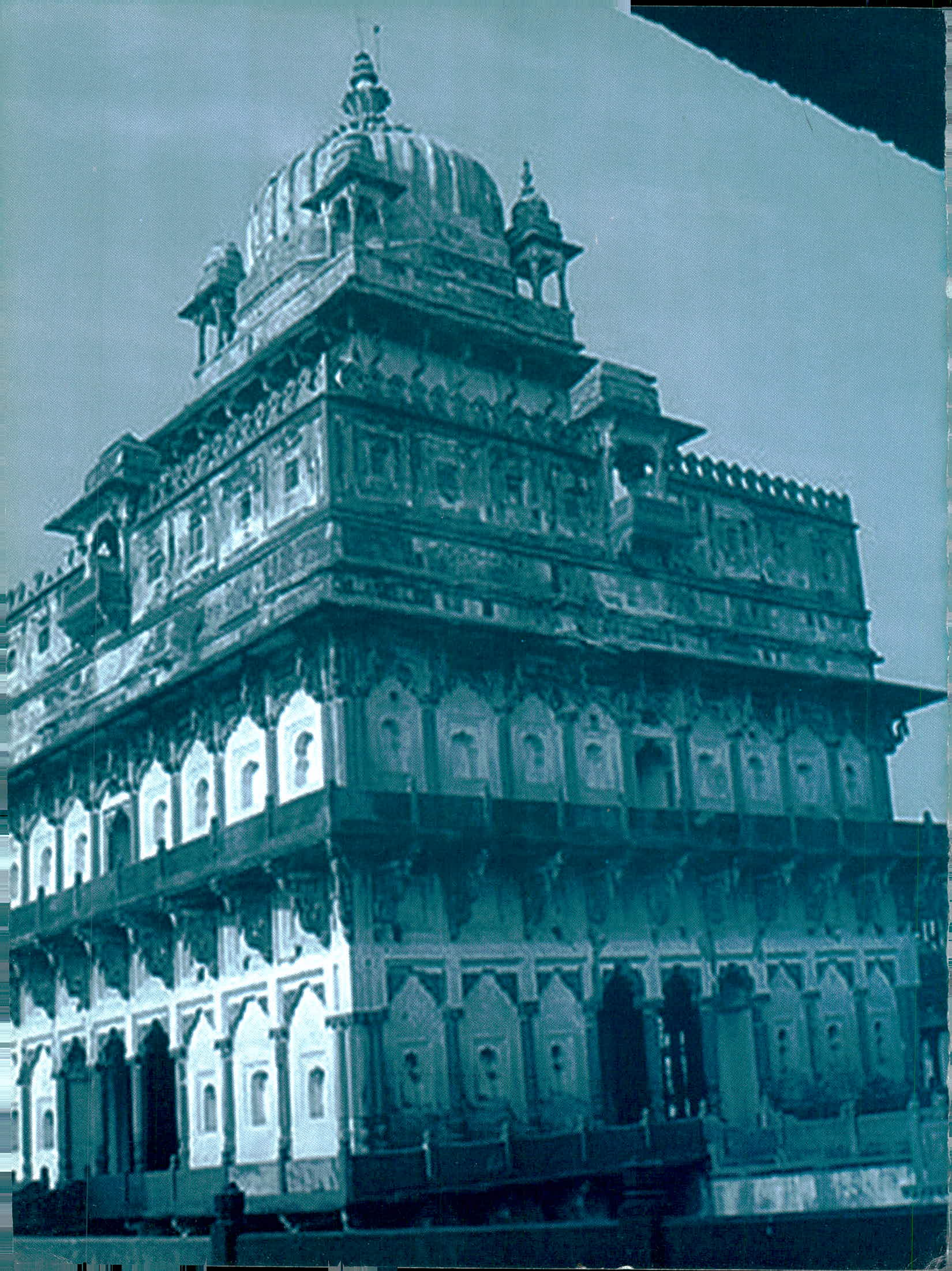

अध्याय 2

वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियन्त्रण

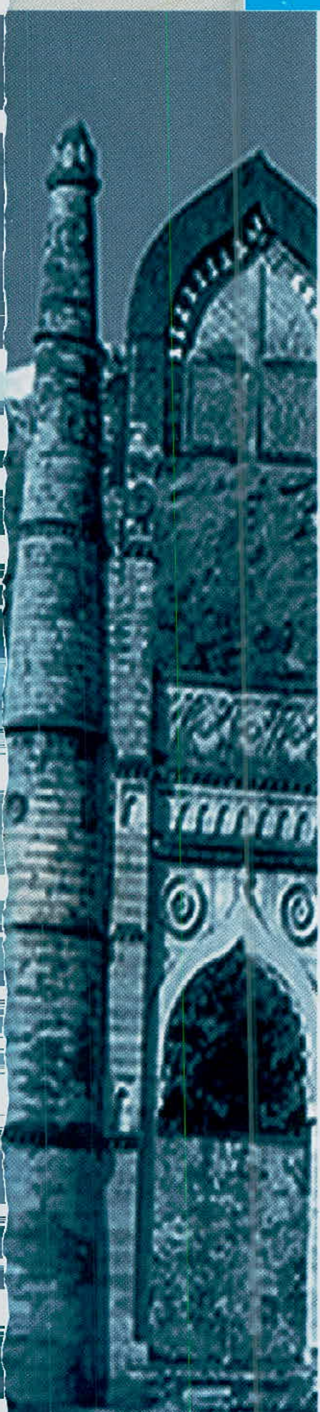

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उदेदश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं मे मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनिर्वनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है । लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्व नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

82 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्व 2008-09 के दौरान वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(करोड़ रुपये में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान / विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	27,263.82	2,565.26	29,829.08	25,606.83	-4,222.25
	II पूंजीगत	6,601.43	1,168.73	7,770.16	6,721.82	-1,048.34
	III ऋण तथा अग्रिम	1,791.15	853.00	2,644.15	1,862.19[1]	-781.96
योग दत्तमत		35,656.40	4,586.99	40,243.39	34,190.84[2]	-6,052.55

1. *अन्तर्राज्यीय निपटान के 0.73 करोड़ रुपये सम्मिलित है।*
2. *राजस्व व्ययः 681.76 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत व्ययः 42.22 करोड़ रुपये के अन्तर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों पर विचार किये बिना सकल आंकड़े ।*

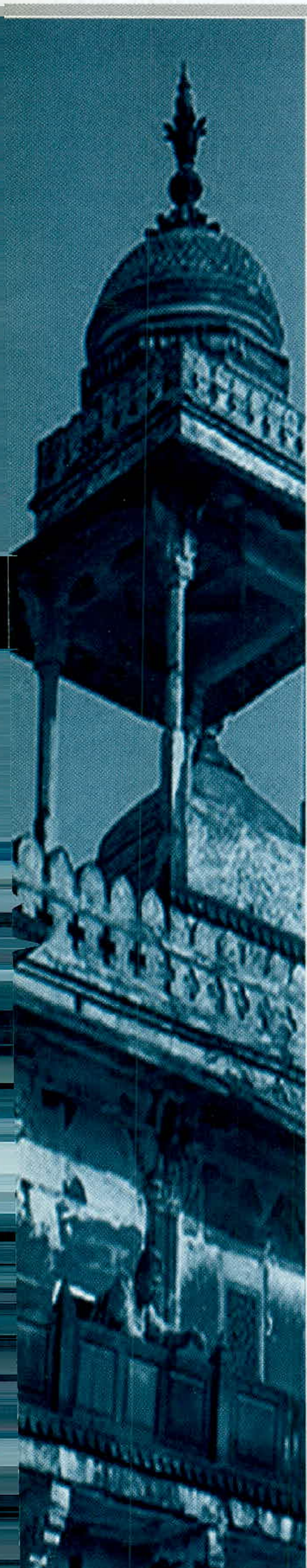

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान / विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
प्रभारित	IV राजस्व	4,998.49	13.82	5,012.31	4,588.80	-423.51
	V पूंजीगत	6.77	27.34	34.11	33.55	-0.56
	VI लोक ऋण पुर्नभुगतान	3,836.56	—	3,836.56	1,961.02	-1,875.54
योग प्रभारित		**8,841.82**	**41.16**	**8,882.98**	**6,583.37**	**-2,299.61**
महायोग		**44,498.22**	**4,628.15**	**49,126.37**	**40,774.21**[3]	**-8,352.16**

8352.16 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचत राजस्व अनुमान के अधीन 74 अनुदानों तथा 46 विनियोगों, पूंजीगत अनुभाग के अधीन 49 अनुदानों तथा छः विनियोगों में 8357.94 करोड़ रुपये की बचतों का परिणाम थी जिसे राजस्व अनुमान के अधीन दो अनुदानों/विनियोगों तथा पूंजीगत अनुमान के अधीन दो अनुदानों/विनियोगों में 5.80 करोड़ रुपये के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया।

नियन्त्रण अधिकारियों से सारभूत परिवर्तनों के स्पष्टीकरण मांगने के लिये बचतें/आधिक्य उन्हें 3 से 28 जुलाई 2009 तक सूचित किये गये। 868 उपशीर्षो में से 676 उपशीर्षो (बचतः 603 उपशीर्षो तथा आधिक्यः 73 उपशीर्षो) के परिवर्तनों के स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2009)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आबंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि 26 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई। जो कि कुल 5403.66 करोड़ रुपये थी **(परिशिष्ट 2.1)**। 8352.16 करोड़ रुपये की कुल बचत के विरूद्ध **(तालिका 2.1) तालिका 2.2** में इंगित किये अनुसार 12 अनुदानों तथा दो विनियोगों के 14 प्रकरणों में 5118.69 करोड़ (61.28 प्रतिशत)[4] रुपये की बचत हुई।

3 *वास्तविक व्यय निम्नांकित कारणों से निम्नांकित सीमा तक अधिक बताया गया:*

अप्रयुक्त राशि के 289.59 करोड़ रुपये (राजस्व दत्तमत अनुभागः 180.95 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभागः 108.64 करोड़ रुपये) मुख्यशीर्ष 8443 सिविल निक्षेप 800 अन्य निक्षेप को अन्तरित किये गये। कुल निक्षेप में से 103.75 करोड़ रुपये निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से जमा किये गये।

सरकारी संस्थाओं के 26.63 करोड़ रुपये (निक्षेपः 912.44 करोड़ रूपये - संवितरणः 885.81 करोड़ रुपये) मुख्य शीर्ष 8443 सिविल निक्षेप 106 व्यक्तिगत जमा लेखे के शेष में जोड़े गये। वर्ष के दौरान 912.44 करोड़ रुपये के कुल निक्षेप् में से 426.05 करोड़ रुपये निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से जमा किये गये थे।

संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों पर आहरित 32.24 लाख रुपये के व्यय के विस्तृत ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इस व्यय की सत्यता नहीं आंकी जा सकी।

4. *प्रत्येक प्रकरण में 50 करोड़ रूपये से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक।*

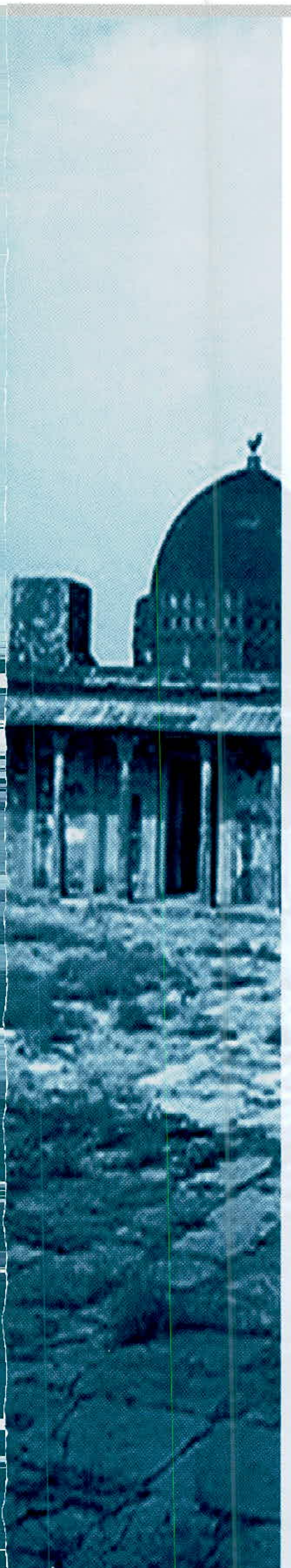

तालिका 2.2: 50 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	कुल व्यय	बचत
	राजस्व दत्तमत					
01	06- वित्त	3,100.96	15.35	3,116.31	2,491.70	624.61
02	12- ऊर्जा	1,765.87	0.84	1,766.71	1,380.36	386.35
03	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	589.97	99.21	689.18	455.59	233.59
04	29- विधि और विधायी कार्य	273.25	29.28	302.53	234.03	68.50
05	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	619.41	528.01	1,147.42	866.06	281.36
06	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	757.27	65.75	823.02	657.51	165.51
07	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,079.69	283.07	2,362.76	1,753.53	609.23
	पूंजीगत दत्तमत					
08	06- वित्त	371.41	16.91	388.32	73.72	314.60
09	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	279.41	193.79	473.20	339.27	133.93
10	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय निकाय	275.49	—	275.49	150.27	125.22
11	57- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	350.24	—	350.24	239.06	111.18
12	77- स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर)	54.18	110.00	164.18	74.18	90.00
	राजस्व प्रभारित					
13	12- ऊर्जा	*265.00*	—	*265.00*	*165.94*	*99.06*
	पूंजीगत प्रभारित					
14	लोक ऋण	*3,836.56*	सांकेतिक	*3,836.56*	*1,961.01*	*1,875.55*
	योग					**5118.69**

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये अनुदानों/विनियोगों में सारभूत बचतों के कारण निम्नानुसार हैः-

लोक ऋण (पूंजीगत -प्रभारित) सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6003 - राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण - अर्थोपाय पेशगियां (981 करोड़ रुपये) तथा कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम (999.99 करोड़ रुपये) के अधीन हुई जिसे 6003 - राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण - 12.15 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2008 (30.58 करोड़ रुपये) कृषि

तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक की राष्ट्रीय कृषि साख निधियों से ऋण (44.49 करोड़ रूपये) तथा विद्युत बंध पत्र -2 मूलधन राशि का भुगतान (47.16 करोड़ रुपये) के अधीन आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। 999.99 करोड़ रुपये की बचत का कारण आंशिक रूप से अर्थोपाय पेशगियों (31.00 करोड़ रुपये) के प्राप्त होने की सम्भावना न होना बताया गया जबकि पूर्व में उल्लिखित 30.58 करोड़ रुपये, 44.49 करोड़ रुपये तथा 47.16 करोड़ रुपये के आधिक्यों का कारण मुख्य रूप से ऋणों का पुर्नभुगतान होना बताया गया। शेष अन्य बचतों/आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

06- वित्त (राजस्व-दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2054 - कोषालय एवं लेखे प्रशासन - सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य (21.09 करोड़ रुपये) 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं - राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य) - अन्य व्यय (710 करोड़ रुपये) 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- लघु शीर्ष 104 मध्यप्रदेश (43.92 करोड़ रुपये), संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य (137.56 करोड़ रुपये) तथा लघु शीर्ष 105 - मध्यप्रदेश (19.95 करोड़ रुपयें) के अधीन हुई जिन्हें मुख्य रूप से 2071 पेंशन तथा अन्य सेवा - निवृत्ति लाभ, लघु शीर्ष 101 - मध्यप्रदेश (44.60 करोड़ रुपये) संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य (220.11 करोड़ रुपये) तथा लघुशीर्ष 105 संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य (99.23 करोड़ रुपये) के अधीन आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रति सन्तुलित किया गया। बचतों तथा आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2009)।

06- वित्त (पूंजीगत-दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6075 - विविध सामान्य सेवाओं के लिये ऋण - गारंटी वाले ऋणों के निराकरण हेतु प्रावधान (85 करोड़ रुपये) तथा राज्य सरकार के उपक्रमों के पुनर्गठन हेतु ऋण सहायता (217.85 करोड़ रुपये) के अधीन हुई। उपरोक्त बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

12- ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2801 - विद्युत लघुशीर्ष 101 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) - विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए विभाग से अनुदान (18.09 करोड़ रुपये) तथा लघु शीर्ष 800 किसानों के बकाया बिलों के निपटारे के लिये प्रोत्साहन अनुदान (507.82 करोड़ रुपये) के अधीन हुई जिन्हें 2801 विद्युत, लघु शीर्ष 800 सीमा शुल्क (टेरीफ ग्रांट) अनुदान के अधीन 150 करोड़ रूपये के आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। बचतों का कारण मुख्यतः भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना तथा कृषकों से दावे प्राप्त न होना बताया गया। 150 करोड़ रुपये के आधिक्य का कारण 2009-2010 में सीमा शुल्क अनुदानों तथा अग्रिम भुगतानों के लिए कम प्रावधान होना बताया गया।

12- ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)- सारभूत बचतें 2045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघुशीर्ष 103 मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अधीन ऊर्जा विकास निधि को आरोपित ऊर्जा विकास उपकर का अन्तरण (99.05 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

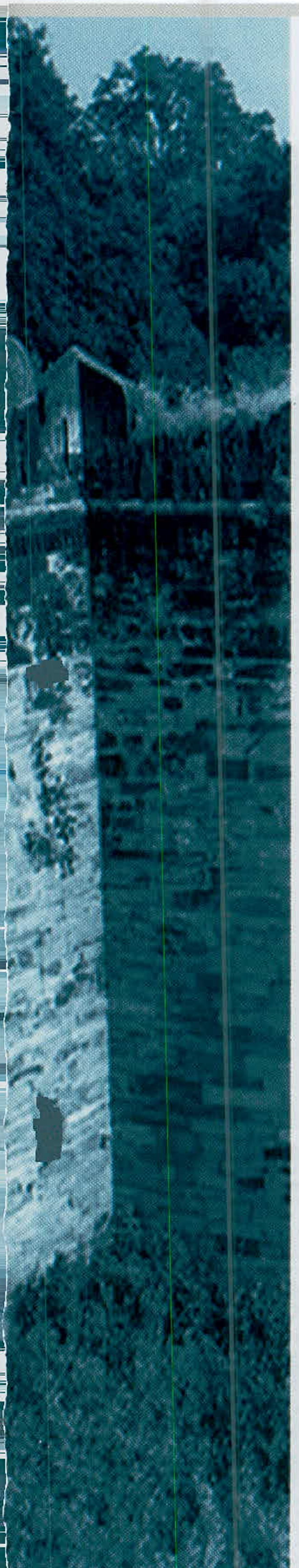

13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2401 फसल कृषि कर्म-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं (सामान्य) बीज ग्राम योजना (7.26 करोड़ रूपये) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं, सामान्य-राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (5.36 करोड़ रुपये), राज्य आयोजना (सामान्य)-बलराम तालाब (7.23 करोड़ रुपये) मुख्यमंत्री श्रमिक सुरक्षा योजना, 2007 (5.40 करोड़ रुपये) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (195.48 करोड़ रुपये) के अधीन हुई जिन्हें 2401-फसल कृषि कर्म-राज्य आयोजना (सामान्य) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (निधि का समूह) (9.20 करोड़ रुपये) के अधीन आधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 195.48 करोड़ रूपये की बचतों का कारण आंशिक रूप से भारत सरकार से कम राशि का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होना बताया (80.48 करोड़ रूपये) बीज ग्राम योजना के अधीन 7.26 करोड़ रुपये की बचतों का कारण मुख्य रूप से मांग के अनुसार भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना बताया गया जबकि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन 9.20 करोड़ रुपयों का आधिक्य का कारण बीमा दावों के भुगतान के लिए निधियों की आवश्यकता होना बताया गया। अन्य प्रकरणों में अन्य बचतों तथा आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

20- लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी (पूंजीगत-दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 4215 जल - आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य- समस्याग्रस्त ग्रामों के लिये जल-आपूर्ति योजना (53.02 करोड़ रुपये) बड़े ग्रामों के लिये पाइप से जल आपूर्ति योजना (50 करोड़ रुपये) तथा लघु शीर्ष 800-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं सामान्य - जल की गुणवत्ता से सम्बन्धित निर्माण कार्य (एच आर डी प्रोग्राम) (18.62 करोड़ रुपये) के अधीन हुई। उपरोक्त बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

22-नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय (पूंजीगत-दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6217 - नगरीय विकास के लिये ऋण - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) - राजधानी में बुनियादी सुविधाओं का विकास (22.78 करोड़ रुपये) तथा नगर-पालिका निगमों में आधारभूत सुविधाओं का विकास(97.47 करोड़ रुपये) के अधीन हुई। उपरोक्त बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

29- विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत) - सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2014 - न्याय प्रशासन -फास्ट ट्रेक योजना (6.95 करोड़ रुपये) मुफसिल स्थापना तथा ग्राम न्यायालय (8.15 करोड़ रुपये), 2015 चुनाव तैयारी तथा मतदाता सूची का मुद्रण (5.86 करोड़ रुपये), सांसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार (6.48 करोड़ रुपये), राज्य विधानसभा के चुनाव कराने के लिये प्रभार (25.93 करोड़ रुपये) तथा मतदाता को फोटो परिचय पत्र जारी करना (6.70 करोड़ रुपये) के अधीन हुई। उपरोक्त 8.15 करोड़ रुपये, 6.48 करोड़ रुपये तथा 25.93 करोड़ रुपये की बचतों का कारण 15 प्रतिशत आर्थिक कटौती, वित्त विभाग द्वारा आहरणों पर प्रतिबन्ध एवं ग्रामीण न्यायालयों में सदस्यों की

नियुक्ति न करना, वर्ष के दौरान केवल एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बैतूल को उपचुनाव कराने, चुनाव मतगणना कार्य में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय की दर में वृद्धि न करना तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य विधान सभा के चुनाव सम्बन्धी देयताओं का न चुकाना बताया गया। अन्य योजनाओं में बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

57- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूंजीगत दत्तमत) - सारभूत बचतें 4700- प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय -विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) सिंचाई तथा जल निकास संस्थाओं के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करना - जल संसाधन विभाग (7.39 करोड़ रुपये) लघुशीर्ष 001 - पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - कृषि विभाग (8.59 करोड़ रुपये), पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजना की उत्पादकता में सुधार - मत्स्य पालन विभाग (5.95 करोड़ रूपये),पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - पशुपालन विभाग (5.56 करोड़ रुपये), लघु शीर्ष 001 - पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जल संसाधन विभाग (13.62 करोड़ रुपये) लघु शीर्ष 052-पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जल संसाधन विभाग (7.75 करोड़ रुपये) तथा लघु शीर्ष 800 पांच बेसिनों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार -जल संसाधान विभाग (41.25 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई उपरोक्त 7.39 करोड़ तथा 5.56 करोड़ रुपये की बचतें आंशिक रूप से आर्थिक उपाय (5.52 करोड़ रुपये तथा 1.75 करोड़ रुपये) अंगीकार करने के कारण हुई। उपरोक्त 5.95 करोड़ रुपये की बचत आंशिक रूप से निधियों की नगण्य मांग (0.92 करोड़ रुपये) के कारण हुई। 13.62 करोड़ रुपये की बचत आंशिक रूप से आर्थिक उपाय अंगीकार करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम की अपर्याप्त प्रगति तथा निधियों की कम मांग (10.34 करोड़ रूपये) के कारण हुई जबकि उपरोक्त 41.25 करोड़ रुपये की बचत सिविल निर्माण कार्यो की धीमी प्रगति के कारण हुई। शेष बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें 2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-सूखा राहत तथा रोजगार के लिये अतिरिक्त प्रावधान (22.91 करोड़ रुपये), अग्नि पीडितों के लिए राहत (14.55 करोड़ रुपये), पीने के पानी की आपूर्ति (51.23 करोड़ रुपये), ओला पीड़ितों को राहत (20.42 करोड़ रुपये) स्थानीय निकाय/संस्थाओं तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में अन्य अशासकीय निकायों को आर्थिक सहायता (18.00 करोड़ रुपये), आरक्षित निधियां तथा निक्षेप - लेखे-प्राकृतिक आपदायें- अव्ययित सीमान्त धन निधि - अकाल राहत निधि (277.39 करोड़ रुपये),आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल निर्माण कार्यो का प्रबन्ध तथा आपात योजनाएं (10.00 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत हुई। राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि (71.12 करोड़ रुपये) तथा राजस्व पुस्तक 6-4 के अन्तर्गत आपदाओं में वित्तीय सहायता

(10 करोड़ रुपये) से प्राप्त राशि के अन्तर्गत हुई जिन्हें 2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत तहसीलदार के माध्यम से राहत कार्यो का कार्यान्वयन (44.17 करोड़ रुपये), नकद खैरात (17.86 करोड़ रुपये) और अन्य कार्यो के पुनरूद्धार हेतु सहायता (166.54 करोड़ रुपये) के अधीन आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित की गई। उपरोक्त 277.39 करोड़ रुपये को छोड़कर बचतों का कारण आपदाओं का घटित न होना बताया जबकि 277.39 करोड़ रुपयों की बचतें तथा आधिक्य के विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

64- अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2052-सचिवालय - सामान्य सेवाएं - अनुसूचित जाति उप योजना - आम आदमी बीमा योजना (10 करोड़ रुपये), 2401-फसल कृषि कर्म-अनुसूचित जाति उपयोजना - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (51 करोड़ रुपये) 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - अनुसूचित जाति उपयोजना - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन (4.13 करोड़ रुपये), केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं अनुसूचित जाति उपयोजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (नौ करोड़ रुपये), 2202 - सामान्य शिक्षा - केन्द्र, प्रवर्तित योजना - अनुसूचित जाति उपयोजना - सर्व-शिक्षा अभियान (29.20 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति उपयोजना - सायकलों की आपूर्ति (9.11 करोड़ रुपये), 2236 - पोषण - अनुसूचित जाति उपयोजना - न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, विशेष पोषण योजना (5.35 करोड़ रुपये) तथा 2501 ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं - अनुसूचित जाति उपयोजना - मध्यप्रदेश, ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं (6.72 करोड़ रुपये) के अधीन हुई जिन्हें 2202 -सामान्य शिक्षा - अनुसूचित जाति उपयोजना -सायकलों की आपूर्ति (7.21 करोड़ रुपये) तथा 2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण-अनुसूचित जाति उपयोजना- बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारकों का निर्माण (2.39 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत सारभूत आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया। उपरोक्त 10 करोड़ रुपये की बचत का कारण 2008-09 तक आम आदमी बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान न करना बताया गया। उपरोक्त 51 करोड़ रुपये की बचत आंशिक रूप से कम राशि (21 करोड़ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त 9.11 करोड़ रुपये की बचत आंशिक रूप से सायकलों की आपूर्ति (5.32 लाख रुपये) के लिए छात्राओं की कम संख्या के कारण हुई और उपरोक्त 6.72 करोड़ रुपये की बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त 7.21 करोड़ रुपये का आधिक्य आंशिक रूप से 9वीं कक्षा में छात्राओं के प्रवेश की बढ़ी हुई संख्या (5.32 करोड़ रुपये) के लिये निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ और उपरोक्त 2.39 करोड़ रुपये का आधिक्य तृतीय यथा अन्तिम चरण में बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारकों के निर्माण के लिये निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ। अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

77- स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर) (पूंजीगत दत्तमत)- 90 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें 4202 शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य " सक्सेस (सफलता) " योजना के अन्तर्गत नवीन हाई स्कूल भवनों का निर्माण के अधीन हुई। बचत का कारण भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया।

80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)- सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2202- सामान्य शिक्षा - 01 - लघु शीर्ष 103 - राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य) शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान (66.94 करोड़ रुपये) लघुशीर्ष 800- शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान (195.68 करोड़ रुपये) 02 - लघुशीर्ष 191- शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान (27.26 करोड़ रुपये), 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - लघुशीर्ष 102 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (22.12 करोड़ रुपये) 2501 ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम -राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) - पिछड़ा वर्ग क्षेत्र वृहद निधि (ग्रांड फंड) योजना (91.63 करोड़ रुपये), 2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम -केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएं (सामान्य) जल आपूर्ति तथा सफाई से सम्बन्धित स्रोतों में सुधार (51.72 करोड़ रुपये), न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं के लिये ग्राम पंचायतों को अनुदान (50.88 करोड़ रुपये)और 2853 अलौह खनन तथा धातु कर्मीय उद्योग- राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य) - ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूरक खनिजों से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अन्तरण (13.31 करोड़ रुपये) के अधीन हुई । उपरोक्त 66.94 करोड़ रुपये तथा 195.68 करोड़ रुपये की बचतों का कारण मुख्य रूप से रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया जबकि 91.63 करोड़ रुपये की बचत मुख्य रूप से केन्द्रीय अंश की कम प्राप्ति तथा मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।

2.3.2 सतत् बचतें

छः प्रकरणों में गत पांच वर्षो के दौरान प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान/अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा इससे भी अधिक की सतत् बचतें हुई **(तालिका 2.3)**।

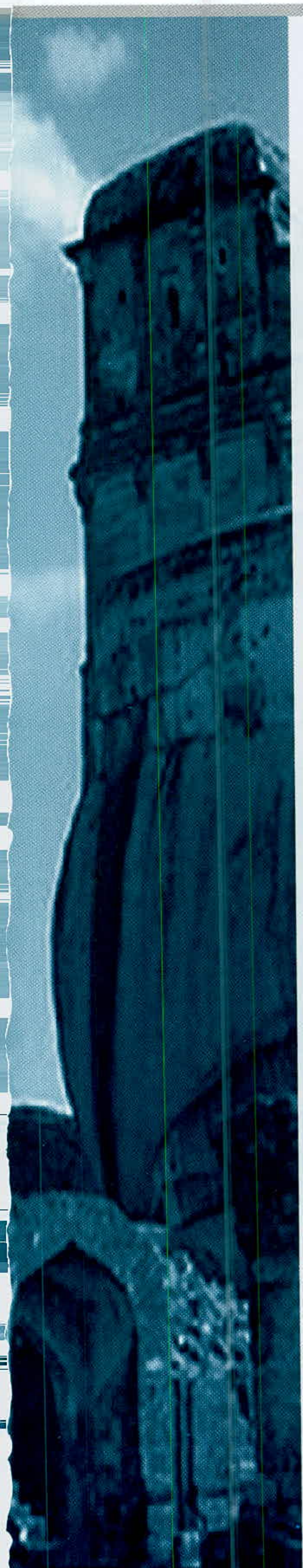

तालिका 2.3: 2004-09 के दौरान सतत् बचतें दर्शाने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(करोड़ रुपयो में)

क्र. स.	अनुदान संख्या तथा नाम	बचतों की राशि कोष्ठकों में प्रतिशत				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व दत्तमत						
01	22- नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	1.24 (30.00)	04.04 (30.93)	10.95 (52.52)	09.45 (39.84)	36.76 (56.61)
2007-08 एंव 2008-09 के दौरान बचते मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2217 नगरीय विकास - निर्धन मनुष्यों के लिए नगरीय सेवा कार्यक्रम तथा राज्य नगरीय सफाई अभियान के अधीन रिक्त पदों के न भरने,अनुबन्ध को अन्तिम रूप न देने, सामग्री आपूर्ति न करने और परामर्श कार्यो की प्रारम्भिक अवस्था के कारण हुई । 2004-05 से 2006-07 के दौरान बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2217 के अन्तर्गत नगर निगमों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में, योजना के लिए कार्यालय बनाने हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने, योजना आरम्भ न होने, आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित करने, परियोजना कार्यान्वियन कार्य विलम्ब से आरम्भ करने, राज्य योजना मण्डल द्वारा आवंटन में कमी, पद रिक्त रहने तथा कार्य योजना तैयार न करने आदि के कारण हुई।						
02	29- विधि और विधायी कार्य	79.24 (35.50)	63.50 (33.49)	60.00 (28.60)	57.64 (26.27)	68.50 (22.64)
2004-05 से 2008-09 के दौरान बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन-मुफसिल स्थापना तथा ग्राम न्यायालयों तथा 2015 चुनाव के अन्तर्गत योजनाओं इलेक्ट्रोरल रोल की तैयारी तथा मुद्रण, संसद/ राज्य विधान से चुनाव संचालन के लिए प्रभार तथा फोटो मतदाता परिचय पत्र जारी करने के आधीन हुई जो मुख्यतः15 प्रतिशत आर्थिक कटौती,आहरणों पर प्रतिबन्ध, ग्राम न्यायालयों में सदस्यों की नियुक्ति न करना, संसद के चुनावों का कम संचालन होना, चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय की वृद्धि न करना आदि के कारण हुई।						
राजस्व प्रभारित						
03	06- वित्त	2.18 (82.30)	2.56 (91.76)	3.09 (30.78)	10.44 (98.40)	10.70 (84.05)
2004-05 से 2008-09 के दौरान योजनाएं 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01-101 तथा 102 संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के अधीन सतत् बचतें हुई जिसके कारण वित्त विभाग ने सूचित नहीं किये।						
पूंजीगत दत्तमत						
04	17- सहकारिता	18.30 (45.50)	15.67 (34.34)	8.17 (22.89)	43.79 (43.98)	2.91 (32.12)
2004-05 से 2008-09 के दौरान बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख/कृषि सेवा/वृह्रद परिमाण बहुउदेदशीय सहकारी समितियों की अंश पूंजी में निवेश तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी पूजी में निवेश," एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं तथा मुख्य शीर्ष 6425- सहकारिता के लिए ऋण के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैक द्वारा जारी ऋण पत्रों का क्रय, तथा मेक्रो मैनेजमैंट एग्रीकल्चर सप्लीमेन्टेशन योजनाओं के अधीन हुई। 2007-08 में बचतें नाबार्ड से निधियां प्राप्त न होने के कारण " प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की अंश पूंजी में निवेश" योजनाओं" के अधीन हुई। 2004-05 में प्राथमिक भूमि विकास बैंक की अंश पूजी से निवेश तथा मेक्रो मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्वर सप्लीमेन्टेशन योजनाओं के अधीन सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने कारण बचतें हुई। अन्य बचतों के कारण विभाग ने सूचित नहीं किये।						
05	67-लोक निर्माण कार्य भवन	32.14 (46.10)	35.38 (44.67)	46.67 (58.56)	38.80 (50.31)	20.67 (23.34)
2004-05 के दौरान बचते मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन" जेल सुधार के अन्तर्गत निर्माण कार्य" योजना में हुई जबकि 2005-06 से 2008-09 मे मुख्य शीर्ष 4059-के आधीन न्याय प्रशासन जेल सुधार योजनाओं के अधीन निर्माण कार्य, 4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय" के आधीन ग्रामीण (क्षेत्र) परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार" तथा 4216- गृह निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय न्याय प्रशासन (कर्मचारियो के लिए क्वाटरों का निर्माण) पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन सतत् बचतें हुई विभाग ने बचत के कोई कारण सूचित नही किये।						
पूंजीगत -प्रभारित						
06	लोक ऋण	6,015.13 (51.70)	7,577.46 (88.82)	4,463.47 (72.05)	2,004.48 (54.45)	1,875.54 (48.88)
2004-05 से 2008-09 के दौरान सतत् बचतें 6003 -110-779 कमियो की पूर्ति के लिये अग्रिम तथा 637- अर्थोपाय पेशगी योजनाओं के अधीन हुई। विभाग ने बचत के लिये विशेष कारण सूचित नहीं किये।						

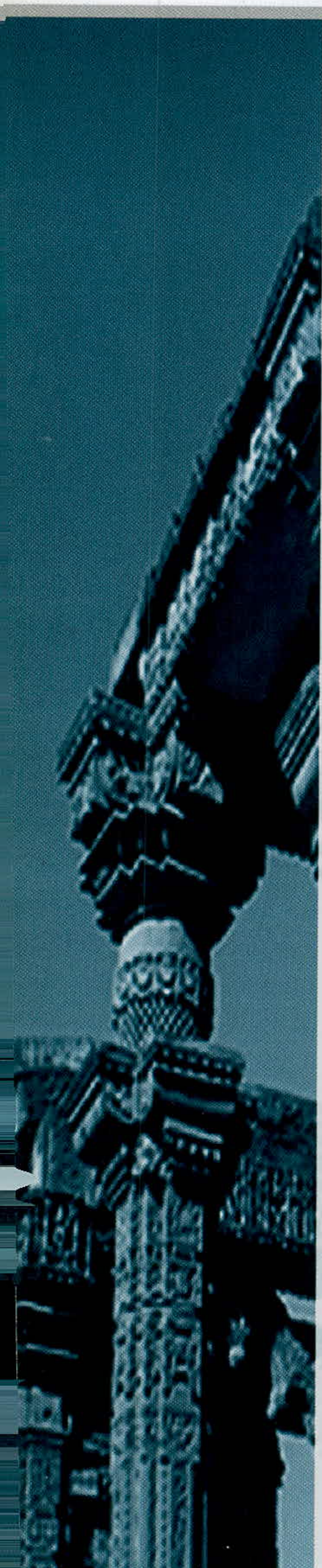

2.3.3 अधिक व्यय

योजना के 24 प्रकरणों में 1054.40 करोड़ रूपये का कुल व्यय प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से 10 करोड़ रूपये या उससे अधिक हुआ और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक हुआ विवरण **परिशिष्ट- 2.2** में दिये गये है । अन्तिम पॉच वर्षो के दौरान सतत् आधिक्य का कोई प्रकरण नही पाया गया।

2.3.4 बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिये निधियो का आहरण

मध्यप्रदेश कोषालय नियम 284 के प्रावधानो के अनुसार कोषालय से कोई भी राशि उस समय तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक उसका तत्काल संवितरण किया जाना आवश्यक न हो । नीचे उल्लेखित प्रकरण में आहरित राशि न तो विशिष्ट उदेश्य के लिये पूर्णतया व्यय की गई और न वित्तीय वर्ष 2008-09 की समाप्ति से पूर्व सरकार के खाते में ही जमा की गई।

अतिरिक्त प्रधान वन संरक्षक (विकास) मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (जुलाई 2009) कि 2008-09 के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में वन विभाग को 23 करोड़ रूपये की एक राशि विमोचित की गई थी । इसके विरूद्ध विभाग ने 22.49 करोड़ रूपये का व्यय दर्ज किया जिसमें से 3.29 करोड़ रूपये 31 मार्च 2009 को 8443 - सिविल निक्षेप- 800 - अन्य निक्षेप को अन्तरित किये गये थे । इस प्रकार राज्य सरकार ने 2008-09 के दौरान 3.80 करोड़ रूपये का उपयोग नही किया।

इसका उल्लेख करने पर विभाग ने कोई विशेष उत्तर नही दिया ।

2.3.5 पिछले वर्ष से सम्बन्धित प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में नियमन कराया जाना अनिवार्य है । यद्यपि व्यय के नियमन के लिए अनुच्छेद में कोई समय सीमा निर्धारित नही है तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त अधिक व्यय का नियमन किया जाना चाहिये फिर भी 1993-94, 1994-95 एवं 1997-98 से 2007-08 हेतु 4685.64 करोड़ रूपये का अधिक व्यय की राशि का अभी तक नियमन किया जाना है जिसके विवरण **परिशिष्ट- 2.3** में दिये गये है । अनुदान/ विनियोग के नियमन हेतु लम्बित अधिक व्यय की वर्षवार राशि का सारांश **तालिका 2.4** में दिया गया है ।

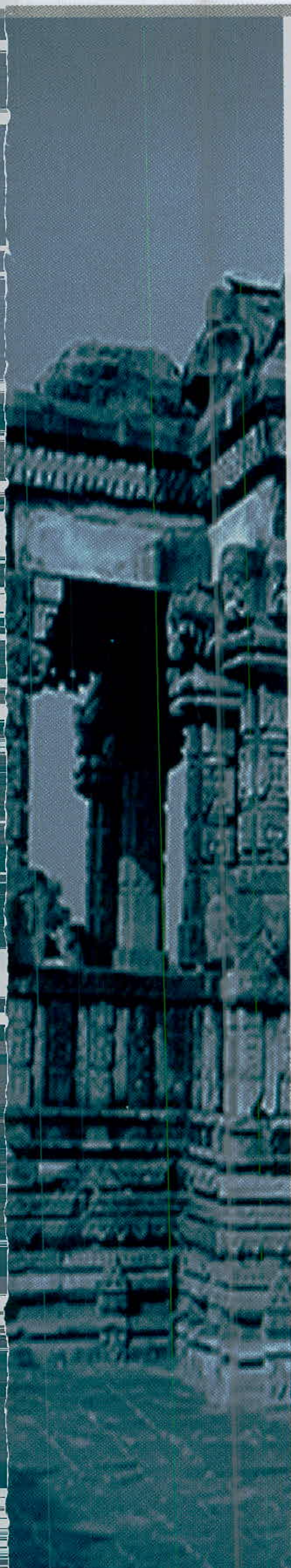

तालिका 2.4: पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि (करोड़ रूपयो में)	नियमन की स्थिति
	अनुदान	विनियोग		
1993-94	19	02	258.11	लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1994-95	14	01	407.46	— तदैव —
1997-98	10	03	302.79	2335170 रूपये को छोड़कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
1998-99	12	05	1276.45	स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
1999-2000	11	06	1584.94	स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2000-2001	03	04	265.07	स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2001-2002	-	03	6.26	स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2002-2003	03	05	424.79	31000 रूपये छोड़कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2003-2004	04	03	2.54	केवल 2.46 करोड़ रूपये छोड़कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2004-2005	13	02	83.66	4.44 करोड़ रूपये छोड़कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2005-2006	04	02	37.58	29.23 करोड़ रूपये छोड़कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये।
2006-07	02	01	35.99	सम्पूर्ण राशि के लिये स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किये।
2007-08	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
योग	95	37	4685.64	

2.3.6 2008-09 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

2008-09 के दौरान राज्य की समेकित निधि से 5.80 करोड़ रूपये के चार अनुदानो में कुल प्राधिकृत प्रावधान से अधिक कुल आधिक्यो का सांराश **तालिका 2.5** में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 2.5: प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	संख्या तथा शीर्षक		कुल अनुदान	व्यय	अधिक्य
दत्तमत अनुदान					
01	43	खेल और युवक कल्याण (पूंजीगत -	23.94	25.56	1.62
02	62	पंचायत (राजस्व-दत्तमत)	55.68	59.36	3.68
प्रभारित अनुदान					
03	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल राजस्व (प्रभारित)	0.50	0.71	0.21
04	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल पूंजीगत (प्रभारित)	32.34	32.63	0.29
		योग	112.46	118.26	5.80

उपरोक्त आधिक्यो के कोई कारण सूचित नही किये गये (अगस्त 2009)।

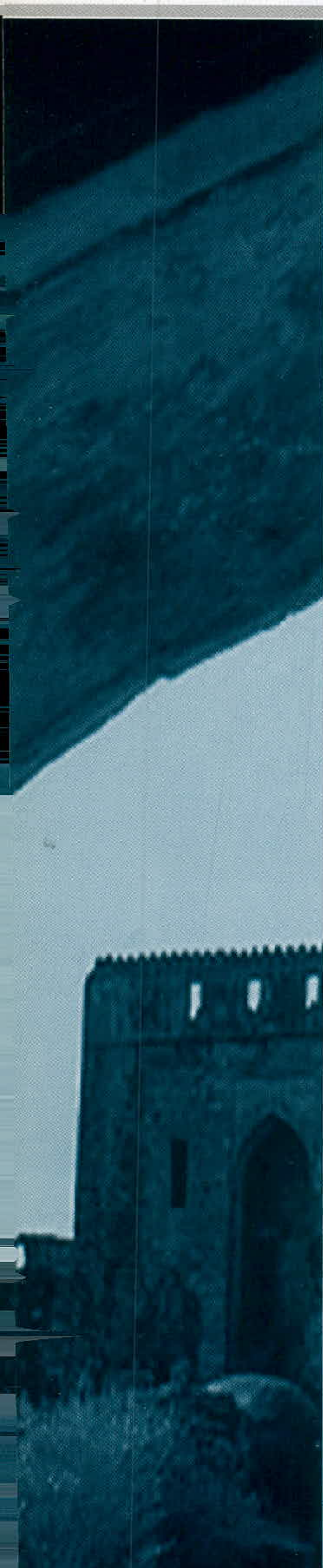

2.3.7 अनावश्यक/ अत्याधिक/ अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 34 प्रकरणो में प्राप्त कुल 1179.98 करोड़ रूपये के अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रूपये या इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि **परिशिष्ट 2.4** में दिये गये विवरणो के अनुसार व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नही हुआ। 30 प्रकरणो में 1896.94 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आवश्कता के विरूद्ध 3361.89 करोड़ रूपये का प्रावधान अत्याधिक सिद्ध हुआ परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 20 लाख रूपये से अधिक की बचत हुई जिसका कुल योग 1464.95 करोड़ रूपये (**परिशिष्ट 2.5**) दो प्रकरणो में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ और 1.91 करोड़ रूपये का असमावेशित आधिक्य व्यय रह गया। विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिये गये हैं।

2.3.8 निधियों का अत्याधिक/ अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचते अनुमानित हैं,से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अन्तरण है। 20 योजनाओं में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोगो (25 प्रतिशत या इससे अधिक के प्रकरण) के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट 2.7** में दिये गये विवरणो के अनुसार 20 योजनाओं में प्रत्येक में एक करोड़ रूपये से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ।

2.3.9 पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007) तथा उसके वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व जारी की जानी चाहिये और वे लेखाओ में समावेशन के लिये यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिये (ii) योजनाओं के सम्यक् विवरण प्रेषित किये जाने चाहिये (iii) एक अनुदान से दूसरे अनुदान तथा पूंजीगत से राजस्व शीर्षो में पुनर्विनियोग नहीं किया जाना चाहिये और (iv) सम्बद्व शीर्षो में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिये जिनसे पुनर्विनियोग/समर्पण की स्वीकृति दी जानी चाहिये। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष के दौरान इन अनुदेशों का उल्लंघन कर 287.44 करोड़ रूपये का पुनर्विनियोग/समर्पण किया गया तथापि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने इन्हे लेखाओ में सम्मिलित करने के लिये स्वीकार नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिये गये हैं।

2.3.10 सारभूत समर्पण

78 योजनाओं में सारभूत समर्पण (प्रकरण जिनमें कुल प्रावधान से 50 प्रतिशत अधिक का समर्पण किया गया) किये गये। इन 78 योजनाओं में 1706.93 करोड़ रूपये के कुल प्रावधान में से 1427.07 करोड़ रूपये (83.60 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 28 योजनाओं (427.84 करोड़ रूपये) में 100 प्रतिशत समर्पण सम्मिलित है। कारणों सहित चयनित 28 प्रकरणो के विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिये गये हैं। सारभूत समर्पण के मुख्य कारण भारत सरकार से केन्द्रीय अंश प्राप्त न होना, भारत सरकार द्वारा योजना बन्द करना, बजट में 15 प्रतिशत आर्थिक कटौती, भारत सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों मे स्थित नगरीय निकायों की परियोजना स्वीकृत न करना, आन्तरिक स्त्रोतों से भुगतानो की

व्यवस्था, योजनाएं कार्यान्वित न करना, सूखा प्रणत सिचाई कार्यक्रम योजनाओं से मांग प्राप्त न होना, आपदाओं का अनुमान न लगा पाना, भारत सरकार से योजनाओं के लिये निधियाँ/स्वीकृतियॉ प्राप्त न होना आदि थे । पाँच प्रकरणों (**परिशिष्ट 2.9** में क्रम संख्या 7,10,22,23 एवं 25) में समर्पण के कारण सूचित नही किये गये हैं ।

2.3.11 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

सात प्रकरणों में समर्पित राशि (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रूपये अथवा इससे अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जिनमें इन विभागो में बजट नियन्त्रण की कमी अथवा अपर्याप्तता प्रकट हुई । 354.71 करोड़ रूपये की बचत के विरूद्ध समर्पित राशि 368.12 करोड़ रूपये थी परिणामस्वरूप 13.41 करोड़ रूपये का अधिक समर्पण हुआ । विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिये गये है ।

2.3.12 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचत

राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार (नवम्बर 2006 तथा मार्च 2007) व्यय करने वाले विभागों को बचत के प्रत्याशित होने पर तुरन्त अनुदानों/ विनियोगों अथवा उसके भागों को वित्त विभाग को समर्पित करना अपेक्षित है । 2008-09 की समाप्ति पर 47 अनुदानों/ विनियोगों में बचत हुई परन्तु उनका कोई भाग सम्बन्धित विभागों ने समर्पित नही किया । इन प्रकरणों में निहित राशि 2344.09 करोड़ रूपये थी (8352.16 करोड़ रूपये की कुल बचत का 28.07 प्रतिशत जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है) **(परिशिष्ट 2.11)**

इसी प्रकार 45 अन्य अनुदानों/ विनियोगों (प्रत्येक अनुदान/विनियोग में एक करोड़ रूपये तथा इससे अधिक की बचत दृटिगत हुई) के अधीन 4762.13 करोड़ रूपये की कुल बचत में से कुल 2490.58 करोड़ रूपये की एक राशि (इन योजनाओ में कुल बचतों का 52.30 प्रतिशत) समर्पित नही की गई जिसके विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिये गये है । इसके अतिरिक्त 47 मुख्य शीर्षो (प्रत्येक प्रकरण में 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण) में कुल 2375.03 करोड़ रूपये **(परिशिष्ट 2.13)** मार्च 2009 के अन्तिम दो कार्य दिवसों में समर्पित किये गये थे जिससे अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण प्रकट हुआ और यह तथ्य भी प्रकट हुआ कि इन निधियों का अन्य विकास उदेश्यो में उपयोग नही किया गया।

2.3.13 व्यय की अत्यधिकता

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधान तथा 23 मार्च 1989 के अनुदेशों के अनुसार वित्त वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की अत्यधिकता को टालना चाहिये । इसके विपरीत **परिशिष्ट 2.14** में सूचीबद्ध 39 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में 10 करोड़ रूपये से अधिक और कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय अर्थात 1627.56 करोड़ रूपये (78.94 प्रतिशत) का कुल व्यय मार्च 2009 में किया गया ।

तालिका 2.6 में वे मुख्य शीर्ष जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक व्यय या तो अन्तिम तिमाही के दौरान अथवा वित्त वर्ष के अन्तिम माह के दौरान किया गया था, दिये गये हैं ।

तालिका 2.6: वित्त वर्ष 2008-09 के अन्त में व्यय की अधिकता के प्रकरण

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान ब्याज		मार्च 2009 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	2030	195.89	166.23	84.86	158.19	80.75
2.	2217	507.90	390.98	76.98	341.52	67.24
3.	3425	50.64	32.48	64.14	31.98	63.15
4.	4055	23.70	13.95	58.86	13.95	58.86
5.	4705	11.47	7.10	61.90	6.37	55.54
6.	5452	51.32	43.45	84.66	27.37	53.33
7.	6004	444.87	389.61	87.58	372.65	83.77
8.	6075	27.15	27.15	100	27.15	100
9.	7075	18.84	18.84	100	18.84	100
	योग	1,331.78	1,089.79	81.83	998.02	74.94

उपरोक्त शीर्षों में मार्च 2009 में 998.02 करोड़ रूपये (74.94 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। उसके दो मुख्य शीर्षों (6075 एवं 7075) में सम्पूर्ण व्यय मार्च 2009 के दौरान किया गया था। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन तथा व्यय के प्रवाह में एकरूपता न रखना प्रकट होता है जो बजट नियन्त्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

2.4 विभागीय आंकड़ो का मिलान न करना

2.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरुद्ध ब्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलम्ब

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक में यह प्रमाणित करना है कि चालू माह के प्रथम दिन से पूर्व उसके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक व्यय प्रभारों के लिये ब्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयक प्रतिहस्ताक्षर के लिये सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों तथा महालेखाकार को अग्रेषित कर दिये गये हैं। 31 मार्च 2009 की स्थिति में 1996-97 से 2008-09 तक की अवधि से सम्बन्धित 20.99 करोड़ रूपये के ब्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयकों के बकाया शेष थे। वर्षवार विवरण **तालिका 2.7** में दिये गये हैं।

तालिका 2.7 संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों के विरूद्ध ब्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित आकास्मिक व्यय देयकों की प्रस्तुति लंबित होना

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	वर्ष	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयको की राशि
1	1996-1997	0.15
2	1997-1998	0.03
3	1998-1999	2.42
4	1999-2000	8.75[5]
5	2000-2001	1.62
6	2001-2002	0.004
7	2002-2003	0.004
8	2003-2004	7.59[6]
9	2006-2007	0.03
10	2007-2008	0.06
11	2008-2009	0.33
योग		20.99

2008-09 तक के वर्षो के लिये लम्बित ब्यौरेवार प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय देयको का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया है।

2.4.2 मिलान न किया गया व्यय

व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण रखने हेतु विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को समर्थ बनाने के लिये और उसे बजट अनुदान के भीतर रखने के लिये तथा उनके लेखाओं की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिये कोषालय संकलन नियम पुस्तक (द्वितीय संस्करण 2007) महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) में शर्त है कि उनकी पुस्तकों में अंकित व्यय को वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार की पुस्तकों में अंकित व्यय से मिलान किया जाय। यद्यपि विभागीय आंकड़ो का मिलान न किये जाने का तथ्य, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में नियमित रूप से उल्लेख किया जाता है, इस सम्बन्ध में नियन्त्रण अधिकारियों की चूक 2008-09 के दौरान भी निरन्तर जारी रही। 14 विभागों के नियन्त्रण अधिकारियों ने मार्च 2009 तक 286.68 करोड़ रूपये की व्यय की राशि का मिलान नही किया। 14 नियन्त्रण अधिकारियों में से 4 नियन्त्रण अधिकारियों ने 2008-09 के दौरान कुल 263.56 करोड़ रूपये, प्रत्येक प्रकरण में 10 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का मिलान नहीं किया। विवरण **तालिका 2.8** के अनुसार है।

5 *मुख्यशीर्ष 2202 से सम्बन्धित 4.03 करोड़ रूपये का संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक आग में नष्ट हो गया जो 29.02.2000 को लगी थी इसलिये विवरण उपलब्ध नहीं है।*

6 *मुख्यशीर्ष 2070 (राज्य प्रोटोकॉल आफीसर) से सम्बन्धित 7.59 करोड़ रूपये के सम्बन्धित आकस्मिक व्यय देयक के विवरण अन्वेषण अभिकरण द्वारा अभिलेख जब्त कर लिये जाने के कारण उपलब्ध नहीं है।*

तालिका 2.8 : नियन्त्रण अधिकारियो की सूची जिनके अधीन 2008-09 के दौरान 10 करोड़ रूपये से अधिक की राशि का मिलान नहीं किया गया

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	नियन्त्रण अधिकारी	मिलान न की गई राशि
1.	सचिव सामान्य प्रशासन विभाग	16.67
2.	मुख्य प्रधान वन संरक्षक	72.35
3.	मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग	103.69
4	मुख्य यन्त्री लोक निर्माण विभाग	70.85
	योग	263.56

2.4.3 अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी या तो स्थायी आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विशेष स्वीकृतियो के आधार पर आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिये अस्थाई अग्रिमों का आहरण करते है। राज्य वित्त विभाग के अनुदेश (अक्टूबर 2001) के अनुसार यात्राओं अथवा आकस्मिक व्यय के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिये गये अस्थाई अग्रिम तीन माह के भीतर अथवा वित्त वर्ष की समाप्ति पर जो भी पहले हो समायोजित किये जाने चाहिये अन्यथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सावधि जमाओं पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज उत्तरदायी कर्मचारी/ अधिकारी से प्रभारित किया जायेगा।

राज्य के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2008 से जून 2009) और विभिन्न विभागों से प्राप्त जानकारी (जिस सीमा तक उपलब्ध थी) से प्रकट हुआ कि कुल 23.14 लाख रूपये के 128 अग्रिम 31 मार्च 2009 को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा समायोजन हेतु उनके अभिलखों में लम्बित थे। एक वर्ष से लेकर 10 वर्षों से अधिक अवधि के लिये अस्थाई अग्रिमों के समायोजन न करने के कारण विभाग ने सूचित नहीं किये। लम्बित अग्रिमों के विश्लेषण **तालिका 2.9** में दिये गये हैं।

तालिका 2.9 लम्बित अग्रिमों का समयानुसार विश्लेषण

क्रम संख्या	लम्बित अवधि	अग्रिमो की संख्या	राशि (रूपयों में)
1	10 वर्षों से अधिक	75	2,05,800
2	पॉच वर्षों से अधिक और 10 वर्ष तक	33	1,28,250
3	एक वर्ष से अधिक परन्तु पॉच वर्षों से कम	18	19,68,900
4	एक वर्ष से कम	02	11,500
	योग	128	23,14,450

2.5 व्यक्तिगत जमा लेखे

व्यक्तिगत जमा लेखाओं का सृजन राज्य की समेकित निधि को नामे डाल कर निधियों को अवरूद्ध कर रखने के लिये किया जाता है और उन्हें सम्बद्ध सेवा शीर्षो को ऋणात्मक नामे द्वारा वित्त वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिये । 53 जिला कोषालयो में 31 मार्च 2009 को 1488.25 करोड़ रूपये के 729 व्यक्तिगत लेखे (सरकारीः 719, अर्द्वसरकारीः10) थे । इन लेखाओं में से 333 व्यक्तिगत जमा लेखाओं में जिनमें 323.95 करोड़ रूपये शेष थे, 2008-09 तथा अन्तिम पाँच वर्षो तक के दौरान कोई लेन देन नही हुआ । व्यक्तिगत जमा लेखाओं के अन्त शेषो से प्रकट हुआ कि वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सम्बद्ध सेवाशीर्षो को ऋणात्मक नामे डाल कर व्यक्तिगत जमा लेखे बन्द करने के सम्बन्ध में प्रशासको ने मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग I नियम 543 के प्रावधानों का पालन नही किया ।

सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, खण्डवा तथा बड़वानी के व्यक्तिगत जमा लेखाओं के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार (सितम्बर 2008) के अनुमोदन के अन्तर्गत जारी आदिम जाति कल्याण विभाग के अनुदेशों (अक्टूबर 2008) के अनुसार व्यक्तिगत जमा लेखे नवम्बर 2008 तक बन्द किये जाये और शेष राशि राज्य सरकार की समेकित निधि में जमा की जानी थी । विकास कार्यो में सम्बन्धित राशियों का उपयोग भी नवम्बर 2008 तक सुनिश्चित किया जाना था। तदनुसार विभागों ने व्यक्तिगत जमा लेखे बन्द कर दिये और 31.53[7] करोड़ रूपये की शेष राशि राज्य की समेकित निधि के सम्बद्ध सेवाशीर्षो में जमा करने के स्थान पर नवम्बर 2008 में बैंक मे जमा कर दी । यह राशि 31 मार्च 2009 तक बैंक खातो में पड़ी हुई थी ।

विभाग ने सूचित किया (मार्च 2009) कि राशि विभिन्न प्रगत्याधीन निर्माण कार्यो के भुगतान के लिये बैंक खातों में रखी गई थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने व्यक्तिगत जमा लेखे बन्द करने और सम्बद्ध सेवाशीर्षो में ऋणात्मक नामे द्वारा राज्य की समेकित निधि में शेष राशि अन्तरित करने के अनुदेशों का पालन नही किया।

मामले की सूचना सरकार को दी गई (जनवरी 2010) उत्तर प्रतीक्षित है।

2.6 चयनित अनुदानो की समीक्षा के परिणाम

बजट प्रक्रिया एवं व्यय पर नियन्त्रण की समीक्षा और नौ अनुदानो[8] से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नांकित तथ्य सामने आयेः-

---

7 *सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, खण्डवा (20.34 करोड़ रूपये नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक खण्डवा में खाता संख्या 414 में पड़े हुऐ थे) तथा सहायक आयुक्त आदिम जाति विभाग, बडवानी (बैंक आफ इण्डिया में 11.19 करोड़ रूपये खाता संख्या 6176 में पडे हुए थे)*

8. *09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत), 11-वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार (राजस्व दत्तमत), 14-पशुपालन (राजस्व-दत्तमत) 19-लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (पूंजीगत दत्तमत), 28-राज्य विधान मंडल (राजस्व-दत्तमत), 34-समाज कल्याण (राजस्व-दत्तमत) 47-तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत), 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व तथा पूजीगत दत्तमत) तथा 67-लोक निर्माण कार्य भवन (पूंजीगत दत्तमत)*

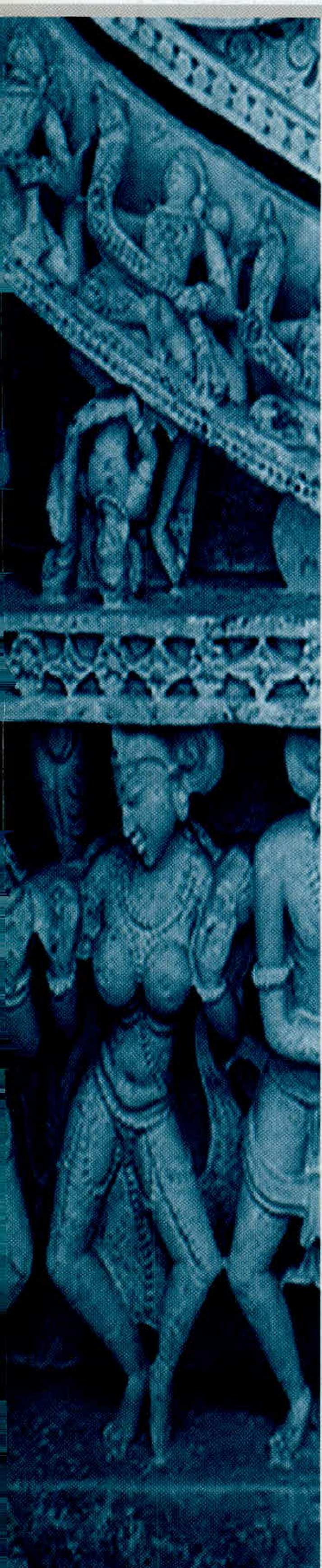

2.6.1 व्यय नियन्त्रण पंजियों का संधारित न करना

व्यय पर प्रभावी नियन्त्रण तथा निगरानी के लिये अनुदानों के नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा एक पंजी संधारित करना अपेक्षित है और अधीनस्थ कार्यालय द्वारा इन नियन्त्रण अधिकारियों को नियमित रूप से मासिक व्यय विवरण पत्र प्रेषित करना अपेक्षित है । इस प्रकार प्राप्त व्यय के आंकड़े, व्यय नियन्त्रण पंजियों में प्रविष्ट करने होते है और उनके प्रगामी योग नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की अद्यतन स्थिति हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिये माह प्रति माह निकाले जाने चाहिये।

अनुदान संख्या 9,14,19,34 तथा 47 के अभिलेखो की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि किसी भी नियन्त्रण अधिकारी ने न तो व्यय नियन्त्रण पंजी संधारित की थी और न अधीनस्थ कार्यालयों ने नियमित रूप से मासिक व्यय विवरण पत्र ही प्रेषित किये थे। इससे व्यय पर उचित नियन्त्रण और निगरानी का अभाव प्रकट हुआ तथा जिसके कारण (अ) कतिपय उपशीर्षों के अधीन प्रावधान से अत्याधिक व्यय/ बड़ी बचतें एवं (ब) अपर्याप्त/ अनावश्यक/ अत्याधिक अनुपूरक प्रावधान हुये ।

2.6.2 बजट अनुमानों की दोषपूर्ण तैयारी

नमूना जांच किये गये अनुदानों[8] तथा विनियोग लेखे 2008-09 में अनुसरण की गई प्रक्रिया से प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों की मांग तदर्थ आधार पर तैयार की गई थी । बजट तैयार करने की खराब गुणवत्ता और बजट कार्यक्रमों के कारणः-

(i) राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत सात अनुदानो (9,11,14,28,34,47 एवं 58) में 4.60 करोड़ रूपये से 281.36 करोड़ रूपये के मध्य कुल 384.58 करोड़ रूपये का आधिक्यपूर्ण प्रावधान हुआ । पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में भी तीन अनुदानों (19,58 एवं 67) में 2.50 करोड़ रूपये से 36.03 करोड़ रूपये के मध्य कुल 59.20 करोड़ रूपये के आधिक्य पूर्ण प्रावधान हुये ।

(ii) 2008-09 के दौरान नमूना जांच किये गये अनुदानों की 27 योजनाओं के अधीन प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान से दो करोड़ रूपये या इससे अधिक तथा 20 प्रतिशत से भी अधिक की **परिशिष्ट 2.16** में दिये गये विवरणों के अनुसार कुल 575.15 करोड़ रूपये की सारभूत बचतें हुई (20 योजनाओं में सतत् बचतें हुई)। छः योजनाओं के अन्तर्गत 2008-09 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रूपये से अधिक के कुल 232.71 करोड़ रूपये के सारभूत आधिक्य **परिशिष्ट 2.17** में दिये गये विवरणों के अनुसार हुये (दो योजनाओं में सतत् आधिक्य हुये)।

(iii) पाँच योजनाओं में कुल 126.31 करोड़ रूपये के अनुपूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा अनावश्यक सिद्ध हुये और छः योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान 314.14 करोड़ रूपये तक आधिक्यपूर्ण थे । तीन अन्य योजनाओं में अनुपूरक प्रावधान 185.37 करोड़ रूपये के कुल आधिक्य की दृष्टि से अपर्याप्त थे । विवरण **परिशिष्ट 2.18** में दिये गये हैं ।

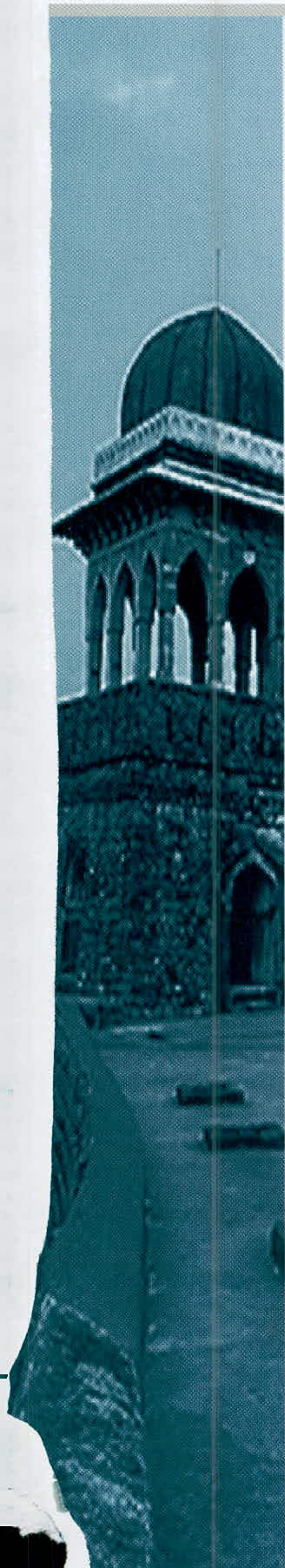

2.6.3 सिविल निक्षेप तथा बैंक खातों में निधियों का अवरोध

वित्तीय नियम कोषालय में उस समय तक धन के आहरण का निषेध करते हैं जब तक कि अविलम्ब संवितरण हेतु उसकी आवश्यकता न हो । अभिलेखों तथा विनियोग लेखे 2008-09 की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि धन का आहरण किया गया था और उसे बजट प्रावधान के व्यपगत होने से रोकने के लिये लेखाओं में अन्तिम व्यय के रूप में प्रदर्शित करने के उपरान्त सिविल निक्षेप में जमा किया गया था । विवरण निम्नानुसार है

(i) 0.35 करोड़ रूपये की एक राशि अनुदान संख्या 47 के अधीन 2203-105-0701-2267- पौलिटेक्निक संस्थाएं योजना के अन्तर्गत आहरित की गई और 31 मार्च 2009 को मुख्य शीर्ष 8443- सिविल निक्षेप 800- अन्य निक्षेप में जमा की गई ।

(ii) 1.10 करोड़ रूपये की एक राशि, अनुदान संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 2403- के अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा 31 मार्च 2009 को 2403-107- 0801- 6995- चारागाह विकास तथा चारे के बीज का वितरण योजना के अन्तर्गत आहरित की गई और 8443- सिविल निक्षेप- 106- व्यक्तिगत जमा लेखे में जमा किये गये ।

2.6.4 चयनित अनुदानों के अधीन व्यय का मिलान न करना

व्यय की सही सही तथा अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करने हेतु नियन्त्रण अधिकारियों को समर्थ बनाने के लिये विभागीय अभिलेखों में व्यय के आंकड़े तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I मध्य प्रदेश के अभिलेखो में दर्ज आकड़ों का मिलान करना चाहिये । नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 2008-09 के विभागीय व्यय के आंकड़ो का मिलान अनुदान संख्या 9 एवं 19 के किसी भी नियन्त्रण अधिकारी ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I के आंकड़ो के साथ नहीं किया जिससे व्यय पर अप्रभावी नियन्त्रण सिद्ध हुआ।

2.7 निष्कर्ष

यद्यपि वर्ष के दौरान 8352 करोड़ रूपये की सम्पूर्ण बचत, कुल बजट प्रावधान (49126 करोड़ रूपये) की 17 प्रतिशत थी तथापि निम्नांकित तथ्यों से राज्य सरकार द्वारा दोषपूर्ण बजट तैयारी, अप्रभावी वित्तीय प्रबन्धन तथा व्यय पर अप्रभावी बजट नियन्त्रण प्रकट हुआ।

वर्ष के दौरान प्राप्त 4628 करोड़ रूपये का एक अनुपूरक प्रावधान 8352 करोड़ रूपये की बचत की दृष्टि से आवश्यक नहीं था । 290 करोड़ रूपये लेखाओं में अन्तिम व्यय दर्शाते हुये सिविल निक्षेप को अन्तरित किये गये थे । सरकार को 1993-94, 1994-95 तथा 1997-98 से 2007-08 अवधि से सम्बन्धित 4686 करोड़ रूपये के आधिक्य व्यय का अभी तक नियमन करना था । वर्ष के दौरान चार अनुदानों/ विनियोगों में 5.80 करोड़

रूपये के आधिक्य व्यय का नियमन अपेक्षित था। वित्तीय नियमों तथा राज्य सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन कर जारी किये गये 287.44 करोड़ रूपये के समर्पण/ पुनर्विनियोग की स्वीकृतियाँ दोषपूर्ण थीं। 20.99 करोड़ रूपये के संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयक 31 मार्च 2009 को समायोजन हेतु बकाया थे। 14 नियन्त्रण अधिकारियों ने 287 करोड़ रूपये के व्यय का मिलान नही किया। सरकार ने 31 मार्च 2009 तक 1488 करोड़ रूपये की वृहद् राशि के शेष वाले 729 व्यक्तिगत जमा लेखे बन्द नही किये थे जिसमें से 324 करोड़ रूपये के शेष वाले 333 व्यक्तिगत जमा लेखे वर्ष के दौरान परिचालित नही हुये।

2.8 अनुशंसाएँ

- उन समस्त सरकारी विभागों को बजट पर नियन्त्रण सुदृढ करना चाहिये जहाँ बचतें/ आधिक्य पाए गए हैं। बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये वित्त वर्ष के बिल्कुल अन्त में सिविल निक्षेप में निधियों को जमा करने से टालना चाहिये।
- 1993-94 से लम्बित अधिक व्यय के नियमन हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय।
- पुनर्विनियोग/ समर्पण का अन्तिम समय पर जारी करना टालना चाहिये।

तीसरा अध्याय
वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय
3 वित्तीय प्रतिवेदन

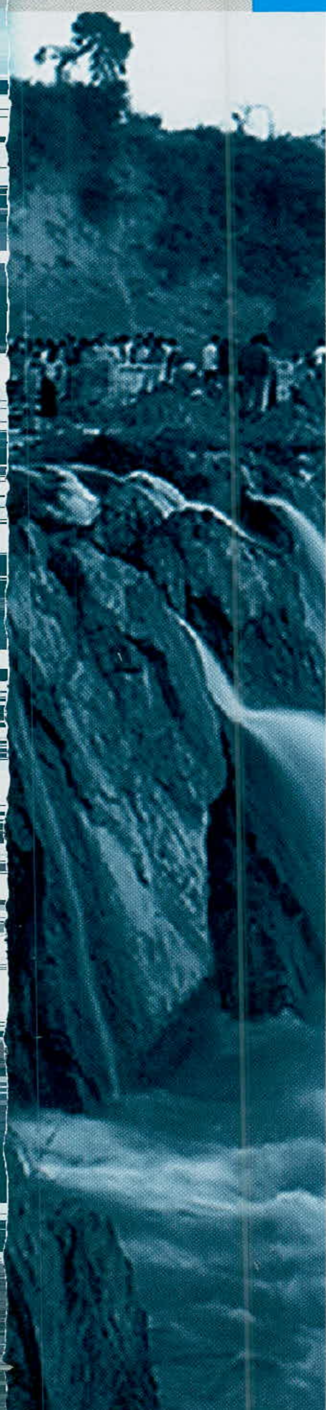

समबद्ध तथा विश्वसनीय जानकारी के साथ, स्वस्थ्य आन्तरिक वित्त सम्बन्धी सूचना देने का कार्य राज्य सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी नियन्त्रण में सार्थक योगदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्दशों का अनुपालन, साथ ही ऐसे अनुपालनो की स्थिति पर समयोचितता एवं गुणवत्ता अच्छे नियन्त्रण की विशेषताओ में से एक है। अनुपालन तथा नियन्त्रणों पर सूचनाएं, यदि प्रभावी तथा प्रक्रियागत है तो कौशलपूर्ण योजना तथा निर्णय की योग्यता सहित राज्य सरकार की अपनी आधारभूत प्रबन्धकारी उत्तरदायित्वों की पूर्ति में सहायक होते है। इस अध्याय में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन पर विहंगावलोकन तथा अनुपालन की स्थिति दी गई है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने में विलम्ब

मध्यप्रदेश वित्त संहिता नियम (182,229 एफ) में प्रावधान है कि विशेष कार्यो के लिये प्रदाय किये गये अनुदानो के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानगृहिता से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये और जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो उनकी स्वीकृति से 18 माहों के भीतर सत्यापन के पश्चात महालेखाकार को अग्रेषित करना चाहिये तथापि 4521.81 करोड़ रूपये (21 प्रतिशत) की कुल राशि के 3108 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे जिसमे से 20.59 करोड़ रूपये के 141 उपयोगिता प्रमाण पत्र पॉच वर्षो से अधिक समय से बकाया थे और मुख्य चूककर्त्ता विभाग सहकारिता एवं सहकारी समितियां थी जिनके 19.16 करोड़ रूपये के 58 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बावजूद और आर्थिक सहायता के विमोचन से विभागो के भीतर अन्तरिक नियन्त्रण की कमी दृष्टिगत हुई।

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विभाग के अनुसार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.1** में किया गया है।

तालिका 3.1 में उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में समयानुसार बकाया दिया गया है।

तालिका 3.1: उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समयानुसार बकाया

क्रम संख्या	वर्षो की संख्या में विलम्ब का वर्गीकरण	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
		संख्या	राशि (करोड़ रूपयो में)	संख्या	राशि (करोड़ रूपयों में)
1.	0 - 1	163	3,783.89	1,396	3,525.55
2.	1 - 3	2843	6,496.77	1,343	936.02
3.	3 - 5	अनुपलब्ध	3,271.33	228	39.65
4.	5 से अधिक	अनुपलब्ध	7,934.14	141	20.59
	योग	-	21,486.13	3,108	4,521.81

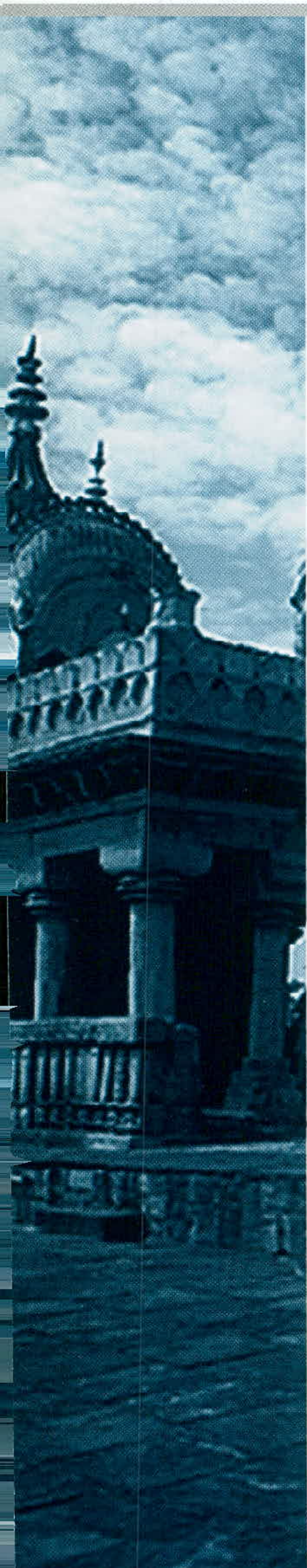

3.2 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो की प्रस्तुति में विलम्ब

राज्य सरकार ने अनेक स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना की । राज्य के 48 स्वायत्तशासी निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है । लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रचालन तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाए गए है । नियन्त्रक महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा सौपनें के उपरान्त लेखापरीक्षा को लेखाओं की प्रस्तुति में तथा विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति में विलम्ब के अनुसार स्वायत्तशासी निकायों की आवृत्ति व्याप्ति का सारांश **तालिका 3.2** में दिया गया है

तालिका 3.2: लेखाओं की प्रस्तुति में और पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो की पटल पर प्रस्तुती में विलम्ब

लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब (माहों में)	स्वायत्तशासी निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण	विधान सभा में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की प्रस्तुति में विलम्ब	स्वायत्तशासी निकायों की संख्या	विलम्ब के कारण
0 - 1	—	संचालक मण्डल द्वारा लेखाओं का अनुमोदन न किया जाना और अन्य द्वारा लेखे प्रस्तुत न करना । इकाई तथा मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार लेखे प्रस्तुत करने हेतु किया जा रहा है ।	0 - 1		किसी भी स्वायत्तशासी निकाय से लेखे प्राप्त नही हुये
1 - 6	—		1 - 2		
6 - 12	—		2 - 3		
12 - 18	1		3 - 4		
18 - 24	—		4 - 5		
24 एवं अधिक	46		5 एवं अधिक		
योग	**47**				

3.3 दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन आदि

राज्य सरकार ने मार्च 2009 तक 8.45 करोड़ रूपये का सरकारी धन समाविष्ट करते हुये दुर्विनियोग, गबन आदि के 966 प्रकरण सूचित किये थे जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। 2008-09 हेतु लम्बित प्रकरणों तथा अपलेखन का विभागानुसार विश्लेषण और उनका समयानुसार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** एवं **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है और इन प्रकरणों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.4** में दी गई है। इन परिशिष्टो से उद्भूत प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/ हानि के लम्बित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा तथा लम्बित प्रकरणों की संख्या का सारांश **तालिका 3.3** में दिया गया है ।

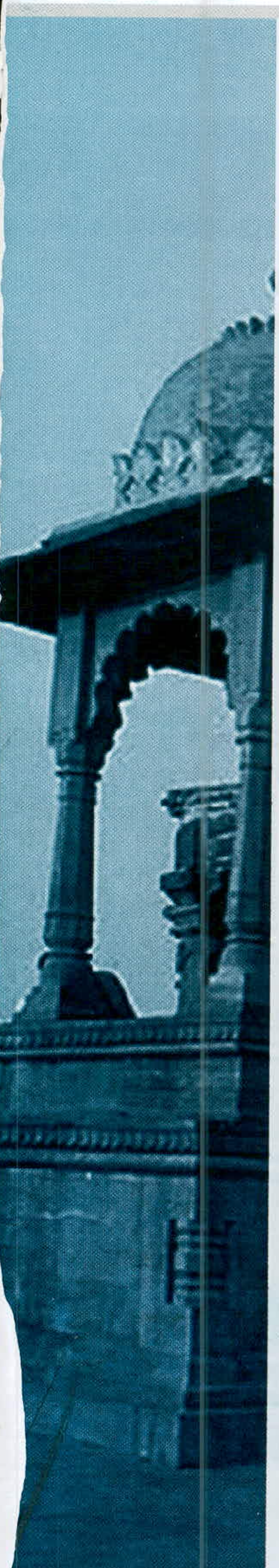

तालिका 3.3: दुर्विनियोग, हानियॉ, गबन आदि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समायानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्षों में वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (लाख रूपये में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (लाख रूपये में)
0 - 5	402	460.55	चोरी	184	140.29
5 - 10	143	100.53			
10 - 15	93	108.11	दुर्विनियोग/ सामग्री की हानि	782	705.05
15 - 20	110	64.26			
20 - 25	94	59.98	**योग**	**966**	**845.34**
25 एवं इससे अधिक	124	51.91	वर्ष के दौरान हानियो, अपलेखन के प्रकरण	31	4.32
योग	**966**	**845.34**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**966**	**845.34**

एक और विश्लेषण से प्रकट हुआ कि बकाया रहने के कारणो को **तालिका 3.4** में सूचीबद्ध संवर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के बकाया प्रकरणों हेतु कारण

विलम्ब/ बकाया लम्वित प्रकरणों हेतु कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रूपयो में)
i)	विभागीय तथा आपराधिक अनुसंधान प्रतीक्षित	निरंक	निरंक
ii)	विभागीय कार्यवाही आरम्भ हुई परन्तु अन्तिम रूप नही दिया गया	निरंक	निरंक
iii)	आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु राशि की वसूली के लिये प्रमाण् पत्र प्रकरणों का निषादन लम्बित है	निरंक	निरंक
iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	965	842.59
v)	न्यायालयों में लम्बित	1	2.75
	योग	**966**	**845.34**

3.4 निष्कर्ष

2008-09 तक प्रदत्त कुल 21486.13 करोड़ रूपये के अनुदानो तथा ऋणों के उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी करना अपेक्षित था तथापि कुल 4521.81 करोड़ रूपये (21 प्रतिशत) के प्रमाणपत्र बकाया थे। सम्बन्धित इकाईयों तथा राज्य सरकार को मामले की सूचना देने के उपरान्त भी 47 स्वायत्तशासी निकायों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब और परिणामस्वरूप पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने में विलम्ब हुआ। मार्च 2009 तक 8.45 करोड़ रूपये के सरकारी धन के दुर्विनियोग, गबन आदि के कुल 966 प्रकरण मुख्य रूप से सरकार से वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित होने के कारण लम्बित थे। उपरोक्त सभी कमियों से विभागों के अन्तर्गत आन्तरिक नियंत्रण में कमी तथा राज्य सरकार का अप्रभावी नियंत्रण प्रकट हुआ।

3.5 अनुशंसाएँ

- उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समय पर प्रस्तुति की निगरानी के लिये विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- विभाग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि स्वायत्तशासी निकायों आदि द्वारा लेखाओं की समय पर प्रस्तुति के अतिरिक्त पूर्व में विमोचित अनुदानों के सम्यक उपयोग सुनिश्चित करने के उपरान्त ही अनुदान विमोचित किये जायें।

- चोरी, दुर्विनियोग आदि के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक समयबद्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता है।

ग्वालियर
दिनांक 28 JUN 2010

(बी.आर.खैरनार)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 30 JUN 2010

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 | भाग क : शासकीय लेखाओं की संरचना एवं स्वरूप

(संदर्भ : कंडिका 1, पृष्ठ 1)

शासकीय लेखाओं की संरचनाः राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा

भाग I : संचित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राजकोष विपत्र जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धन राशियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि नामक एक समेकित निधि का निर्माण करती हैं।

भाग II : आकस्मिकता निधि

संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की संचित निधि राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गए एक अग्रदाय के रुप में होती है जिससे वह विधानमंडल के अनुमोदन के लंबित होने की स्थिति में अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिमों की व्यवस्था कर सकता है। बाद में ऐसे व्यय के लिए एवं संचित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की पूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा

कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को जो संचित निधि के भाग का निर्माण नहीं करते हैं , संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान नहीं किया जाता हैं।

परिशिष्ट 1.1

भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

(संदर्भ : कंडिका 1, पृष्ठ 1)

विवरण पत्रक	रूपरेखा
विवरण पत्रक क्र. 1	राज्य शासन के लेनदेनों - संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा में प्राप्तियों तथा व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत लोक ऋण प्राप्तियों तथा संवितरणों आदि के सारांश को प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 2	इसमें वर्ष 2008-09 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण पत्रक होता है ।
विवरण पत्रक क्र. 3	सिंचाई निर्माण कार्यों, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यकारी व्यय तथा संधारण प्रभारों, पूँजीगत परिव्यय, शुद्ध लाभ अथवा हानि आदि के वित्तीय परिणामों को दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 4	राज्य की ऋणस्थिति के सारांश को इंगित करता है जिसमें आंतरिक ऋण, भारत सरकार से उधारियाँ, अन्य दायित्व तथा ऋण सेवा सम्मिलित होते हैं ।
विवरण पत्रक क्र. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, किए गए पुनर्भुगतानों, बकाया वसूलियों आदि का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 6	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान के लिए शासन द्वारा दी गई गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 7	रोकड़ शेषों तथा ऐसे शेषों से किए गए निवेशों का सारांश प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 8	31 मार्च 2009 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 9	वर्ष 2008-09 के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व तथा व्यय को कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रुप में दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 10	वर्ष के दौरान किए गए प्रभारित तथा दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 11	राजस्व प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है।

विवरण पत्रक क्र. 12	आयोजनेत्तर तथा आयोजना के अंतर्गत पृथक रुप से लघु शीर्षवार राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय के लेखाओं को प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 13	वर्ष 2008 -09 के दौरान एवं अंत तक किये गए विस्तृत पूँजीगत व्यय को दर्शाता है ।
विवरण पत्रक क्र. 14	वर्ष 2008-09 के अंत तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंको तथा समितियों आदि में राज्य शासन के निवेश का विवरण दर्शाता है।
विवरण पत्रक क्र. 15	वर्ष 2008-09 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय तथा उन प्रधान स्त्रोतों को दर्शाता है जिनसे उस व्यय हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई ।
विवरण पत्रक क्र. 16	ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षो के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 17	म.प्र. सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज सहित दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 18	31 मार्च 2009 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई ऋण की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करता है ।
विवरण पत्रक क्र. 19	आरक्षित निधियों के प्रयोजन विशिष्ट शेषों का विवरण प्रस्तुत करता है ।

परिशिष्ट 1.1

भाग ग :

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2009 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र
(संदर्भ : कंडिका 1, पृष्ठ 1)

(करोड़ रुपए में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण पत्रक संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़		
I- देयताएं					
1. लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	**4, 16 तथा 17**
2. निक्षेप	1872.19	1516.52	358.05	(-) 2.38	4 तथा 16
3. आरक्षित निधियां	657.94(क)	45.49	11.55	102.46 (ख)	4 तथा 16
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19 (ग)	16
II- परिसम्पत्तियां					
1. सकल पूँजीगत परिव्यय	15760.57	4993.86	1499.12	8788.74 (घ)	**2 तथा 13**
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2187.44 (ड़.)	5 तथा 18
3. गारंटियाँ	9709.60	--	--	9416.11 (च)	6

टिप्पणीः और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखें।

(क) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42 (i) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार कुल 657.94 करोड़ रुपए में से 498.44 करोड़ रुपए छोड़ दिये गये।

(ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(ग) विवरणों के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(घ) 478.85 करोड़ रुपये की प्रोफार्मा कमी के कारण 9267.59 करोड़ रुपये के आँकड़ों से अन्तर है।

(ड) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों /विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(च) निरस्त पुरानी गांरटी के कारण वर्ष 2007-08 के 9539.87 करोड़ रुपए के आँकड़ों में 123.76 करोड़ रुपए का अंतर।

परिशिष्ट 1.2 | भाग क :
राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत प्रणाली
(संदर्भ : कंडिका 1 एवं 1.5.1, पृष्ठ 1 एवं 24)

चयनित राजकोषीय बदलाव के लिये बारहवें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संचयों को मूर्त रूप देने हेतु अपने लक्ष्यों सहित निर्धारित मापदण्ड/परिसीमन और राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम **(परिशिष्ट 1.2 का भाग-ख)** के अधीन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु आवश्यक अन्य विवरण पत्रों में दी गई वचनबद्धताएँ/निर्धारित लक्ष्यों का उपयोग प्रमुख राजकोषीय संचयों की प्रवृत्ति तथा प्रणाली के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन हेतु किया जाता है। यह मान लेने पर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, प्रमुख राजकोषीय संचय जैसे कर एवं करभिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बद्ध राजकोषीय बदलाव हेतु गुणांक उत्प्लावकता का भी यह मूल्यांकन करने हेतु आकलन किया गया है कि क्या संसाधनों का संघटन, व्यय की पद्धति आदि आधार में परिवर्तन आदि की गति के साथ तालमेल रख सकते है अथवा ये राजकोषीय संचय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित होते है।

अन्तिम पाँच वर्षो के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति निम्नानुसार है;

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रुपयों में)	**106808**	**116932**	**130571**	**142500**	**162525**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर *	**3.86**	**9.48**	**11.66**	**9.14**	**14.05**

(स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित अनुसार)

*2004-09 अवधि के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों में संशोधन किये गये है तदनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में विभिन्न पैरामीटर का प्रतिशत सम्बन्धी अनुपात/उत्प्लावकता में भी संशोधन किये गये है।

राजकोषीय क्षमता का अनुमान लगाने के लिये पद्धति।

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आकलन करने के लिये बारहवे वित्त आयोग के प्रतिवेदन में दी गई निम्नांकित पद्धति अंगीकार की गई है।

पहला चरणः कुल व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा पूंजीगत/परिव्यय/विकास व्यय/सामाजिक क्षेत्र का व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

दूसरा चरणः कुल व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित कुल व्यय निकालिये जिससे कि कोई भी राज्य ऐसा न हो जिसका कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम हो अर्थात यदि

कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद =x,

कुल व्यय =x* सकल राज्य घरेलू उत्पाद ....(1)

जहाँ x कुल व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात का राष्ट्रीय औसत है ।

जहाँ भी राज्यों का कुल व्यय-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, राष्ट्रीय औसत से उच्च होता है कोई समायोजन नही किये जाते । जहाँ भी यह अनुपात औसत से कम था वहां भी यह राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया गया था ।

तीसरा चरणः विकास व्यय-कुल व्यय, सामाजिक क्षेत्र का व्यय-कुल व्यय तथा पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, सम्बन्धित विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा पूंजीगत परिव्यय निकालिये जिससे कि किसी भी राज्य के यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हो अर्थात यदि

विकास व्यय/कुल व्यय =y

विकास व्यय =y* कुल व्यय....... (2)

जहाँ Y विकास व्यय-कुल व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है ।

उपरोक्त (2) में (1) को प्रतिस्थापित करने हम पाते हैं कि

विकास व्यय =Y* X* सकल राज्य घरेलू उत्पाद.......(3)

जहॉ कहीं भी राज्यों के विकास व्यय-कुल व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय-कुल व्यय तथा पूंजीगत व्यय-कुल व्यय का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, कोई समायोजन नहीं किया गया है । जहाँ कही भी ये अनुपात औसत से कम थे, वहां उन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया था ।

चौथा चरणः समीकरण (3) के अनुसार प्राप्त विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा पूंजीगत परिव्यय के आधार पर अपने अपने प्रतिव्यक्ति व्यय की गणना की जाती है यथा प्रतिव्यक्ति विकास व्यय=विकास व्यय/जनसंख्या ......(4)

(4) में (3) प्रतिस्थापित करके हम पाते हैं प्रति व्यक्ति विकास व्यय =(Y*X* सकल राज्य घरेलू उत्पाद)/जन संख्या .....(5)

समीकरण (5) समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय प्रस्तुत करता है । यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम होता है तो राज्यों का व्यय का निम्न स्तर निम्न राजकोषीय क्षमता के कारण होता है । यह उस समय व्यय के वास्तविक स्तर, का चित्र प्रस्तुत करता है जब समस्त राज्य सरकारें राष्ट्रीय औसत के बराबर इन क्षेत्रो के साथ राजकोषीय प्राथमिकता जोड़ रही होती है ।

राजकोषीय संचय की प्रवृत्ति तथा पद्धति के मूल्यांकन में प्रयुक्त कुछ चुने हुये शब्दों की परिभाषा नीचे दी गई हैं :

शब्द	गणना का आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्ड की वृद्धिदर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर
मानदण्ड (भ) की अन्य मापदण्ड (म) के सन्दर्भ में उत्प्लावक	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर/मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत व्यय	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं +चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
ब्याज प्रसार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा प्रसार	ऋण स्टॉक* ब्याज प्रसार
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज/ [(प्रारम्भिक शेष+ऋणों तथा अग्रिमों का अन्त शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय +पूंजीगत व्यय+निवल ऋण तथा अग्रिम- राजस्व प्राप्तियां - विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियों
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-ऋण के परिहार की कमी हेतु विनियोग के अन्तर्गत विकलनों को छोड़ कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटा कर राजस्व प्राप्तियों

परिशिष्ट 1.2 | भाग ख :

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

(संदर्भ : कंडिका 1, पृष्ठ 1)

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 बनाया है जो राजकोषीय प्रबन्धन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने हेतु तथा राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी करके राजकोषीय स्थिरता, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन, सरकार के राजकोषीय कार्यक्रमों में अत्यधिक पारदर्शिता और मध्यम कालीन संरचना में राजकोषीय नीति के संचालन तथा उससे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु 1 जनवरी 2006 से प्रभावशील हुआ था । अधिनियम में निर्दिष्ट तथा/अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों (30 जनवरी 2006) के अनुसार राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यन्वित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

- प्रत्येक वित्त वर्ष में राजस्व घाटा कम करना जिससे कि 31 मार्च 2009 तक यह समाप्त हो जाये और इसके पश्चात राजस्व अधिशेष निर्मित हो जाए,
- प्रत्येक वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम करना जिससे कि 31 मार्च 2009 तक यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत से अधिक न हो,
- यह सुनिश्चित करना कि 10 वर्षों की अवधि में अर्थात 31 मार्च 2015 तक उक्त वर्ष के लिये कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो और
- वार्षिक संवृद्धिता गारंटियों को सीमित करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालू वर्ष की कुल गांरटियाँ पूर्व वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा भारतीय संघ के बजट अनुमान के सन्दर्भ में केन्द्रीय कर अन्तरण में कमी तथा/अथवा आन्तरिक अशान्ति अथवा प्राकृतिक आपदा अथवा ऐसे अन्य अपवादीय आधार जिनका विवरण राज्य सरकार विशेष रूप से दे सके, के कारण इस धारा के अधीन निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमों में यथा निर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पथदर्शी मान चित्र

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने 2008-09 हेतु बजट अनुमान के साथ (क) वृहत् आर्थिक रूप रेखा विवरण पत्र, (ख) मध्यमकालीन राजकोषीय नीति विवरण पत्र एवं (ग) राजकोषीय नीति विवरण पत्र प्रस्तुत किये हैं । चयनित संकेतकों के लिये 2006-07 हेतु वास्तविक आंकड़े, 2007-08 हेतु पुनरीक्षित आंकड़े तथा 2008-09 हेतु बजट अनुमान मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्र में प्रस्तुत किये गये है **(परिशिट 1.2 भाग-ग)**।

बारहवे वित्त आयोग की प्रोत्साहन योजना के अनुसार ऋण समेकन तथा राहत सुविधा[1] के अधीन राजकोषीय निष्पादन के लिये ऋण अपलेखन पैकेज में एक पुरस्कार तय किया गया था। योजना के अनुसार समेकन तथा पुनर्सूचीबद्ध करने के उपरान्त भारत सरकार के ऋणों की अदायगी के अपलेखन की प्रमात्रा सम्पूर्ण राशि से सम्बद्ध की जायेगी जिसके द्वारा पुरस्कार अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में राजस्व घाटा कम किया जाता है । वस्तुतः यदि राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाता है तो अवधि के दौरान सम्पूर्ण पुनर्भुगतान का अपलेखन कर दिया जायेगा। उन राज्यों के लिये जिनको आधार वर्ष के आंकड़ो (2003-04) के अनुसार राजस्व अधिशेष हो रहा था और जिनकी बारहवें वित्त आयोग की भुगतान अवधि के अन्त तक अनुवर्ती वर्षो में यह स्थिति बनी रहेगी, उनके केन्द्रीय ऋणों (समेकन तथा सूचीबद्ध करने के उपरान्त) पर देय पुनर्भुगतान की किस्त का 2005-06 के आगे से उस समय तक अपलेखन किया जा सकता है जब तक राज्य की राजस्व अधिशेष सम्पूर्ण अवधि के आधार वर्ष के स्तर से पूर्ण रूप से नीची नही हो जाती । इस माप दण्ड के अनुसार सुधरे हुये राजकोषीय निष्पादन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिये 363.06 करोड़ रुपये के ऋण अधित्याग का लाभ प्राप्त किया ।

राजकोषीय स्थिति की मध्यम कालीन समीक्षा

मध्यप्रदेश राजकोषीय और बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 11 (1) के अनुपालन में वित्त मन्त्री ने जुलाई 2009 में एक अर्द्धवार्षिक समीक्षा की और समीक्षा के परिणाम जुलाई 2009 में विधान सभा में प्रस्तुत किये । द्वितीय तिमाही के अन्त में प्राप्ति तथा व्यय की प्रवृत्ति की अर्द्धवार्षिक समीक्षा के परिणाम से प्रकट हुआ कि कुल ऋणेत्तर प्राप्तियां तथा राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन नियम जनवरी 2006 के नियम 8 के अधीन निर्धारित मानक से बेहतर थे इसलिये राज्य सरकार द्वारा और सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं थी।

1. *राज्य के राजकोषीय समेकन तथा राजस्व घाटे में विलोपन के लिये बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं अनुपालनार्थ भारत सरकार के एक योजना ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (2005-06 से 2009-10) बनाई जिसके अधीन मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम अधिनियमित करने पर राज्य को प्रदत्त केन्द्रीय ऋणों पर ब्याज की पर्याप्त रूप से घटी हुई दरों पर समेकन और अनुसूचीकरण के द्वारा सामान्य ऋण राहत प्रदान की जाती हे तथा राज्य के राजस्व घाटे में कमी से माप कर राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ऋण छूट प्रदान की जाती है ।*

परिशिष्ट 1.2

भाग ग :
चयनित राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति
(संदर्भ : कंडिका 1, पृष्ठ 1)

(करोड रूपयों में)

क्रम संख्या	राजकोषीय संकेतक	2006-07 के लेखे	पिछला वर्ष 2007-08 पुनर्रीक्षितअनुमान	चालू वर्ष 2008-09 बजट अनुमान	2006-07 की तुलना में पिछले वर्षों में प्रतिशत परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)	25694.28	29840.01	34403.78	16.13	15.29
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	18561.67	21459.06	24745.04	15.61	15.31
2.1	राज्य कर	10472.20	11885.68	14214.30	13.50	19.59
2.2	केन्द्रीय करों में भागीदारी	8089.47	9573.38	10530.74	18.34	10.00
3	कर भिन्न राजस्व	2658.46	2559.59	3017.70	-3.72	17.90
4	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	4474.15	5821.36	6641.04	30.11	14.08
5	पूँजीगत प्राप्तियाँ(6+7+8)	2408.66	4762.48	5059.01	97.72	6.23
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	38.42	42.85	297.55	11.53	594.40
7	निवल लोक ऋण	2871.44	4641.33	4675.15	61.64	0.73
8	लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ	-501.20	78.30	86.31	-115.62	10.23
9	कुल प्राप्तियाँ(1+5)	28102.94	34602.49	39462.79	23.13	14.05
10	राजस्व व्यय(10.1+10.2)	22362.60	26483.64	31564.00	18.43	19.18
10.1	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	16910.51	19419.48	23245.54	14.84	19.70
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	5452.09	7064.16	8318.46	29.57	17.76
10.3	राजस्व व्यय जिसमें से					
10.3.1	ब्याज भुगतान	4028.95	4199.89	4489.67	4.24	6.90
10.3.2	आर्थिक सहायता	6870.13	8658.68	10760.59	26.03	24.28
10.3.3	मजदूरी एवं वेतन	6337.02	7562.34	9550.36	19.34	26.29
10.3.4	पेंशन भुगतान	1751.69	1999.05	2298.96	14.12	15.00
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	5169.94	6781.67	6099.93	31.18	-10.05
11.1	आयोजनेत्तर पूँजीगत व्यय	313.97	201.28	199.44	-35.89	-0.91
11.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	4855.97	6580.39	5900.49	35.51	-10.33
12	ऋण एवं अगिम (12.1+12.2)	1014.39	1117.30	1778.40	10.15	59.17
12.1	आयोनेतर ऋण एवं अग्रिम	750.71	545.25	645.51	-27.37	18.39
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	263.68	572.05	1132.89	116.95	98.04
13	कु ल व्यय\ (13.1+13.2)	28546.93	34382.61	39442.33	20.44	14.72
13.1	आयोजनेत्तर व्यय (10.1+11.1+12.1)	17975.19	20166.01	24090.49	12.19	19.46
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	10571.74	14216.60	15351.84	34.48	7.99
14	राजस्व घाटा (1-10)	3331.68	3356.37	2839.78	0.74	-15.39
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-2814.23	-4499.75	-4741.00	59.89	5.36
16	प्राथमिक घाटा [1+6-(13-10.3.1)]	1214.72	-299.86	-251.33	-124.69	-16.18

परिशिष्ट 1.3 | राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(संदर्भ : कंडिका 1.3 एवं 1.7.2, पृष्ठ 9 एवं 33)

(करोड़ रूपयों में)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
भाग क प्राप्तियाँ					
राजस्व प्राप्तियाँ	19743	20597	25694	30689	33577
कर राजस्व	7773(39)	9115(44)	10473 (41)	12018 (39)	13614 (41)
कृषि आय पर कर	—	—	—	—	—
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3913(50)	4508(49)	5261(50)	6045(50)	6843(50)
राज्य आबकारी	1193(15)	1370(15)	1547(15)	1854(15)	2302(17)
वाहनों पर कर	489(6)	556(6)	634(6)	703(6)	773(6)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	789(10)	1009(11)	1251(12)	1532(13)	1479(11)
भू राजस्व	47(1)	77(1)	132(1)	129(1)	339(2)
माल तथा यात्रियों पर कर	468(6)	579(6)	745(7)	916(8)	1333(10)
अन्य कर	874(11)	1016(11)	903(9)	839(7)	545(4)
(ii) कर भिन्न राजस्व	4462(23)	2208(11)	2658(10)	2738(9)	3343(10)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य अंश	5077(26)	6341(31)	8089(31)	10203(33)	10767(32)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2431(12)	2933(14)	4474(17)	5730(19)	5853(17)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	—	—	**9**	**11**	**24**
2 क.अन्तर्राज्यीय निपटान	—	—	**1**	**2**	**1**
3. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	**53**	**2852**	**28**	**105**	**54**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियॉं (1+2+2क+3)	**19796**	**23449**	**25732**	**30807**	**33656**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**8849**	**5161**	**4603**	**3371**	**6553**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष छोड़ कर)	6968(79)	4867(94)	4172(91)	2832(84)	5399(82)
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	—	—	—	—	—
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1881(21)	294(6)	431(9)	539(16)	1154(18)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	**28645**	**28610**	**30335**	**34178**	**40209**
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	**1**	--	**68**	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	**24790**	**29038**	**32225**	**39896**	**46460**
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	**53436**	**57648**	**62628**	**74074**	**86669**
भाग-ख व्यय/संविवरण					
10.राजस्व व्यय	**18026(69)**	**20563(73)**	**22363(79)**	**25601(76)**	**29514(77)**
आयोजना	3165(18)	4212(20)	5452(24)	6806(27)	7622(26)
आयोजनेतर	14861(82)	16351(80)	16911(76)	18795(73)	21892(74)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	7468(41)	7593(37)	8602(38)	9354(37)	10162(34)
सामाजिक सेवाएं	5672(32)	6658(32)	7577(34)	8146(32)	10146(34)
आर्थिक सेवाएं	3969(22)	5195(25)	4880(22)	6537(25)	7431(25)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	917(5)	1117(6)	1304(6)	1564(6)	1775(6)
11. पूंजीगत व्यय	**4951(19)**	**6623(24)**	**5170(18)**	**6833(20)**	**6713(18)**
आयोजना	3568(72)	3700(56)	4855(94)	6511(95)	6503(97)
आयोजनेतर	1383(28)	2923(44)	315(6)	322(5)	210(3)
सामान्य सेवाएं	146(3)	121(2)	71(1)	74(1)	125(2)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
सामाजिक सेवाएं	432(9)	635(10)	722(14)	1141(17)	1295(19)
आर्थिक सेवाएं	4373(88)	5867(88)	4377(85)	5618(82)	5293(79)
12.ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	3311(12)	834(3)	953(3)	1155(3)	1861(5)
12 क. अन्तर्राज्यीय निपटान	—	—	1	2	1
13. योग (10+11+12+12क)	26288	28020	28487	33591	38089
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3391	954	1732	1677	1961
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षो को छोड़ कर)	1147	539	989	1240	1516
अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षो के अधीन निवल लेनदेन	267	—	—	—	—
भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1977	415	743	437	445*
15.आकस्मिक निधि में विनियोग	—	—	60	—	—
16. समेकित निधि में कुल संवितरण (13+14+15)	29679	28974	30279	35268	40050
17. आकस्मिक निधि संवितरण	—	8	—	—	—
18. लोक लेखा संवितरण	23591	28096	30769	39423	45989
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	**53270**	**57078**	**61048**	**74691**	**86039**
भाग-ग घाटे					
20. राजस्व घाटा (-) राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	1717	34	3331	5088	4063
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	-6492	-4571	-2755	-2784	-4433
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	-2831	-1149	1274	1407	-241
भाग घ.अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में राशि)	3661	3422	4029	4191	4192
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1143	2081	767	898	1087
25. ली गई अर्थोपाय पेशगियां तथा अधिविकर्ष दिन	—	—	—	—	—
ली गई अर्थोपाय पेशगियां (दिन)	80	—	—	—	2
लिया गया अधिविकर्ष	—	—	—	—	—
26. अर्थोपाय पेशगियों/अधिविकर्षो पर ब्याज	4/00	—	—	—	0.01/00
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद@	106808	116932	130571	142500	162525
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	44235	49173	53280	55311	60432
29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में ब्याज सहित)	2016	613	866	856	1930
30. गांरटी की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12507	12637	12424	12086	11991
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	436	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3^	अनुपलब्ध
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध निधियाँ	9031	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	13^	अनुपलब्ध

* *ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के अधीन 363.06 करोड़ रुपये की ऋण राहत सम्मिलित है।*

@ *सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े अंगीकृत किये गये हैं ।*

^ *उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध हैं ।*

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
भाग ङ राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
I संसाधन संघटन					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.28	7.80	8.02	8.43	8.38
स्वंय का कर भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	4.18	1.89	2.04	1.92	2.06
केन्द्रीय अन्तरण** / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.03	7.93	9.62	11.18	10.23
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	24.61	23.96	21.82	23.57	23.44
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	133.15	136.04	110.87	109.46	113.44
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	68.57	73.39	78.51	76.22	77.49
सामाजिक सेवाओं पर व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत)	23.45	26.27	29.31	28.65	30.65
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	44.00	40.44	34.98	37.85	37.61
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	18.83	23.64	18.15	20.34	17.62
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	18.27	23.20	17.90	20.12	17.29
III राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	+1.61	+0.03	+2.55	+3.57	+2.50
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-6.08	-3.91	-2.11	-1.95	-2.73
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद]	-2.65	-0.98	+0.98	+0.99	-0.15
राजस्व घाटा /राजकोषीय घाटा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.44	14.65	14.04	15.02	15.58
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	41.42	42.05	40.81	38.81	37.18
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तिया	224.05	238.74	207.36	180.23	179.98
प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा	(-)4745	(-)198	(+)3143	(+)2164	(+)3526
ऋण परिशोधन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां (अनुपात)	0.79	0.86	0.99	1.20	0.95
V अन्य राजकोषीय स्थिति संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (रूपये करोड़ में तथा कोष्ठक में प्रतिशत)	2.50 (0.06)	5.72 (0.08)	14.44 (0.18)	59.23 (0.67)	69.05 (0.72)
चालू राजस्व से शेष (रूपये करोड में)	2909	2081	5294	7275	6846
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.75	0.77	0.85	0.94	1.01

कोष्ठक में दिये गये आंकड़ो प्रत्येक उपशीर्ष के योगों की तुलना में प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं ।

** *केन्द्रीय अन्तरण में भारत सरकार से प्राप्त संघकर/शुल्क एवं सहायता अनुदान समाविष्ट हैं ।*

भाग क :
वर्ष 2008–09 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(संदर्भ : कंडिका 1.1, पृष्ठ 1)

(करोड़ रूपयों में)

प्राप्तियाँ				संवितरण				
						2008-09		
2007-08			2008-09	2007-08		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
		भाग -कःराजस्व						
30688.74	**I.**	**राजस्व प्राप्तियां**	**33577.21**	**25601.11**	**I. राजस्व व्यय**	**21892.29**	**7621.59**	**29513.88**
12018.18		- कर राजस्व	13614.05	**9354.35**	**सामान्य सेवाएं**	**10126.15**	**36.19**	**10162.34**
				8145.46	**सामाजिक सेवाएं**	**6005.84**	**4140.10**	**10145.94**
2738.19		- कर भिन्न राजस्व	3342.86	3767.84	-शिक्षा,क्रीड़ा,कला एवं संस्कृति	3752.22	1142.43	4894.65
				1138.61	-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	971.69	336.46	1308.15
10202.96		- संघ करों में राज्य का अंश	10766.59	894.83	- जल आपूर्ति सफाई ,गृह निर्माण तथा शहरी विकास	333.90	758.58	1092.48
1110.86		- आयोजनेतर अनुदान	1014.79	40.85	- सूचना तथा प्रसार	55.04	2.12	57.16
				991.80	- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	228.61	880.89	1109.50
2611.97		- राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2823.78	82.87	- श्रम तथा श्रमिक कल्याण	64.74	34.35	99.09
				1210.11	- समाज कल्याण तथा पोषण	577.42	985.27	1562.69
2006.58		- केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	2015.14	18.55	- अन्य	22.22		22.22
				6537.46	**आर्थिक सेवाएं**	**4211.83**	**3219.33**	**7431.16**
				1944.89	-कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां	1593.63	977.72	2571.35
				2137.16	- ग्रामीण विकास	179.84	1795.95	1975.79
				--	-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			

प्राप्तियाँ					संवितरण			
						2008-09		
2007-08			2008-09	2007-08		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
				394.14	- सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	325.04	103.26	428.30
				1084.17	- ऊर्जा	1318.46	125.04	1443.50
				276.75	- उद्योग तथा खनिज	147.89	141.83	289.72
				609.07	- परिवहन	608.21	0.51	608.72
				42.53	- विज्ञान प्रोद्योगिकी तथा पर्यावरण	3.09	47.55	50.64
				48.75	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	35.67	27.47	63.14
				1563.84	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**1548.47**	**225.97**	**1774.44**
	II.	**भाग ख को अग्रेनीत राजस्व घाटा**		**5087.63**	**II- भाग ख को अग्रेनीत राजस्व बचत**	–	–	**4063.33**
30688.74		**योग**	33577.21	**30688.74**	**योग**			**33577.21**
		भाग ख						
2409.77	**III**	**स्थाई अग्रिमों तथा नकद शेष निवेश सहित प्रारम्भिक नकद शेष**	1792.45	–	**III. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डियाँ से प्रारम्भिक अधिविकर्ष**	–	–	–
11.07	**IV**	**विविध पूंजीगत प्राप्तियां**	24.00	**6832.70**	**IV. पूंजीगज परिव्यय**	**209.70**	**6503.45**	**6713.15**
				73.40	**सामान्य सेवाएं**	**23.70**	**101.18**	**124.88**
				1140.95	**सामाजिक सेवाएं**	**2.30**	**1292.78**	**1295.08**
				146.27	- शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		246.54	246.54
				111.06	-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	0.27	67.93	68.20
				614.68	-जल आपूर्ति, सफाई, गृहनिर्माण तथा शहरी विकास	0.03	642.85	642.88
				–	- सूचना तथा प्रसारण	–	–	–
				242.11	- अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	–	275.93	275.93
				18.13	- समाज कल्याण तथा पोषण	2.00	53.37	55.37
				8.70	- अन्य सामाजिक सेवाएं	–	6.16	6.16

प्राप्तियाँ					संवितरण			
2007-08			2008-09	2007-08		2008-09		
						आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
				5618.35	**आर्थिक सेवाएं**	**183.70**	**5109.49**	**5293.19**
				64.00	- कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं	6.79	36.37	43.16
				470.10	- ग्रामीण विकास	--	460.81	460.81
				2021.33	- सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	--	2141.99	2141.99
				903.34	- ऊर्जा	160.00	747.01	907.01
				265.23	- उद्योग तथा खनिज	16.91[#]	14.98	31.89
				1869.41	-परिवहन	--	1649.01	1649.01
				2.00	- विज्ञान प्रोद्योगिकी तथा पर्यावरण	--	8.00	8.00
				22.94	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	--	51.32	51.32
105.24	**V**	**ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ**	**53.62**	**1154.88**	**V. संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	--	--	**1861.46**
0.75		- विद्युत परियोजनाओं से		519.68	- विद्युत परियोजनाओं के लिये	--	--	1574.92
-1.57		- सरकारी कर्मचारियों से	1.40	0.05	- सरकारी कर्मचारियों के लिये	--	--	0.10
106.06		-अन्यो से	52.22	635.15	- अन्यो के लिये	--	--	286.44
1.79	**VI**	**अन्तर्राज्यीय निपटान**	0.79	**2.06**	**VI. अन्तर्राज्यीय निपटान**	--	--	0.73
5087.63	**VII**	**राजस्व अधिशेष ऊपर से लाया गया**	**4063.33**		**VII. राजस्व घाटा ऊपर से लाया गया**	--	--	--
3370.95	**VIII**	**लोकऋण प्राप्तियां**	**6552.97**	**1677.00**	**VIII. लोक ऋण का पुर्नभुगतान**	--	--	**1961.01**
		वाह्य ऋण			वाह्य ऋण			
2831.93		-अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षो के अलावा आन्तरिक ऋण	5399.29	1240.13	- अर्थोपाय पेशगियों तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	--	--	1516.15
		अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन			अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--
		अधिविकर्षो के अधीन निवल लेनदेन				--	--	--

\# ऋण के निवेश में परिवर्तन से सम्बन्धित हें।

प्राप्तियां					संवितरण			
2007-08			2008-09	2007-08		2008-09		
						आयोजनेतर	आयोजना	योग
539.02		- केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1153.68	436.87*	- केन्द्र सरकार को ऋण तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान	--	--	444.86*
--	IX	आकस्मिक निधि को विनियोग	—	—	IX. आकस्मिक निधि को विनियोग	--	--	—
	X	आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	—	—	X आकस्मिक निधि से व्यय	--	--	—
39895.93	XI	लोक लेखा प्राप्तिया	46460.26	39423.29	XIलोक लेखा प्राप्तिया	--	--	45988.97
1438.87		- लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	1387.23	1245.60	- लघु बचतें तथा भविष्य निधियां	--	--	1183.52
716.06		- आरक्षित निधियां	598.84	750.19	- आरक्षित निधियां	--	--	587.04
23275.43		- उचन्त तथा विविध	27446.23	23293.35	- उचन्त तथा विविध	--	--	27488.77
8928.62		- प्रेषण	9117.10	8870.74	- प्रेषण	--	--	9055.44
5536.95		- निक्षेप तथा अग्रिम	7910.86	5263.41	-निक्षेप तथा अग्रिम	--	--	7674.20
—	XII	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डियाँ से अन्तिम अधिविकर्ष		1792.45	XII वर्ष के अन्त में नकद शेष	--	--	2422.10
				2.65	- कोषालय में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--	--	2.67
				-1303.79	- रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	--	--	-840.93@
				16.64	- स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	--	--	14.15
				3076.95	- नकद शेष निवेश तथा चिन्हित निधियों के निवेश	--	--	3246.21
81571.12		योग	92524.63	81571.12	योग			92524.63

* *भारत सरकार से बारहवे वित्त आयोग की अनुशसांओं के अधीन राज्य को ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के कारण राज्य सरकार द्वारा 2007-08 एवं 2008-09 प्रत्येक हेतु प्राप्त किये गये 363.06 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं*

@ *भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित रुपये 840.93 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 827.81 करोड़ रुपये (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2009 के लेखाओं के बन्द होने पर रुपये 13.12 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2009 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त रुपये 0.51 करोड़ रुपये का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखों में, गलत रिपोर्टिंग के कारण है।*

परिशिष्ट 1.4

भाग ख :
31 मार्च 2009 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ : कंडिका 1.7.1, पृष्ठ 32)

(करोड़ रूपयों में)

31.03.2008 की स्थिति	देयताएं	31.03.2009 की स्थिति में
33258.49	**आन्तरिक ऋण**	37141.63
12645.30	ब्याज वाले बाजार ऋण	16602.67
1.14	ब्याज रहित बाजार ऋण	1.13
149.83	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	139.79
6161.83	अन्य संस्थाओं से ऋण	6223.61
14300.39	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि हेतु जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	14174.43
—	अर्थोपाय पेशगियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	19.01
—	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डियां से अधिविकर्ष	—
8781.85	**केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम**	9490.67
1.88	1984-85 से पूर्व के ऋण	1.88
69.77	आयोजनेतर ऋण	65.66
8566.85	राज्य आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	9291.42
25.09	केन्द्रीय आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	22.33
118.26	केन्द्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिये ऋण	109.38
100.00	**आकस्मिक निधि**	100.00
7836.48	**लघु बचते, भविष्य निधियां आदि**	8040.19
3900.26	**निक्षेप**	4137.02
1851.74	**आरक्षित निधियां**	1939.67
141.42	**उचन्त तथा विविध शेष**	102.07
55870.24		**60951.25**
	परिसम्पत्तियां	
44529.59	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	51218.52
8844.99	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	9643.33
35684.60	अन्य पूंजीगत परिव्यय	41575.19
5823.13	**ऋण तथा अग्रिम**	7630.97
2730.26	विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	4305.18
3060.86	अन्य विकास ऋण	3295.08
32.01	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	30.71

31.03.2008 की स्थिति में	परिसम्पत्तियां	31.03.2009 की स्थिति मे
14.10	**अग्रिम**	14.19
322.54	**प्रेषण शेष**	260.89
1792.45	**नकद**	2422.10
2.65	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	2.67
-1303.79	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप	-840.93
16.64	स्थाई अग्रिमों सहित विभागीय नकद शेष	14.15
2759.00	नकद शेष निवेश	2929.46
317.95	आरक्षित निधि निवेश	316.75
3388.43	**सरकारी लेखाओं पर घाटा**	-595.42
-5087.63	(i) चालू वर्ष की कम राजस्व अधिशेष	-4063.33
0.27	(क) अन्तर्राज्यीय निपटान	-0.05
33.81	(ख) सरकारी लिखे में राशि का संवरण	3.18
492.60	वर्ष के दौरान प्रोफार्मा समायोजन	76.35
7949.38	वर्ष के आरम्भ में संचित घाटा	3388.43
55870.24		60951.25

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. *उपरोक्त दिये गये विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये । सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट 1.4** में दर्शाए अनुसार सरकारी लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं । परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मदें अथवा प्राप्ति योग्य मदें अथवा मदें जैसे मूल्य ह्रास या स्टॉक में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिये गये है । उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।*

2 *भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित रुपये 840.93 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित827.81 करोड़ रुपये (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2009 के लेखाओं के बन्द होने पर रुपये 13.12 करोड़ रुपये (जमा) का अन्तर था। अप्रैल 2009 के लेखाओं के बन्द होने के उपरान्त रुपये 0.51 करोड़ रुपये का शुद्ध अन्तर समाधान के लिए शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखों में, गलत रिपोटिंग के कारण है।*

परिशिष्ट 1.5

कर एवं करभिन्न राजस्व के मुख्य घटकों के अन्तर्गत संग्रहण और उनके संग्रहण पर किये गये व्यय का विवरण

(संदर्भ : कंडिका 1.3.1, पृष्ठ 11)

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण व्यय का प्रतिशत	वर्ष के लिये अखिल भारतीय औसत का प्रतिशत
क	**कर राजस्व**						
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2004-05	3960.00	3912.01	40.80	1.04	0.95
		2005-06	4676.00	4508.42	40.40	0.90	0.91
		2006-07	5357.00	5261.41	43.79	0.83	0.82
		2007-08	5900.00	6045.07	48.17	0.80	0.83
		2008-09	6600.00	6842.99	59.90	0.88	अनुपलब्ध
2.	वाहनों पर कर	2004-05	550.01	488.65	5.87	1.20	2.74
		2005-06	600.00	556.02	6.24	1.12	2.67
		2006-07	650.00	634.30	6.64	1.05	2.47
		2007-08	775.00	702.62	7.11	1.01	2.58
		2008-09	1000.00	772.56	9.21	1.19	अनुपलब्ध
3.	राज्य आबकारी	2004-05	1185.00	1192.36	218.54	18.33	3.34
		2005-06	1300.00	1370.38	289.53	21.13	3.40
		2006-07	1430.00	1546.68	303.79	19.64	3.30
		2007-08	1700.00	1853.83	396.04	21.36	3.27
		2008-09	2075.00	2301.95	505.46	21.96	अनुपलब्ध
4.	मुद्रॉक एवं पंजीयन शुल्क	2004-05	760.00	788.71	75.28	9.54	3.44
		2005-06	830.00	1009.45	28.84	2.86	2.87
		2006-07	1000.00	1251.10	36.48	2.92	2.33
		2007-08	1400.00	1531.54	44.54	2.91	2.09
		2008-09	1840.00	1479.29	41.72	2.82	अनुपलब्ध
ब	**कर भिन्न राजस्व**						
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	2004-05	710.32	733.72	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2005-06	800.00	815.31	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2006-07	1100.00	923.91	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2007-08	1275.00	1125.39	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2008-09	1200.00	1361.08	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	वानिकी तथा वन्य जीवन	2004-05	506.00	559.11	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2005-06	422.00	490.40	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2006-07	450.00	536.50	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2007-08	525.00	608.89	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		2008-09	600.00	685.60	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

परिशिष्ट 1.6

अद्यतन वर्ष जिसके लिए लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था हेतु 31.3.2009 की स्थिति में हानि में चलने वाले सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति

(संदर्भ : कंडिका 1.6.1, पृष्ठ 29)

(लाख रुपयों में)

क्र. संख्या	कार्यालयों/निगमों के नाम	वर्ष जिस तक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष के अन्त में निवेशित राशि (प्रदत्त पूंजी)				वर्ष के 31 मार्च के अन्त में संचित हानि (-)	क्षेत्र
			राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
A	सरकारी कम्पनियां (कार्यशील)							
1.	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित भोपाल	2006-07	329.50	--	--	329.50	990.02	कृषि तथा सम्बद्ध
2.	मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित रीवा	2007-08	--	--	80.00	80.00	28.19	क्षेत्र विकास
3.	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित भोपाल	2005-06	8109.18	--	--	8109.18	63989.80	वित्त
4.	मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल	2005-06	2497.29	--	--	2497.29	1006.29	पर्यटन
5.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित इन्दौर	2007-08	63731.39	--	--	63731.39	67980.32	ऊर्जा
6.	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित भोपाल	2007-08	52988.05	--	--	52988.05	49447.46	ऊर्जा
7.	विशेष आर्थिक क्षेत्र इन्दौर मर्यादित इन्दौर	2004-05	2697.40	--	--	2697.40	107.02	क्षेत्रविकास
8.	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित जबलपुर	2007-08	41704.34	--	--	41704.34	61377.70	ऊर्जा
9.	मध्यप्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी मर्यादित जबलपुर	2007-08	90183.03	--	--	90183.03	974.22	ऊर्जा

परिशिष्ट 1.6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	मध्यप्रदेश इलेक्ट्रोनिक डबलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल	2006-07	2191.45	--	-	2191.45	1634.18	इलेक्टोनिक्स
ख	**सरकारी कम्पनियां (अकार्यशील)**							
1.	ऑप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड भोपाल	2005-06	2293.42	--	103.29	2396.71	11532.89	इलेक्टोनिक्स
2.	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक निगम मर्यादित भोपाल	2005-06	1511.67	--	-	1511.67	5101.35	उद्योग
3.	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित भोपाल	2005-06	685.95	--	-	685.95	9528.80	वस्त्रोद्योग
ग	**619 ख कम्पनियां (कार्यशील)**							
1.	जबलपुर सिटी ट्रान्सपोट मर्यादित लिमिटेड भोपाल	2006-07	24.99	--	-	24.99	0.38	परिवहन
घ	**619 (ख)कम्पनियां (अकार्यशील)**							
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल जबलपुर	1989-90	126.00	24.00	-	150.00	377.52	ऊर्जा
ङ	**सांविधिक निगम (कार्यशील)**							
1.	म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल जबलपुर	2005-06	16961.71	-	-	16961.71	79684.32	ऊर्जा
2.	म.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	10995.53	3185.35	-	14180.88	102451.89	परिवहन
3.	म. प्र. वित्त निगम इंदौर	**2007-08**	31227.84	--	2101.15	33328.99	24128.75	वित्त
च	**सांविधिक निगम (अकार्यशील)**							
	समापनाधीन कम्पनी							
1.	**म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित भोपाल**	1990-91	500.00	--	--	500.00	214.68	निर्माण
	योग		328758.74	3209.35	2284.44	334252.53	480555.78	

परिशिष्ट 2.1

विभिन्न अनुदान/विनियोग का विवरण जिनमें बचत 10 करोड़ रुपये से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थी, का विवरण पत्र

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 48)

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान /विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोक ऋण	लोक ऋण (पूंजीगत प्रभारित)	3836.56	1875.55	48.89
2.	02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय (राजस्व दत्तमत)	33.39	11.23	33.63
3.	06	वित्त (राजस्व दत्तमत)	3116.31	624.61	20.04
4.	06	वित्त (पूंजीगत दत्तमत)	388.32	314.60	81.02
5.	06	वित्त (राजस्व प्रभारित)	12.73	10.70	84.05
6.	12	ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	1766.71	386.35	21.87
7.	12	ऊर्जा (राजस्व प्रभारित)	265.00	99.06	37.38
8.	13	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग (राजस्व दत्तमत)	689.18	233.59	33.89
9.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत दत्तमत)	64.22	36.03	56.10
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पूंजीगत दत्तमत)	473.20	133.93	28.30
11	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (राजस्व दत्तमत)	64.93	36.76	56.61
12	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय (पूंजीगत दत्तमत)	275.49	125.22	45.45
13	29	विधि और विद्यायी कार्य (राजस्व दत्तमत)	302.53	68.50	22.64
14	34	समाज कल्याण (राजस्व दत्तमत)	67.33	16.75	24.88
15	37	पर्यटन (पूंजीगत दत्तमत)	71.61	20.29	28.33
16	53	अनुसूचित जाति उप योजना के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूंजीगत दत्तमत)	61.94	24.59	39.70
17	57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाऐं सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूंजीगत दत्तमत)	350.24	111.18	31.74

(करोड़ रूपयों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय (राजस्व दत्तमत)	1147.42	281.36	24.52
19.	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राजस्व दत्तमत)	44.80	14.30	31.92
20.	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूंजीगत दत्तमत)	56.00	32.18	57.46
21.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना (राजस्व दत्तमत)	823.03	165.51	20.11
22.	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूंजीगत दत्तमत)	88.57	20.67	23.34
23.	69	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	43.40	13.07	30.12
24.	73	त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय (राजस्व दत्तमत)	48.40	48.40	100.00
25.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) (पूंजीगत दत्तमत)	164.18	90.00	54.82
26.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	2362.76	609.23	25.78
		कुल	16618.25	5403.66	32.52

परिशिष्ट 2.2

अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाऐं जिनमें व्यय प्रावधान से 10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक था, का विवरण पत्र

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3, पृष्ठ 56)

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान /विनियोग की योजना का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	अधिक्य	आधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-5519-8.40 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण 2017	63.00	102.48	39.48	62.67
2.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-7236-12.50 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण, 2008	14.06	28.13	14.07	100.07
3.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-6816 विद्युत बन्ध पत्रों पर ब्याज भुगतान-2	92.43	130.16	37.73	40.82
4.	लोक ऋण	6003-105-3731- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृाि ऋण निधि के कर्जे	182.72	227.21	44.49	24.35
5.	लोक ऋण	6003-106-6817-विद्युत बन्ध पत्र -2 मूलधन भुगतान	94.32	141.48	47.16	50
6.	6 वित्त	2071-01-101-9998-मध्यप्रदेश	210.19	254.79	44.60	21.22
7.	6 वित्त	2071-01-105-9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	146.71	245.94	99.23	67.64
8.	23- जल संसाधन	4701-43-800-1401- नाबार्ड(सामान्य) -2897-बांध तथा संलग्न कार्य	3.00	15.86	12.86	428.67
9.	23- जल संसाधन	4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3368- मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	10.73	23.73	13.00	121.16
10.	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-108-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 6717-छात्राओं को निशुल्क साईकल का प्रदाय	सांकेतिव त	29.70	29.70	सांकेतिक प्रावधान के विरूद्ध आधिक्य
11.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-5624-सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न उपार्जन हेतु	134.86	233.35	98.49	73.03
12.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4700-66-796-800-0102- क्षेत्रीय योजना आदिवासी की उपयोजना 5091-लोअर गोई परियोजना	10.44	35.62	25.18	241.19
13.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4702-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 3828 लघु सिंचाई योजना	27.77	85.94	58.17	209.47
14.	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 3803- लघु तथा लघुतम सिंचाई योजनाऐं	68.20	128.50	60.30	88.42

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	48- नर्मदा घाटी विकास	4700-41-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 2872-बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना	119.05	161.37	42.32	35.55
16.	48- नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 2884- नहर तथा उससे सम्बन्धित निर्माण कार्य।	131.20	161.08	29.88	22.77
17.	48- नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 9091-ओंकारेश्वर परियोजना	116.05	145.17	29.12	25.09
18.	48- नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101- राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)6,398- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना	25.05	82.21	57.16	228.18
19.	58- प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-7102-तहसीलदारों के माध्यम से राहत कार्यो का क्रियान्वयन	10.00	54.17	44.17	441.70
20.	58- प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-2018-नकद दान	55.00	72.86	17.86	32.47
21.	58- प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030-अन्य कार्य हेतु पुनः स्थापना के लिये सहायता	108.89	275.43	166.54	152.94
22.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	5054-04-789-800-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना 9002- अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	53.12	66.64	13.52	25.45
23.	77- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2267 निशुल्क पाठय सामग्री का प्रदाय	9.00	20.46	11.46	127.33
24.	78- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 7910-माइक्रों इरीगेसन की केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं ।	10.10	28.01	17.91	177.33
		योग	1695.89	2750.29	1054.40	62.17

परिशिष्ट 2.3

पिछले वर्षों के प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है
(संदर्भ : कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 56)

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की क्र. संख्या	अनुदान /विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि	लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1993-94	19 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) 3,8,15,16,20, 24,29,30,42,45,49,58,67, पूंजीगत (दत्तमत) 27, 44, 57,67,70,73 राजस्व (प्रभारित) 30,51	258.11	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गइ है ।लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नही की गई ।
1994-95	14 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) 8,20, 24, 32, 58,63,67 पूंजीगत (दत्तमत) 20,30,42,47,60,67,73 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण	407.46	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गइ है । लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नही की गई ।
1997-98	10 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 7,20,24, 27,58, 67, पूंजीगत (दत्तमत):20,21,61,69 राजस्व (प्रभारित): लोक ऋण, 31,67,	302.79	अनुदान संख्या 7 के सन्दर्भ में 2335170 रूपये को छोड़ कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है । लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई ।
1998-99	12 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत):02,14,20, 24,25,27, 50,58,62,67,77 पूंजीगत (दत्तमत)59 राजस्व (प्रभारित),लोक ऋण, 03,20,29,81	1276.45	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है ।लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नही की गई ।
1999-2000	11 अनुदान 06 विनियोग	राजस्व (दत्तमत) 14,27,44,50,59, पूंजीगत (दत्तमत) 03,23,60,69,75,89 राजस्व (प्रभारित) 6,23,24,30 पूंजीगत (प्रभारित) लोक ऋण, 21	1584.94	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है ।लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नही की गई ।
2000-2001	03 अनुदान 04 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 02,70 पूंजीगत (दत्तमत):88 राजस्व (प्रभारित): 24, पूंजीगत (प्रभारित): लोक ऋण, 21,23	265.07	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है ।लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नही की गई ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001-2002	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 20 पूंजीगत (प्रभारित)06,23	06.26	व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है ।लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नही की गई ।
2002-2003	03 अनुदान 05 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,53,67 राजस्व (प्रभारित): 44,67 पूंजीगत (प्रभारित): लोक ऋण 21,23	424.79	अनुदान संख्या 53 के संदर्भ में 31000 रूपये को छोड़ कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी गई है । लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई ।
2003-2004	04 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 68,84 पूंजीगत (दत्तमत)35,94 राजस्व (प्रभारित): 20,67 पूंजीगत (प्रभारित) 23,	2.54	अनुदान संख्या 68 एवं 84 के सन्दर्भ में 12838788 रूपये,अनुदान संख्या 20 के संदर्भ में 26547 रूपये तथा अनुदान संख्या 94 के सन्दर्भ में 11705217 रूपये को छोड़ कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है।
2004-05	13 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,59,67,92,94 पूंजीगत (दत्तमत) 06,19,30,59,66,78,84,86 राजस्व (प्रभारित): 67 पूंजीगत (प्रभारित) 45	83.66	अनुदान संख्या 94 के सन्दर्भ में 35,57,194 रूपये तथा अनुदान संख्या 84 एवं 86 के सन्दर्भ में 40887394 रूपये को छोड कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं । लोक लेखा समिति द्वारा अभी चर्चा नहीं की गई है ।
2005-2006	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 24,67 पूंजीगत (दत्तमत)06,39 पूंजीगत (प्रभारित)21,45	37.58	अनुदान संख्या 06 एवं 39 के सन्दर्भ में 292285014 रूपये छोड कर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत की गई है ।
2006-2007	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत)): 24,67 पूंजीगत (प्रभारित) 24	35.99	व्याख्यात्मक टिप्पणियां लोक लेखा समिति प्रस्तुत नही की गई ।
2007-2008		किसी भी अनुदान में अधिक व्यय नहीं है		
योग	95 अनुदान एवं 37 विनियोग		4685.64	

परिशिष्ट 2.4

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में 50 लाख रूपये अथवा इससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुये

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 पृष्ठ 58)

(करोड़ रूपयों में)

स.क्र.	अनुदान/ की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क- राजस्व दत्तमत					
1.	01-सामान्य प्रशासन	113.32	106.74	6.58	14.98
2.	03-पुलिस	1382.94	1357.33	25.61	6.40
3.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	12.98	12.08	0.90	2.27
4.	06-वित्त	3100.96	2491.70	609.26	15.35
5.	07-वाणिज्यिक कर	735.75	674.25	61.50	13.25
6..	08- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	432.51	409.02	23.49	43.20
7.	12- ऊर्जा	1765.87	1380.36	385.51	0.84
8.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	589.97	455.60	134.37	99.21
9.	14-पशु पालन	271.37	230.91	40.46	8.84
10.	15. अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	659.11	557.26	101.85	8.65
11.	17-सहकारिता	66.24	65.14	1.10	4.00
12.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1025.85	899.93	125.92	45.00
13.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	243.96	243.95	0.01	18.00
14.	24-लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	604.41	594.39	10.02	38.14
15.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2084.40	2004.29	80.11	5.00
16.	29-विधि और विधायी कार्य	273.25	234.03	39.22	29.29
17.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1173.60	1136.20	37.40	239.79
18.	44-उच्च शिक्षा	420.03	417.26	2.77	13.10
19.	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	159.23	146.84	12.39	4.10
20.	51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व	11.71	10.61	1.10	0.75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	52 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	864.93	755.10	109.83	33.50
22.	55-महिला एवं बाल विकास	595.44	586.33	9.11	103.58
23.	56-ग्रामोद्योग	47.16	42.92	4.24	6.40
24.	63-अल्पसंख्यक कल्याण	11.37	7.42	3.95	3.16
25.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	757.27	657.52	99.75	65.76
26.	72- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	40.05	34.60	5.45	2.50
27.	78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	79.79	78.11	1.68	1.58
28.	79-चिकित्सा शिक्षा	277.92	244.17	33.75	0.50
29	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज समस्याओं को वित्तीय सहायता	2079.69	1753.53	326.16	283.07
योग	राजस्व (दत्तमत)	19881.08	17587.59	2293.49	1110.21
ख - पूंजीगत (दत्तमत)					
30.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित व्यय	-	-	-	5.00
31.	06-वित्त	371.41	73.72	297.69	16.91
32.	37-पर्यटन	68.76	51.32	17.44	2.85
33.	44-उच्च शिक्षा	31.04	28.45	2.59	7.00
34.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	854.00	781.33	72.67	38.01
योग पूंजीगत (दत्तमत)		1325.21	934.82	390.39	69.77
महायोग (क+ख)		21206.29	18522.41	2683.88	1179.98

परिशिष्ट 2.5

वे प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7, पृष्ठ 58)

(करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क- राजस्व दत्तमत				
1.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	18.13	15.26	22.16	11.23
2.	05-जेल	94.07	7.37	98.73	2.71
3.	10-वन	698.30	39.87	728.39	9.78
4.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	98.12	13.78	101.93	9.97
5.	21-आवास एवं पर्यावरण	115.81	98.68	199.94	14.55
6.	26-संस्कृति	34.88	4.35	36.52	2.71
7.	30-ग्रामीण विकास	564.47	63.15	615.59	12.03
8.	32-जनसंपर्क	61.50	23.79	81.54	3.75
9.	33-आदिम जाति कल्याण	626.10	89.00	687.69	27.41
10.	34-समाज कल्याण	49.18	18.15	50.59	16.74
11.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	312.82	296.38	545.29	63.91
12.	43-खेल और युवक कल्याण	16.23	1.76	17.30	0.69
13.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	619.41	528.02	866.07	281.36
14.	65-विमानन	12.27	2.79	14.42	0.64
15	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	186.61	28.92	203.15	12.38
16.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1867.45	188.92	1957.68	98.69
17.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	547.43	34.65	563.34	18.74
	कुल (क)	**5922.78**	**1454.84**	**6790.33**	**587.29**
	ख- राजस्व प्रभारित				
18.	01-सामान्य प्रशासन	10.86	1.25	11.15	0.96
	कुल (ख)	**10.86**	**1.25**	**11.15**	**0.96**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(ग) पूंजीगत (दत्तमत)				
19.	08- भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	12.83	11.07	21.78	2.12
20.	12-ऊर्जा	1668.24	859.00	2157.98	369.26
21.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	279.41	193.79	339.27	133.93
22.	23-जल संसाधन	322.80	360.00	619.81	62.99
23.	24-लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	719.30	87.00	737.49	68.81
24.	30-ग्रामीण विकास	82.30	28.66	104.96	6.00
25.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	877.40	130.04	903.75	103.69
26.	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	8.19	6.00	13.41	0.78
27.	48-नर्मदा घाटी विकास	733.82	82.57	798.17	18.22
28.	55-महिला एवं बाल विकास	22.30	5.70	27.76	0.24
29.	67-लोक निर्माण कार्य भवन	56.60	31.97	67.91	20.66
30.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रांरभिक शिक्षा को छोड़कर)	54.18	110.00	74.18	90.00
	योग (ग)	4837.37	1905.80	5866.47	876.70
	कुल योग (क+ख+ग)	10771.01	3361.89	12667.95	1464.95

अतिरिक्त आवश्यकता : वास्तविक व्यय -मूल प्रावधन=12667.95-10771.01=1896.94

परिशिष्ट 2.6

विभिन्न अनुदान/विनियोग जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ का विवरण पत्र

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7, पृष्ठ 58)

(करोड़ रूपयों में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/एवं विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
पूंजीगत (प्रभारित)							
1.	24	**लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल**	5.00	27.34	32.34	32.63	0.29
पूंजीगत (दत्तमत)							
2.	43	**खेल और युवक कल्याण**	8.17	15.77	23.94	25.56	1.62
योग			**13.17**	**43.11**	**56.28**	**58.19**	**1.91**

परिशिष्ट 2.7

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8, पृष्ठ 58)

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा का शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) बचत (-)	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज	+ 15.58	-4.48	28.75
2.	06	वित्त	2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	+15.00	-9.89	65.9
3.	10	वन	2406-01-203-535-इमारती लकड़ी	+1.50	-12.85	100
4.	10	वन	2406-01-204-2901-बांस	-0.40	+3.01	100
5.	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-052-0101-693-औजार एवं संयंत्र	+0.91	-2.53	100
6.	24	लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3054-04-337-134 अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत	+25.00	-16.84	67.4
7.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	10-वन विभाग 2406-01-796-101-0102-7882-कार्य योजना का कार्यान्वयन	-0.07	+4.61	100
8.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	20-स्कूल शिक्षा विभाग 2202-02-796-106-0102-6813-साईकिलो का प्रदाय	+4.02	-1.90	47.3
9.	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4702-796-800-1402-5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	+1.43	-12.11	100
10.	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702-80-800-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	+4.30	-1.80	41.9
11.	47	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2203-105-0101- राज्य आयोजना (सामान्य) 2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं	-7.83	+3.15	40.2
12.	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-5011-शेयर मछेरवा शक्कर परियोजना	+0.23	-1.40	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-1398-छात्रावास/आश्रमों का संचालन	-1.64	+1.05	64.02
14.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0703-5171-विशेष न्यायालय की स्थापना	-3.83	+1.01	26.4
15.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	59-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रंसस्करण विभाग 2401-789-119-0703-5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	-2.99	+1.71	57.2
16.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	59-औद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग 2401-789-119-0703-7910-माईक्रो इरीगेशन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	+2.99	-2.01	67.2
17.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	31-जल संसाधन विभाग 4702-789-800-1403-5189-लघु सिंचाई योजना-निमार्ण कार्य (नाबार्ड)	+0.35	-5.17	100
18.	64	अनुसूचित जाति उपयोजना	34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 4215-01-789-800-0703-9938-भूजल स्त्रोतो का रिचार्जिग	+4.00	-1.80	45.0
19.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-103-0101-2669-स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान, ग्रामीण एवं शहरी	-10.00	+2.50	25.0
20.	75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2202-01-191-0101-2669-स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान, ग्रामीण एवं शहरी	-39.92	+13.38	33.5

परिशिष्ट 2.8

पुनर्विनियोजनो/समर्पणों की दोष पूर्ण संस्वीकृतियाँ

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9, पृष्ठ 58)

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	स्वीकृतियों संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं के विवरण
1.	12	01, 10, 15, 31, 34, 38, 41, 50, 52, 60, 63, 64, .72 एवं 80	47.46	संस्वीकृतियां वित्त वर्ष 2008-09 की समाप्ति के उपरान्त जारी की गई थी।
2.	16	04, 35, 41, 42, 48, 51, 64 एवं 66	147.15	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में संस्वीकृतियों की विलम्ब से प्राप्ति यथा लेखे बन्द करने तथा अन्तिम रूप देने के उपरान्त ।
3.	01	01	0.01	प्रशिक्षण शीर्ष की बचत से पुनर्विनियोजन का निषेध है।
4.	03	05, 33 एवं 48	0.30	संबंधित शीर्ष में बजट प्रावधान की अनुपलब्धता ।
5.	04	13, 19, 36 एवं 41	76.15	विभाग द्वारा पूर्ण विवरण प्रेषित न करना
6.	01	41	0.26	नियमों का पालन न करने के कारण स्वीकृतियां निरस्त की गई ।
7.	01	44	6.00	पूंजीगत शीर्ष से राजस्व शीर्ष को अनियमित पुनर्विनियोजन
8.	02	41 एवं 56	10.11	एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन
योग	40	27	287.44	

परिशिष्ट 2.9 वर्ष के दौरान किये गये सारभूत समर्पणों की समीक्षा के परिणाम

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10, पृष्ठ 58)

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्य	अनुदान की संख्या तथा शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	समर्पण की राशि	समर्पण का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 5668- राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण	5.00	100
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान का उपयोग न करने का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश अंश प्राप्त न होना और राज्य सरकार से राज्यांश के अंश के आहरण के लिये स्वीकृति का प्राप्त न होना बताया गया ।				
2.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5162-नगरीय क्षेत्रों में भूमि का अभिलेखीकरण	1.90	100
एल.एल.आर.एम.पी.योजनान्तर्गत राशि प्राप्त नहीं होने तथा भारत सरकार द्वारा योजना बंद करने के कारण हुई				
3.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-6155-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निशुल्क प्रदाय	10.23	100
कोषालय सर्वर द्वारा देयक जनरेट नहीं होने के कारण सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान का सर्मपण किया गया ।				
4.	12-ऊर्जा	2501-04-101-0410-ऊर्जा विकास निधि 3220- म.प्र.ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	3.25	100
भारत सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना/कार्यक्रम बन्द कर दिये जाने कारण 3.25 करोड़ रूपये सम्पूर्ण प्रावधान की बचत का समर्पण किया गया ।				
5.	12-ऊर्जा	2801-80-101-7861-गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से बिजली की व्हीलिंग हेतु म.प्र. रा.वि.मं./उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान	1.00	100
1.00 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत का कारण बजट में पन्द्रह प्रतिशत की वित्तीय कटौती तथा स्वीकृति आदेश में वर्णित कोड का कोषालय के कम्प्यूटर में दर्शित कोड का मिलान न होना बताया गया ।				
6.	12-ऊर्जा	6801-800-0410-ऊर्जा विकास निधि 2967-बिजली बोर्ड को अन्य उधार	12.74	100
12.74 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के 12.74 करोड रुपये के अनुमानित कार्य के विरूद्ध 2 से 3 करोड़ रुपये के कार्य सम्पादित करने और आन्तरिक स्त्रोत से भुगतान की व्यवस्था के कारण हुई ।				
7.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5842-बड़े ग्रामों की नल जलप्रदाय योजना	50.00	100
50 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के ठोस कारण सूचित नही किये गये ।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	30-ग्रामीण विकास	4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5853- डी.पी.आई.पी.योजनायें	6.00	100
6.00 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचत डी.पी.आई.पी. योजना से कोई मांग न आने के कारण समर्पित की गई ।				
9.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5569-सूचना प्रौद्योगिकी एवं राज्य योजना आयोग को सुदृढ़ीकरण	2.00	100
2.00 करोड रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की बचत सुदृढ़ीकरण का प्रकरण विचाराधीन होने के कारण समर्पित की गई ।				
10.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)-	1.20	100
1.20 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009)।				
11.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25-आदिम जाति कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5232- म.प्र. आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान अनुच्छेद 275(1)-	7.00	100
7.00 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण का कारण अनुच्छेद 275(1) के अधीन भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र विकास योजना के लिए प्राप्त निधियों से आवासीय विद्यालयों को निधियाँ उपलब्ध न होना बताया गया ।				
12.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	38-उच्च शिक्षा विभाग 2202-03-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5552-पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना	3.39	100
3,39 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण का कारण केन्द्रीय अंश प्राप्त न होना बताया गया ।				
13.	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 5522-राज्य शहरी स्वच्छता मिशन	1.00	100
1,00 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण का कारण विलम्ब से मिशन का कार्य आरम्भ करना बताया गया ।				
14.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण निर्माण कार्यो की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	3.50	100
3.50 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) के समर्पण का कारण आपदाओं का अनुमान न लगा पाना बताया गया ।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-193-5498-बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को अनुदान	18.00	100
रुपये 18.00 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) के समर्पण का कारण आपदाओं का अनुमान न लगा पाना था ।				
16.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-5503-आपदाग्रस्त क्षेत्रों में तात्कालिक कार्य एवं आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	10.00	100
10.00 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) के समर्पण का कारण आपदाओं का अनुमान न लगा पाने कारण किया गया ।				
17.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-103-7024-राट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि	71.12	100
71.12 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) का समर्पण का कारण आपदाओं का अनुमान न लगा पाना था ।				
18.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अन्तर्गत आपदाओं में वित्तीय सहायता	10.00	100
10.00 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) का समर्पण का कारण आपदाओं का अनुमान न लगा सकने के कारण हुआ ।				
19.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	6245-01-800-2750-प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न जलकट के निवारण हेतु ऋण ।	2.50	100
2.50 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) का समर्पण आपदाओं का अनुमान न लगा सकने के कारण हुआ ।				
20.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	07-राजस्व विभाग 2029-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 5045 केडेस्ट्रल सर्वेनक्शों का डिजिटाईजेशन	0.85	100
शीर्ष के अधीन 0.85 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण का कारण केन्द्र प्रवर्तित तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं के अधीन एल.एल.आर.एमी.पी. योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से निधियों की प्राप्तियों के कारण राज्य के अंश का उपयोग न करना था ।				
21.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2029-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 5162-नगरीय क्षेत्रों में भूमि का प्रलेखन	2.46	100
शीर्ष के अधीन 2.46 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण प्रावधान समर्पण का कारण केन्द्र प्रवर्तित तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजना के अधीन एल.एल.आर.एम.पी. योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से निधियों की प्राप्ति के कारण राज्य सरकार के अंश का उपयोग न करना बताया गया ।				
22.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	53-चिकित्सा शिक्षा विभाग 4210-03-789-105-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना 6974- सागर चिकित्सा महाविद्यालय	52.99	100
52.99 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान की समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये है (अगस्त 2009)।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 4515-789-103-0103- अनुसूचित जाति उपयोजना 5111-नवाचार को प्रोत्साहन	2.68	100
2.68 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009) ।				
24.	68-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-796-191-0102- आदिवासी क्षेत्र उप योजना 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम	4.50	100
4.50 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण का यथासूचित कारण भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र में स्थित निकायों के परियोजनाओं की स्वीकृति न देना था ।				
25.	69-सूचना प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5125 मैप.आई. टी. मे जी. आई. एस. लैब की स्थापना	1.00	100
1.00 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2009) ।				
26.	73-त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	2801-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 8729-त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के तहत म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल को सहायता	48.40	100
48.40 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण का कारण भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होना बताया गया ।				
27.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ कर)	2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5693-अल्प संख्यक समितियों को प्री मेट्रिक छात्रवृत्तियां	5.13	100
5.13 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण प्रावधान समर्पण का कारण योजना प्रारम्भ न किया जाना था ।				
28.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ कर)	4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 5703-सक्सेस योजना अन्तर्गत नये हाईस्कूल भवनों का निर्माण	90.00	100
90.00 करोड़ रुपये के (सम्पूर्ण प्रावधान) के समर्पण का कारण भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त न होना था ।				
		योग	427.84	

परिशिष्ट 2.10 वास्तविक बचतों से अधिक समर्पण (50 लाख रूपये अथवा इससे अधिक)

(संदर्भ : कंडिका 2.3.11, पृष्ठ 59)

(करोड़ रूपयों में)

स.क्रं.	अनुदान/ /विनियोग की संख्या तथा नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	बचत	समर्पित राशि	अधिक समर्पण की राशि
	राजस्व प्रभारित				
1.	29- विधी और विधायी कार्य	30.00	0.01	1.80	1.79
	राजस्व दत्तमत				
2.	05-जेल	101.44	2.71	2.72	0.01
3.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	64.93	36.76	36.77	0.01
4.	30-ग्रामीण विकास	627.62	12.03	12.47	0.44
5.	49-अनुसूचित जाति कल्याण	57.73	3.11	3.21	0.10
6.	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1147.43	281.36	281.39	0.03
7.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	582.08	18.73	29.76	11.03
	योग	2611.23	354.71	368.12	13.41

परिशिष्ट 2.11

उन विभिन्न अनुदान/विनियोगो का विवरण पत्र जिनमें बचत हुई है परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया।

(संदर्भ : कंडिका 2.3.12, पृष्ठ 59)

(करोड़ रूपयों में)

I -अनुदान			
स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
राजस्व दत्तमत			
1.	14	पशुपालन	49.30
2.	16	मछली पालन	5.73
3.	17	सहकारिता	5.10
4.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	18.01
5.	24	लोक निर्माण कार्ड-सड़के और पुल	48.16
6.	34	समाज कल्याण	16.75
7.	35	पुर्नवास	0.16
8.	36	परिवहन	5.57
9.	50	20 (बीस) सूत्री कार्यान्वयन	0.19
10.	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	1.85
11.	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	0.16
12.	63	अल्प संख्यक कल्याण	7.11
13.	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	12.38
14.	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	7.96
15.	78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	3.26
पूंजीगत दत्तमत			
16.	03	पुलिस	6.30
17.	10	वन	3.12
18.	16	मछली पालन	2.35
19.	17	सहकारिता	2.91
20.	18	श्रम	0.53
21.	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	36.03
22.	21	आवास एवं पर्यावरण	0.06
23.	24	लोक निर्माण कार्ड-सड़क और पुल	68.82
24.	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़क और पुल	49.41
25.	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	1.82
26.	72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	2.67
27.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2.01

II - विनियोग			
राजस्व प्रभारित			
28.	04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	0.05
29.	05	जेल	0.01
30.	10	वन	9.14
31.	11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	0.03
32.	12	ऊर्जा	99.06
33.	14	पशुपालन	0.02
34.	16	मछली पालन	0.03
35.	17	सहकारिता	0.01
36.	18	श्रम	0.01
37.	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	0.07
38.	27	स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	0.21
39.	34	समाज कल्याण	0.02
40.	62	पंचायत	0.02
41.	67	लोक निर्माण कार्य भवन	0.33
42.	77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	0.85
43.	78	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	0.04
44.	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.78
पूंजीगत प्रभारित			
45.	21	आवास एवं पर्यावरण	0.02
46.	48	नर्मदा घाटी विकास	0.12
47.	भारित विनियोग	लोक ऋण	1875.55
	योग		2344.09

परिशिष्ट 2.12

एक करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की समर्पित नहीं की गयी बचतों के विवरण (परिशिष्ट 2.11 में दिये गये प्रकरणों को छोड़कर)

(संदर्भ : कंडिका 2.3.12 पृष्ठ 59)

(करोड़ रुपयों में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पण की जाने से रह गई
1	2	3	4	5
राजस्व प्रभारित				
1.	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	297.80	0.03	297.77
2.	06-वित्त	10.70	0.01	10.69
राजस्व दत्तमत				
3.	01-सामान्य प्रशासन	21.56	16.00	5.56
4.	02-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	11.23	3.27	7.96
5.	03-पुलिस	32.00	7.30	24.70
6.	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	3.18	0.08	3.10
7.	06-वित्त	624.61	25.15	599.46
8.	07-वाणिज्यिक कर	74.75	59.50	15.25
9.	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	66.69	40.15	26.54
10.	10-वन	9.78	6.31	3.47
11.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	9.97	4.35	5.62
12.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विभाग	233.59	227.92	5.67
13.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	110.50	80.81	29.69
14.	18-श्रम	7.19	0.38	6.81
15.	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	170.92	26.26	144.66
16.	21-आवास एवं पर्यावरण	14.55	3.32	11.23
17.	23-जल संसाधन	34.12	1.71	32.41
18.	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	85.11	65.24	19.87
19.	28-राज्य विधान मंडल	6.13	1.48	4.65
20.	29-विधि और विधायी कार्य	68.50	65.42	3.08
21.	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	5.46	2.46	3.00
22.	32-जनसपंर्क	3.74	1.99	1.75
23.	33-आदिम जाति कल्याण	27.41	18.60	8.81
24.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	63.92	37.43	26.49

1	2	3	4	5
25.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	277.19	206.34	70.85
26.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2.15	0.01	2.14
27.	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	16.48	14.33	2.15
28.	52- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	143.33	94.35	48.98
29.	55-महिला एवं बाल विकास	112.69	64.54	48.15
30.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	165.51	121.50	44.01
31.	67-लोक निर्माण कार्य भवन	19.50	-	19.50
32.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	98.70	63.08	35.62
33.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	609.23	320.99	288.24
पूंजीगत दत्तमत				
34.	06-वित्त	314.61	1.40	313.21
35.	12-ऊर्जा	369.26	353.26	16.00
36.	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	133.93	100.50	33.43
37.	23-जल संसाधन	63.00	6.16	56.84
38.	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	8.70	2.79	5.91
39.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	103.69	62.03	41.66
40.	44-उच्च शिक्षा	9.60	3.20	6.40
41.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	60.41	0.15	60.26
42.	48- नर्मदा घाटी विकास	18.22	12.95	5.27
43.	57- जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना	111.18	81.00	30.18
44.	64- अनुसूचित जाति उपयोजना	110.67	67.36	43.31
45.	67 लोक निर्माण कार्य -भवन	20.67	0.44	20.23
	योग	4762.13	2271.55	2490.58

परिशिष्ट 2.13

30 एवं 31 मार्च 2009 को रुपये 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(संदर्भ : कंडिका 2.3.12, पृष्ठ 59)

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	06	2052	31.13	18.00	57.82
2	07	2030	224.75	26.88	11.96
3	07	2039	534.35	17.00	3.18
4	08	2029	259.55	40.25	15.51
5	12	2801	1747.22	25.02	1.43
6	12	6801	1892.77	317.85	16.79
7	12	4801	634.47	35.41	5.58
8	13	2401	653.21	109.40	16.75
9	15	2501	146.77	61.30	41.77
10	20	4215	417.36	100.00	23.96
11	22	6217	256.43	38.96	15.19
12	27	2202	2089.62	65.24	3.12
13	29	2014	210.25	28.56	13.58
14	29	2015	111.71	37.59	33.65
15	30	2515	609.64	12.53	2.06
16	33	2202	552.61	11.84	2.14
17	37	5452	71.61	20.29	28.33
18	39	2408	603.64	37.43	6.20
19	41	2225	298.86	36.59	12.24
20	41	2236	55.74	15.68	28.13
21	41	2202	325.11	40.23	12.37
22	41	4225	272.59	46.96	17.23
23	41	2401	182.17	43.17	23.70
24	41	4515	117.31	13.56	11.56
25	44	2202	433.33	15.36	3.54
26	52	2501	193.14	80.09	41.47
27	55	2236	235.91	24.87	10.54
28	55	2235	423.90	36.44	8.60
29	56	2851	53.56	10.03	18.73

1	2	3	4	5	6
30	58	2245	1147.43	281.39	24.52
31	59	2501	44.80	14.30	31.92
32	59	4515	56.00	32.18	57.46
33	60	4515	170.42	10.28	6.03
34	64	2202	160.29	32.25	20.12
35	64	2225	249.07	13.37	5.37
36	64	2401	111.43	25.03	22.46
37	64	4210	76.54	10.20	13.30
38	69	3425	43.40	13.05	30.07
39	73	2801	48.40	48.40	100
40	75	2202	179.64	49.92	27.79
41	75	2217	266.34	10.94	4.11
42	77	2202	557.11	29.16	5.23
43	77	4202	164.18	90.00	54.82
44	79	2210	278.42	31.44	11.29
45	80	2202	878.37	194.75	22.17
46	80	2401	44.08	16.37	37.14
47	80	2501	304.73	105.47	34.61
योग			18419.36	2375.03	12.89

परिशिष्ट
2.14 व्यय की अधिकता
(संदर्भ : कंडिका 2.3.13, पृष्ठ 59)

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी मार्च 2009 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2009 में किया गया व्यय	कुल व्यय	निम्नानांकित का कुल व्यय से प्रतिशत	
						जनवरी से मार्च 2009	मार्च 2009
1	03-पुलिस	2643	34.32	34.30	44.35	77.38	77.34
2	06-वित्त	5632	18.84	18.84	18.84	100	100
3	06-वित्त	6842	27.15	27.15	27.15	100	100
4.	06-वित्त	6854	15.16	15.10	15.91	95.28	94.95
5.	07-वाणिज्यिक कर	1470	33.04	26.60	38.75	85.27	68.65
6.	07-वाणिज्यिक कर	6001	37.58	37.58	37.58	100	100
7.	07-वाणिज्यिक कर	6002	116.34	116.34	116.34	100	100
8.	07-वाणिज्यिक कर	8808	22.22	20.53	23.18	95.86	88.57
9.	10-वन	1594	29.94	26.08	51.90	57.69	50.25
10.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	5492	13.67	13.67	27.00	50.63	50.63
11	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1060	40.15	40.04	40.84	98.31	98.04
12.	13 -किसान कल्याण तथा कृषि विकास	5359	17.94	13.73	25.64	69.97	53.55
13.	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	8768	59.73	59.33	68.49	87.21	86.62
14.	21-आवास एंव पर्यावरण	6706	136.80	107.08	140.73	97.21	76.09
15.	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय निकाय	7321	18.53	12.27	20.86	88.83	58.82
16.	24-लोक निर्माण कार्य सड़के और पुल	3115	29.03	27.98	33.34	87.07	83.92
17.	30-ग्रामीण विकास	5727	28.66	28.66	28.66	100	100
18.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3828	63.27	46.42	85.94	73.62	54.01
19.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5091	35.60	21.24	37.02	96.16	57.37
20.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8828	20.36	13.76	21.55	94.48	63.85
21.	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8849	25.86	14.88	29.22	88.50	50.92
22	43-खेल ओर युवक कल्याण	5834	11.53	11.53	11.53	100	100
23.	44-उच्च शिक्षा	5650	15.00	15.00	15.00	100	100
24.	53-अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6981	25.35	23.45	29.84	84.95	78.58

25.	55-महिला एवं बाल विकास	5447	11.27	11.66	18.04	62.47	64.63
26.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	1400	18.02	10.99	18.56	97.09	59.21
27.	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	8810	58.40	58.40	89.10	65.54	65.54
28.	69-सूचना प्रोद्योगिकी	6873	12.26	12.26	12.26	100	100
29.	69-सूचना प्रोद्योगिकी	6874	15.66	15.66	15.66	100	100
30.	75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6981	137.71	137.71	172.85	79.68	79.68
31.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2267	11.96	11.83	20.46	58.46	57.82
32.	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	5706	20.00	20.00	20.00	100	100
33.	78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	7910	18.08	18.03	28.01	64.55	64.37
34.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	5484	30.37	29.17	34.83	87.19	83.75
35.	80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	6968	15.11	11.79	15.31	98.69	77.01
36.	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3731	153.49	131.63	227.21	67.55	57.93
37.	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3751	11.70	11.70	12.42	94.20	94.20
38.	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	6983	363.06	363.06	363.06	100	100
39.	भारित विनियोग- लोक ऋण	5040	12.11	12.11	24.22	50	50
		योग	1765.27	1627.56	2061.65	85.62	78.94

परिशिष्ट 2.15

वर्ष 2008–09 तक के वर्षों के लम्बित ब्यौरेवार आकस्मिक व्यय देयक

(संदर्भ : कंडिका 2.4.1, पृष्ठ 61)

(करोड़ रूपयों में)

स.क्र.	विभाग	संक्षिप्त आकस्मिक व्यय देयकों की संख्या	राशि
1.	विद्युत निरीक्षक, म.प्र. भोपाल	243	0.05
2.	राज्य संलेख अधिकारी मन्त्रालय भोपाल	19	7.59
3.	आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल	*	4.05
4.	उप संचालक एन.सी.सी.म.प्र.भोपाल	82	0.37
5.	संचालक पिछड़ा वर्ग भोपाल	37	0.37
6.	पंजीयक श्रम न्यायालय, म.प्र.	86	0.16
7.	संचालक कृषि विभाग, भोपाल	529	6.46
8.	भूमि संरक्षण अधिकारी	283	1.94
	योग	1279	20.99

*उपलब्ध नहीं क्योंकि अभिलेख आग में जल गये।

परिशिष्ट 2.16

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन सारभूत बचतें

(संदर्भ : कंडिका 2.6.2 (ii), पृष्ठ 64)

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	बचत (प्रतिशत)		
		2006-07	2007-08	2008-09
	11- वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार			
1.	2851-800-0801-8325- प्रधानमंत्री रोजगार योजना	2.25 (50.00)	0.63 (21.0)	3.40 (97.14)
	14- पशुपालन			
2.	2403-102-0101-1108- गहन पशु विकास योजना	4.28 (100)	15.75 (25.74)	15.08 (22.10)
3.	2403-102-0801-6625- पशु संगणना की योजना	0.69 (33.17)	15.63 (76.24)	4.72 (42.64)
4.	2403-113-0701-1458- महत्वपूर्ण पशु रोगों का क्रमिक निवारण	अनुपलब्ध	3.69 (34.94)	2.47 (36.38)
5.	2403-800-0101-8703- दुग्ध उत्पादन तथा अद्योसंरचना	0.56 (11.09)	1.90 (28.92)	2.43 (32.44)
	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
6.	4210-01-110-0101-7648- अस्पताल तथा औषद्यालयों हेतु भवनों का निर्माण	अनुपलब्ध	21.36 (84.96)	6.97 (46.47)
7.	4210-02-103-0101-6920- नाबार्ड की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	12.66 (65.16)	अनुपलब्ध	2.39 (34.64)
8.	4210-02-103-0101-7871- बुनियादी सेवाओं के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उप-स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	6.00 (35.29)	36.03 (84.58)	26.67 (63.02)
	28-राज्य विधान मंडल			
9.	2011-02-101-4007- विधान सभा	2.60 (15.98)	4.10 (21.91)	4.47 (21.31)
	34-सामाजिक कल्याण			
10.	2235-02-001-2304- निदेशन और प्रशासन	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3.67 (23.88)
11.	2235-02-101-0101-3923- विकलांग एवं अक्ष्यों को सहायता हेतु योजना	0.57 (24.78)	1.23 (45.72)	2.96 (52.30)
12.	2235-02-101-6864- विवेकानंद बीमा योजना	1.50 (30.0)	5.00 (100)	5.00 (100)
13.	2235-02-101-0101-79-अंधे बहरे तथा गूंगों हेतु स्कूल तथा संस्था	0.68 (18.09)	0.64 (16.0)	2.38 (99.17)
	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण			
14.	तकनीकी शिक्षा तथा 2203-105-0701-2667- पोलीटेक्निक संस्थायें	अनुपलब्ध	1.56 (100)	2.62 (41.79)
	58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय			
15.	2245-01-101-96- अग्नि पीड़ितों को राहत	35.06 (65.67)	74.47 (78.95)	14.55 (55.96)

16.	2245-02-193-5498- बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों /संस्थाओं तथा अन्य अशासकीय निकायों को अनुदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	18.00 (100)
17.	2245-80-102-5503- आपदा प्रभारित क्षेत्रों में तात्कालिक निर्माण कार्य तथा आपात योजनाओं की व्यवस्था	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10.00 (100)
18.	2245-80-103-7024- राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	71.12 (100)
19.	2245-80-800-5504- राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदाओ में वित्तीय सहायता	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	10.00 (100)
20.	2245-05-101-475-आरक्षित निधियों तथा निक्षेप लेखे को अन्तरण-प्राकृतिक आपदा अव्ययित सीमान्त धन निधि-अकाल राहत निधि	अनुपलब्ध	50.49 (18.75)	277.39 (49.96)
21.	2245-01-102-2661-पीने के पानी की आपूर्ति	31.00 (60.0)	14.47 (28.94)	51.23 (56.92)
22.	2245-02-101-747-ओला पीड़ितों को राहत	आधिक्य	अनुपलब्ध	20.42 (40.84)
23.	2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यो का पुनरूद्धार तथा मरम्मत	3.50 (100)	3.50 (100)	3.50 (100)
24.	6245-01-800-2750-प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न जल अभाव को दूर करने के लिये ऋण	4.30 (100)	4.30 (100)	2.50 (100)
	67- लोक निर्माण कार्य भवन			
25.	4210-03-105-0101-4220- शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	अनुपलब्ध	4.09 (68.62)	2.75 (38.89)
26.	4211-101-0801-1171-ग्रामीण (क्षेत्रों) परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार	2.63 (78.04)	3.06 (90.80)	3.90 (97.50)
27.	4216-01-106-0701-6222- न्याय प्रशासन (कर्मचारियों के लिये आवासों का निर्माण)	1.96 (98.0)	2.21 (75.17)	4.56 (38.00)
	योग		264.11	575.15

परिशिष्ट 2.17 चयनित अनुदानों की याजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य

(संदर्भ : कंडिका 2.6.2 (ii), पृष्ठ 64)

(करोड़ रूपयों में)

स. क्र.	अनुदान संख्या तथा योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशतता)		
		2006-07	2007-08	2008-09
	11-वाणिज्य उद्योग एंव रोजगार			
1.	2852-80-800-0101-9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	1.54 (62.60)	1.04 (15.29)	1.93 (33.6)
	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण			
2.	2203-104-0101-5700- प्रदेश में नेशनल ईस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना	लागू नही	लागू नही	1.05 (*)
	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय			
3.	2245-01-101-7102- तहसीलदारों के माध्यम से राहत कार्यो का क्रियान्वयन	लागू नही	लागू नही	44.17 (441.70)
4.	2245-02-101-2018-नगद दान	लागू नही	लागू नही	17.86 (32.47)
5.	2245-80-800-8030- पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	लागू नही	55.24 (55.24)	166.54 (152.94)
	67-लोक निर्माण कार्य भवन			
6.	4059-01-051-0101-8041- लोक निर्माण विभाग के संभागीय /उपसंभागीय कार्यालय भवनों का निर्माण	1.43 (286)	लागू नही	1.16 (232)
	योग	**2.97**	**56.28**	**232.71**

* सांकेतिक प्रावधान के विरूद्ध आधिक्य

परिशिष्ट 2.18

वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/ अधिक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(संदर्भ : कंडिका 2.6.2 (iii), पृष्ठ 64)

(क) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपयों में)

सं.क्र.	अनुदान तथा योजनाओं का विवरण	अप्रयुक्त अनुपूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
	34-समाज कल्याण	
1.	2235-02-101-0101-3923-विकलांगों तथा अपंगों को सहायता के हेतु योजना	2.95
	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	
2.	2245-01-102-2661-पेय जल की आपूर्ति	50.00
3.	2245-80-103-7024- राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि	71.11
	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	
4	4059-01-051-0701-2450- न्याय प्रशासन	0.75
5	4408-01-800-0801-7316- राज्य उपभोक्ता आयोग एवं उपभोक्ता फोरमो का अद्योसंरचना विकास	1.50
	योग	126.31

(ख) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपयों में)

सं.क्रं.	अनुदान तथा योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	बचत (-)
	14- पशुपालन				
1.	2403-102-0801-6625- पशु संगणना की योजना	4.00	7.07	6.34	-4.73
	34 समाज कल्याण				
2.	2235-02-101-0101-79- अंधे, बहरे तथा गूगों के लिए शालाएं तथा संस्थाएं	--	2.40	0.02	-2.38
	47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण				
3.	तकनीकी एवं प्रशिक्षण 2203-105-0701-2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	2.27	4.00	3.65	-2.62
	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
4.	2245-05-101-475- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अखर्चित मार्जिन धन निधि अकाल राहत निधि	277.39	277.80	277.80	-277.39
5.	2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिये आतिरिक्त प्रावधान	77.00	50.00	104.09	-22.91
	67-लोक निर्माण कार्य-भवन				
6.	4059-80-800-0101-7094-जेल सुधार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य	8.68	26.72	31.29	-4.11
	योग	369.34	367.99	423.19	-314.14

(ग) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों की योजनाओं के अधीन अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(करोड़ रूपयों में)

सं. क्रं.	अनुदान तथा योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	आधिक्य (+)
	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
1.	2245-02-101-2018-नगद दान	25.00	30.00	72.86	+17.86
2.	2245-80-800-8030 -अन्य कार्यो की पुनः स्थापना के लिये सहायता	60.00	48.89	275.43	+166.54
	67-लोक निर्माण कार्य- भवन				
3.	4059-01-051-0101-1481- जिला प्रशासन	0.60	3.00	4.57	+0.97
	योग	85.60	81.89	352.86	+185.37

परिशिष्ट 3.1

31 मार्च 2009 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(संदर्भ : कंडिका 3.1, पृष्ठ 67)

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	विभाग	अनुदान के भुगतान का वर्ष[α]	प्रदत्त कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
					प्राप्त		बकाया	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	शिक्षा							
		2006-07	104	235.09	61	204.29	43	30.80
		2007-08	103	166.76	59	131.99	44	34.77
		2008-09	108	161.99	42	103.75	66	58.24
	योग		315	563.84	162	440.03	153	123.81
II	नगर निगम							
		2007-08	338	1872.65	—	1836.55	338	36.10
		2008-09	338	1880.40	—	—	338	1880.40
	योग		676	3753.05		1836.55	676	1916.50
III	पंचायती राज							
		2006-07	95	736.45	62	656.15	33	80.30
		2007-08	102	885.87	55	741.25	47	144.62
		2008-09	103	756.21	—	—	103	755.66*
	योग		300	2378.53	117	1397.4	183	980.58
IV	विकास अभिकरण							
		2007-08	48	6.81	—	2.74	48	4.07
		2008-09	48	13.00	—	3.20	48	9.80
	योग		96	19.81	--	5.94	96	13.87
V	चिकित्सा							
		1997-04	निरंक	44.46	—	44.04	12	0.42
		2004-05	निरंक	8.67	—	8.53	12	0.14
		2005-06	निरंक	7.14	—	7.02	09	0.12
		2006-07	19	6.49	07	6.34	12	0.15
		2007-08	12	7.29	12	7.29	—	—
		2008-09	10	7.29	04	0.06	06	7.23
	योग		41	81.34	23	73.28	51	8.06
VI	अन्य विभाग							
		1997-04	निरंक	1644.07	—	1623.90	129	20.17
		2004-05	निरंक	170.90	—	164.74	129	5.16
		2005-06	निरंक	311.43	—	277.20	78	34.23
		2006-07	671	470.46	492	342.22	179	128.24
		2007-08	965	603.38	366	126.41	599	476.97
		2008-09	1036	965.00	201	38.42	835	814.22**
	योग		2672	4165.24	1059	2572.89	1949	1478.99
	महा योग		4100	10961.81	1361	6326.09	3108	4521.81

α इस परिशिष्ट में केवल वे वर्ष जिनके उपयोग प्रमाण पत्र बकाया हैं, सम्मलित किये गये हैं ।

* अव्ययित राशि 0.55 करोड़ रुपये

** अव्ययित राशि 5.27 करोड़ रुपये ट-निक्षेप राशि 107.09 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 3.2

स्वायतशासी निकायों का निष्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(संदर्भ : कंडिका 3.2, पृष्ठ 68)

क्रम संख्या	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे भेजे गए	अवधि जिस वर्ष तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखाओं की प्रस्तुति में विलम्ब	विलम्ब की अवधि (माह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल	2006-07 तक	2006-07	2002-03 (31.10.2002 तक)	जानकारी प्रतिक्षित	—	—
2.	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल	2009-10 तक	2005-06	2005-06	-तदैव-	—	2006-07: 27 2007-08: 15 2008-09: 03
3.	म.प्र. मानवाधिकार आयोग, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2006-07	2006-07	-तदैव-	—	2007-08: 15 2008-09: 03
4.	म.प्र. भवन तथा निर्माण कार्यकर्त्ता कल्याण मण्डल, भोपाल	-तदैव-	आरम्भ से लेखे नही भेजे (2003-04)	—	—	—	63
5.	म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर	-तदैव-	आरम्भ से लेखे नही भेजे (1997-98)	—	—	—	135 (18)
6.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	-तदैव-	1998-99 से लेखे नही भेजे	—	—	—	123 (18)
7.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़वानी	-तदैव-	2006-07 से लेखे नही भेजे	—	—	—	27 (18)
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा	-तदैव-	2006-07 से लेखे नही भेजे	—	—	—	-तदैव-
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच	-तदैव-	2006-07 से लेखे नही भेजे	—	—	—	-तदैव-
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्योपुर	-तदैव-	2006-07 से लेखे नही भेजे	—	—	—	-तदैव-
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट	-तदैव-	1998-99 से लेखे नही भेजे	—	—	—	123 (18)
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेतूल	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छतरपुर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, छिन्दबाड़ा	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह	संसद के अधिनियम द्वारा सौपा	1998-99 से लेखे नही भेजे गये	—	—	—	123 (18)
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दतिया	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
20.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
21.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुना	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
22.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
23.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
24.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन्दौर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
25.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
26.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी	-तदैव-	2002-03 से लेखे नहीं भेजे	—	—	—	75 (18)
27.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा	-तदैव-	1998-99 से लेखे नहीं भेजे	—	—	—	-तदैव-
28.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
29.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
30.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
31.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंगपुर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
32.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
33.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
34.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
35.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
36.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रीवा	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
37.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
38.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
39.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिवनी	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
40.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
41.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	123 (18)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
43.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
44.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ़	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
45.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
46.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदिशा	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
47.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-
48.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना	-तदैव-	-तदैव-	—	—	—	-तदैव-

1. विलम्ब की गणना वित्त वर्ष जिसमें इकाई की स्थापना की गई थी, से की गई है।
2. 30 जून वित्त वर्ष से पूर्व के वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति की तिथि के रूप में लेते हुये विलम्ब की गणना की गई है।
3 कोष्ठक में दिये आंकड़े लेखाओं की प्रस्तुति के लिये पत्र जारी करने के माह से माहों में विलम्ब प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 3.3

दुर्विनियोग, गबन आदि के प्रकरणों का विभाग अनुसार/ अवधि अनुसार विश्लेषण

(संदर्भ : कंडिका 3.3, पृष्ठ 68)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	पाँच वर्षों तक		पाँच वर्षों से 10 वर्ष तक		10 वर्षों से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष तथा इससे अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग	3	3.01	3	5.46	6	38.23	8	10.01	21	28.93	23	9.98	64	95.62
2	2211- परिवार कल्याण	निरंक	निरंक	निरंक	--	--	--	--	--	4	0.64	15	5.69	19	6.33
3	2245- प्राकृतिक आपदाएं	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.16	1	0.16
4	2051- लोक सेवा आयोग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.23	1	0.23
5	2029-भू-राजस्व	--	--	1	0.80			2	0.20	5	2.22	5	0.84	13	4.06
6	2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	--	--	--	--	1	0.68	--	--	--	--	--	--	1	0.68
7	2053- जिला प्रशासन	1	0.02	--	--	--	--	--	--	1	0.40	2	0.47	4	0.89
8	2014- न्याय प्रशासन	3	1.38	1	3.70	--	--	2	1.73	1	0.12	2	0.55	9	7.48
9	2054- कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	--	--	--	--	2	19.78	--	--	4	1.25	6	12.19	12	33.22
10	2039- राज्य आबकारी	--	--	4	0.39	4	0.69	--	--	--	--	3	3.50	11	4.58
11	2230- श्रम तथा रोजगार	5	0.99	4	7.13	1	0.02	--	--	--	--	--	--	10	8.14
12	2401- कृषि विभाग	9	12.44	2	0.99	--	--	8	3.56	5	1.09	1	0.32	25	18.40
13	2402- कृषि विभाग	1	0.40	3	0.99	--	--	--	--	--	--	5	0.86	9	2.25

परिशिष्ट 3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	2408- खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	1	0.01	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.52	2	0.53
15	2425- सहकारिता	--	--	2	1.12	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1.12
16	2851- ग्रामोद्योग	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.07	3	2.82
17	2852- ग्रामोद्योग	1	1.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.03
18	2202- प्राथमिक शिक्षा	28	171.33	18	20.12	6	4.23	19	9.00	33	14.19	35	7.56	139	226.43
19	2202- उच्च शिक्षा	15	124.66	1	0.81	2	0.83	1	0.88	1	0.83	4	6.08	24	134.09
20	2203- तकनीकी शिक्षा	17	21.40	4	7.84	--	--	--	--	--	--	--	--	21	29.24
21	2205- कला एवं संस्कृति	1	0.25	--	--	--	--	1	13.12	--	--	--	--	2	13.37
22	2501, 2505, 2515- ग्रामीण विकास	1	42.31	1	1.33	3	1.54	3	3.02	2	0.34	--	--	10	48.54
23	2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग	--	--	--	--	15	8.44	14	8.26	3	1.83	15	2.69	47	21.22
24	2853- खनन	9	0.55	2	0.55	--	--	--	--	--	--	--	--	11	1.10
25	2030- मुद्रांक एवं पंजीयन	1	0.34	--	--	--	--	1	0.96	--	--	--	--	2	1.30
26	2041- परिवहन	--	--	--	--	--	--	1	5.64	--	--	--	--	1	5.64
27	2235- पुनर्वास विभाग	2	2.91	1	4.04	2	0.19	4	2.26	7	1.83	2	0.06	18	11.29
28	2403- पशु चिकित्सा सेवाएं	13	1.81	3	0.35	4	6.32	4	0.52	3	5.77	2	0.14	29	14.91
29	2055- पुलिस	290	75.71	92	42.16	47	27.16	42	5.10	4	0.54	--	--	475	150.67
	योग	402	460.55	143	100.53	93	108.11	110	64.26	94	59.98	124	51.91	966	845.34

परिशिष्ट 3.4

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्रियों की हानि के कारण सरकार को हानि के प्रकरणों के सम्बन्ध में विभाग/ संवर्ग के अनुसार विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.3, पृष्ठ 68)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रूपयों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रूपयों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग	26	17.61	38	78.01	64	95.62
2211- परिवार कल्याण	2	0.97	17	5.36	19	6.33
2245- प्राकृतिक आपदायें	--	--	1	0.16	1	0.16
2051- लोक सेवा आयोग	--	--	1	0.23	1	0.23
2029- भू-राजस्व	--	--	13	4.06	13	4.06
2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	--	--	1	0.68	1	0.68
2014-न्याय प्रशासन	3	0.61	6	6.87	9	7.48
2054- कोषालय एवं लेखे	--	--	12	33.22	12	33.22
2053- जिला प्रशासन	1	0.4	3	0.49	4	0.89
2225- जनजाति कल्याण/अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग	--	--	47	21.21	47	21.21
2853- खनन	3	0.57	8	0.52	11	1.09
2041- परिवहन	1	5.64			1	5.64
2235- पुनर्वास विभाग-पंचायत	1	1.23	7	5.96	8	7.19
2235- पुनर्वास विभाग-महिला एवं बाल विकास	6	2.31	1	1.31	7	3.62
2235- पुनर्वास विभाग	--	--	3	0.47	3	0.47
2030- मुद्रांक तथा पंजीयन	1	0.34	1	0.96	2	1.3
2403- पशु पालन	--	--	29	14.92	29	14.92
2055- पुलिस	27	49.4	448	101.29	475	150.69
2039- राज्य आबकारी	5	1.64	6	2.94	11	4.58
2230- श्रम एवं रोजगार	9	1.38	1	6.76	10	8.14
2401- कृषि विभाग	15	5.82	10	12.58	25	18.4
2402- कृषि विभाग	6	1.61	3	0.64	9	2.25

1	2	3	4	5	6	7
2408- खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	1	0.01	1	0.52	2	0.53
2425- सहकारिता	2	1.12	--	--	2	1.12
2851- ग्रामोद्योग	--	--	3	2.82	3	2.82
2852-ग्रामोद्योग	--	--	1	1.03	1	1.03
2202-प्राथमिक शिक्षा	45	16.04	94	210.39	139	226.43
2202- उच्च शिक्षा	11	6.78	13	127.31	24	134.09
2203- तकनीकी शिक्षा	13	11.62	8	17.62	21	29.24
2205- कला एवं संस्कृति	2	13.37			2	13.37
2501,2505,2515- ग्रामीण विकास	4	1.82	6	46.72	10	48.54
योग	**184**	**140.29**	**782**	**705.05**	**966**	**845.34**

परिशिष्ट 3.5

2008–09 के लिए अपलेखन के प्रकरणों के विभागों के अनुसार विवरण

(संदर्भ : कंडिका 3.3, पृष्ठ 68)

क्रम संख्या	विभाग	अपलेखन की स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपयों में)
1	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य विभाग	उप सचिव स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण म.प्र. सरकार	वाहन क्र.सी.पी.जेड/4957 की चोरी	1	87035
2	2055- पुलिस	पुलिस विभाग	दुर्घटनाग्रस्त वाहन आदि	16	235806
3	2039- राज्य आबकारी	आबकारी आयुक्त	1966-67 में जिला आबकारी भोपाल में गबन	1	22714
4	2415- कृाि अनुसंधान	उप संचालक कृषि, सागर	1986-87 में वाहन की चोरी	1	6500
5	2415-कृषि अनुसंधान	सहायक संचालक कृषि, भोपाल	भैस की मृत्यु	1	8000
6	2415-कृषि अनुसंधान	संचालक कृषि, भोपाल	भैंस की चोरी के कारण हानि	1	9976
7	2230- श्रम तथा रोजगार	म.प्र. सरकार श्रम विभाग	गबन	1	14780
8	2217- नगरीय विकास	म.प्र. सरकार वित्तीय शक्तियाँ 1995 खण्ड- I की पुस्तक	चोरी के कारण हानि	1	2000
9	2851- ग्रामोद्योग	म.प्र. सरकार वित्तीय शक्तियाँ 1995 खण्ड- I की पुस्तक	भैंसों की चोरी के कारण हानि	1	5000
10	2202- उच्च शिक्षा	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	6	19587
11	2203- तकनीकी शिक्षा	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	1	20558
	योग			31	431956